प्रकाशक :

गोकुलदास धूत,

नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर.

जनवरी १९४७

मूल्य १-१२-०

मुद्रक-

सी. एम्. शाह,

मॉडर्न प्रिन्टरी लि., इन्दौर.

प्राक्कथन

यो तो रियासतो पर लिखे गये साहित्य में अभिवृद्धि करने वाली प्रत्येक रचना का स्वागत करते हुए आनन्द होता है। परन्तु जब वह रचना श्री वैजनाथ महोदय जैसे सुयोग्य लेखको की हो, जिन्होने विषय को अधिक अच्छी तरह समझने में सहायक होने वाली बुनियादी जानकारी को एकत्र करने में सच्चे दिल से यत्न किया है, तो वह त्रिवार स्वागत करने योग्य हो जाती है। क्योकि लेखक ने निःस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में बरसो बिताये है, गाधी सेवा संघ के मंत्री की हैसियत से तथ्यो को तौलकर उनका ठीक ठीक मूल्याकन करने की उन्हें काफी ट्रेनिग मिली हुई है, और फिर इन तमाम वर्षो में सदा रियासते और रियासती जनता की दोहरी गुलामी से मुक्ति, उनकी खास दिलचस्पी का विषय रहा है।

एक समय एसा था, जब रियासतों के सवाल की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था। अधकार और लापरवाही उसकी किस्मत में थी। आज वह इस अवस्था से बाहर निकल चुका है। और उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है, तथा इतना जरूरी बन गया है कि जिसकी शायद ही पहले किसी ने कल्पना की हो। तमाम महान् आन्दोलनो का ऐसा ही होता है। पहले लोग उन्हें लापरवाही की नजर से देखते है, फिर वे सन्देह की वस्तु बन जाते है और अत में जाकर लोग उनका सही सही स्वरूप समझ पाते है। इग्लेंड के मजदूर आन्दोलन को भी इसी विकास-क्रम में से गुजरना पडा है। सन १८५८ में इग्लेंड की पार्लियामेंट में उसका केवल एक सदस्य था। पर आज मजदूर दल के सदस्यो की सख्या चार सौ अस्सी है, और वे ब्रिटेन तथा शक्तिशाली ब्रिटिश

साम्राज्य पर हुकूमत कर रहे हैं। रियासती जनता के आन्दोलन को तो इसका एक तिहाई समय भी नही लगा है। अभी अभी बीस साल पहले तक कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, ऐसी दुर्दशा थी। आठ साल पहले हरिपुरा के अधिवेशन में वह प्रथम श्रेणी का प्रश्न बन गया। और आज तो राष्ट्र के प्रश्नो में उसने ऐसा महत्त्व धारण कर लिया है कि दूसरे अनेक प्रश्नो को अलग रखकर पहले उस पर विचार किया जाता है।

सचमुच, अगर भारतवर्ष स्वतंत्र होता है पर उसके एक तिहाई हिस्से को काटकर उससे अलग कर दिया जाता है और उसे स्वतत्रता का उपभोग नहीं करने दिया जाता' तो भारतीय स्वतंत्रता निरी एक मिथ्या वस्तु होगी। उस भारत को हम स्वतत्र भारत नहीं कह सकते। भारतीय स्वतन्त्रता एक गोल है—द्वितीया के नही, पूर्णिमा के चन्द्र के समान वह एक पूर्ण बिम्ब है। इस अर्थ में कांग्रेस ने रियासती जनता के आन्दोलन को देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन का एक और अविभाज्य अग के रूप में माना है। एक समय एक ही उद्देश से प्रेरित ये दोनो आन्दोलन विभिन्न दिशाओ में जाते हुए दिखाई देते थे। बाद वे दोनो समानान्तर रेखाओ पर बढते रहे। और अन्त में वे दोनो एक ही केन्द्र-बिन्दु के आस-पास घूमने वाले वर्तुल की रेखा पर आ मिले। दोनो को मिलकर एक ही ट्रेन बन गई और दोनो के ड्रायवर भी पं० जवाहरलाल नेहरू के रूप मे--जब सन् १९४६ में वे राष्ट्रीय महासभा और अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद के सभापति थे, एक ही हो गये। उस दिन से काश्मीर, और हैदराबाद, बड़ोदा और झाबुआ, मलेरकोटला और फरीदकोट, मैसोर और त्रावणकोर, ग्वालियर और भोपाल, सांगली और कोल्हापुर, तालचेर और धेनकनाल, मणिपुर और कूचबिहार, चित्राल और कलात और सिरमौर और बिलासपुर की रियासतें, देशी-राज्य-लोक-परिषद् तथा कांग्रेस की भी, समान दिलचस्पी के विषय बन गई।

देशी राज्यो की जनता का असली शत्रु, नरेशो की निरंकुशता अथवा जनता की अकर्मण्यता नही, बल्कि राजनैतिक विभाग के षडयन्त्र है। अत जब तक उनका खातमा नही कर दिया जाता, तब तक रियासती जनता की--बल्कि नरेशो की भी--मुक्ति की कोई आशा नही करनी चाहिए। कैसी भी बीमारी को दूर करने मे हमे उसी मात्रा मे सफलता मिलेगी, जिस मात्रा मे उसकी जड को हम काटेंगे। इसके सिवा और सब उपाय तो ऊपरी ही होंगे। वे बीमारी को कम कर सकते है, उसे पूरी तरह दूर नही कर सकते। इसी प्रकार जबसे अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हुई है, हमने इस बीमारी की जड मे हाथ डाला है। और यद्यपि आज राजनैतिक विभाग से उसका बहुत सीधा सम्बन्ध नही है, तथापि उसका नैतिक प्रभाव तो उस विभाग पर प्रतिक्षण पड़ता ही रहता है, और नि.सन्देह यह प्रभाव इस विभाग के फौलादी कवच को तोड़कर फेक देगा। असल में तो जब अस्थाई सरकार बनने वाली थी उसी समय इस नई सरकार तथा नरेशो के बीच के सम्बन्धो को व्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाने वाली थी। पर ऐसी कोई बात नही हो सकी। खैर!

प्रान्तो और रियासतो को जोडने वाली एक नई कडी विधान-परिषद का अधिवेशन है। इसमें दोनो के प्रतिनिधियो को एक साथ बैठकर विचार करना पडता है। और आज तो राष्ट्र का संपूर्ण ध्यान इस यत्न में लगा हुआ है, कि इस परिषद में रियासतो के प्रतिनिधि वास्तव में, और पर्याप्त मात्रा में, रियासती जनता के ही प्रतिनिधि हो।

अफसोस की बात है कि ऐसे मौके पर, सागली और कोचीन जैसे शुभ अपवादो को छोडकर, शेष सब नरेश अपना हिस्सा ठीक तरह से अदा नही कर रहे है। वे अपने प्रजाजनो की आकांक्षाओ को कुचलने की मानो होड़ मे लगे हुए है। दुनिया जानती है कि अंग्रेजो की सार्वभौम सत्ता बहुत जल्दी यहा से उठने वाली है। तब याद रहे, काम

पड़ेगा नरेशो को सीधा अपने प्रजाजनो से ही। नरेश चाहे तो यह सम्बन्ध प्रेममय हो सकता है; और यदि वे न चाहे तो उनके और प्रजाजनो के बीच निरंतर संघर्ष भी चल सकता है। उस समय अंगरेजो की संगीनें नहीं, प्रजाजनो का प्रेम और सद्भाव ही उनकी ढाल होगी। अगर हम याद करलें कि पिछले महायुद्धो में जर्मनी के कैसर, इटली के राजा, आस्ट्रिया के बादशाह और रूस के जार जैसे और नरेशो से कहीं अधिक शक्ति-शाली तथा धनजन से सम्पन्न लोगो तक का नामोनिशान मिट गया है, तब नरेशो के सामने उनकी प्रजाजनो से और प्रजाजनो की उनसे होने वाली लड़ाई का सही सही चित्र खड़ा होगा और उसके परिणामो का उन्हे ठीक-ठीक भान होगा। आज राष्ट्रीय महासभा का धीरज कसौटी पर है, पर अब उसकी भी हद आ पहुंची है। हिम-शिखर की भांति किसी भी क्षण वह जोर से टूटकर गिर सकता है, या महासागर के ज्वार के समान, अपनी अतल गहराई से उमड कर, स्वाधीनता के प्रवाह को रियासतो में जाने से रोकने वाले इस फेन को हवा मे उड़ाकर फेंक सकता है। सचमुच, नरेशो का भविष्य क्या होगा, वही सोचें। अपनी किस्मत के निर्माता वे खुद ही है।

नई दिल्ली
५ दिसम्बर १९४६

(डॉ०) पट्टाभिसीतारामैया

दो शब्द

पिछले वर्ष "रियासती जनता की समस्यायें" नामक मेरी एक छोटीसी पुस्तिका उदयपुर अधिवेशन के समय प्रकाशित हुई थी। वह दो-तीन महीनो मे ही बिक गई और प्रकाशको की तरफ से मुझे उसका दूसरा संस्करण तैयार करने के लिए कहा गया। पर मै महीनो इस काम को हाथ मे नहीं ले सका। अभी जब उसे मैंने शुरू किया तब तक देश की स्थिति काफी बदल गई थी। उसके अनुरूप जब मै उस पुस्तक को बनाने बैठा तो इतनी अधिक नई सामग्री उसमें देनी पडी कि वह दूसरा संस्करण नहीं बिलकुल दूसरी पुस्तक ही बन गई। इसलिये नाम भी बदल देना पड़ा।

रियासतो के सवाल पर इस प्रश्न के अधिक जानकार या कोई नेता लिखते तो अच्छा होता, परन्तु बडे नेता इतने कार्यमग्न हैं कि उन्हें इस छोटेसे काम के लिए अवकाश मिलना कठिन है। फिर भी छोटी-मोटी रियासतो मे काम करनेवाले असंख्य ग्रामीण कार्यकर्ताओं को इस विषय की कुछ आवश्यक जानकारी देनेवाली किताब की जरूरत तो थी ही। वही इस पुस्तक मे देने का यत्न किया गया है।

इस आवश्यकता को किसी अश मे यह पुस्तक अगर पूरी कर सके तो मै इस प्रयत्न को सफल समझूगा।

वैजनाथ महोदय

रतलाम-यात्रा मे,
६-११-४६.

अनुक्रमणिका

परिशिष्ट

रियासतों का सवाल

पूर्व-स्वरूप

: १ :

देशी रियासतों पर एक दृष्टिपात

रियासतों की समस्याओं पर विचार करने से पहले यह जरूरी है कि उनके बारे में कुछ जरूरी बातें हम जान ले। भारतवर्ष मे कुल ५६२ रियासते है। (लोक-परिषद के प्रकाशन मे इनकी सख्या ५८४ है।) रियासतो का कुल रकबा ७,१२,५०८ वर्ग मील और जन-सख्या ९,३१,८९,००० (सन् १९४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार) है। रकबे के हिसाब से यह समस्त देश का ४० प्रतिशत और जन संख्या के लगभग २३-२४ प्रतिशत है।

मोटे तौर पर रियासते दो हिस्सों मे बॅटी हुई है।

(१) सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक है)।
(२) नॉन सैल्यूट स्टेट्स (जिनको सलामी का हक नहीं है)।

२. हिन्दुस्तान मे कुल १२० सलामी की हकदार रियासते है और ४४२ ऐसी रियासते या जागीरे है, जिनको सलामी का हक नहीं है।

रियासतों के नियन्त्रण की व्यवस्था

माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर पहले जिन रियासतो का सम्बन्ध प्रायः प्रान्तीय सरकारो से था, बाद मे उनमे से अधिकाश का सम्बन्ध सीधा गवर्नर जनरल से कर दिया गया है। परन्तु इनका नियन्त्रण प्राय एजन्ट के मार्फत ही होता रहता है।

भारत सरकार का पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट भारतवर्ष की तमाम रियासतो के शासन के लिये जिम्मेवार है। यह सीधा वाइसराय के मातहत काम करता है। पर उन्हे तफसीलो की तरफ ध्यान देने का अवकाश कहाँ से हो ? इसलिए असल मे सारे महकमे का नियन्त्रण पोलिटिकल सेक्रेटरी के हाथो मे ही रहता है। वाइसराय को तमाम जानकारी अपने इस सेक्रेटरी से ही मिलती है, जिसके मातहत और भी कितने ही ऑफिसर है जिन्हे एजन्ट टु दी गवर्नर जनरल, पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट कहते है।

एजन्ट टु दि गवर्नर जनरल के मातहत अनेक रियासते होती है और और उसका सम्बन्ध सीधे वाइसराय से होता है। उसके मातहत अनेक पोलिटिकल एजन्ट होते है। इन प्रत्येक के मातहत कुछ रियासते हैं। रेसिडेन्ट उस पोलिटिकल ऑफिसर का नाम है, जो अकेली बड़ी बडी रियासतो पर ध्यान देता है।

इन तमाम अफीसरो को बहुत व्यापक और अलग अलग अधिकार होते हैं। उनका न तो कहीं खुलासा है और न ऐसा खुलासा करने का यत्न कभी किया गया है। यह रियासत का महत्त्व, नरेश का स्वभाव और पोलिटिकल ऑफिसर की मर्जी पर निर्भर रहता है। कभी कभी तो वह बहुत छोटी छोटी बातो मे भी दस्तदाजी करता है, तो कभी नरेशों से बड़े बडे

घृणित अपराध हो जाने पर और भयंकर कुशासन होने पर भी हस्तक्षेप करने से इन्कार कर देता है। राजा अगर कमजोर है तो रोजमर्रा की बातों में भी पोलिटिकल एजेन्ट टाँग अड़ाने लगता है, तो कभी राजा के दबंग होने पर वह बहुत सोच समझ कर दस्तन्दाजी करने की जरूरत देखता है। हाँ उसे हमेशा साम्राज्य सरकार और भारत सरकार की नीति और हिदायतों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। फिर इनकी सत्ता रियासतों के आकार प्रकार पर भी कुछ निर्भर रहती है। खास तौर पर छोटी रियासतों पर इन अधिकारियों को बहुत व्यापक अधिकार होते हैं। पर सबसे अचरज की बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि ये अधिकार क्या होते हैं। सारा काम पूरी गुप्तता के साथ होता है, जिसके कारण नरेशों पर इस महकमे का भयंकर आतंक रहता है। पर कोई इसका अर्थ यह न करे कि प्रजा-जन पोलिटिकल डिपार्टमेंट के पास इन नरेशों की शिकायत ले कर जावे तो वह उनकी सहायता करता होगा। ऐसा जरा भी नहीं। डिपार्टमेंट तो जैसी अपनी सुविधा देखता है वैसा करता है। उसे तो साम्राज्य से मतलब है। वह नरेशों को जन जागृति का डर दिखाता रहता है और जनता को सन्धियों और सुलहनामों का बहाना बताकर इनकी निरंकुशता को बरकरार रखता है। इस तरह अपने इस दुधारे के बलपर उसने अपनी निरंकुशता की रक्षा अब तक की है।

इसके मातहत अट्ठाईस बड़ी, जिनके राजा-नवाबो को सलामी का हक है, और सत्तर छोटी रियासते है, जिनके नरेशो को सलामी का हक नही है।

डेक्कन स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १९३३ मे उन रियासतो को अलहदा करके किया गया, जो अब तक बम्बई के मातहत थी। इनका एजेन्ट कोल्हापुर का रेजिडेण्ट है, जिसके मातहत ये दूसरी छोटी-छोटी सोलह रियासते कर दी गई है।

ईस्टर्न स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण भी सन् १९३३ मे हुआ। अब तक जो रियासते मध्यप्रदेश, बिहार और उडीसा के मातहत थी, उन्हे इस एजेन्सी मे रख दिया गया है। इनकी सख्या ४० है। मयूरभज, पटना, बस्तर और कालाहण्डी इनमे से मुख्य है। इनका एजेन्ट राची मे रहता है, जिसके मातहत एक सेक्रेटरी और एक पोलिटिकल एजेण्ट भी है, जो सम्बलपुर मे रहता है।

गुजरात स्टेस्ट्स एजेन्सी का निर्माण भी उसी वर्ष (१९३३) मे किया गया था। बम्बई की मातहत की ग्यारह बडी सलामी की हकदार और सत्तर छोटी रियासते या जागीरे इसके नियन्त्रण मे कर दी गई हैं। बडौदा का रेजिडेन्ट इनके लिए गवर्नर जनरल का एजेन्ट है। इन रियासतो मे राजपीपला मुख्य है। रेवा-कॉठा एजेन्सी भी इसी एजेन्सी के मातहत है।

मद्रास स्टेट्स एजेन्सी इनसे दस वर्ष पहिले बनी थी। इसके मातहत त्रावणकोर और कोचीन ये दो बडी रियासते हैं। एजेन्ट का मुकाम त्रावणकोर मे रक्खा गया है।

सीमांत एजेन्सी के मातहत चित्राल सहित पाच रियासते हैं। सीमा-प्रान्त का गवर्नर खुद इनके लिए एजेन्ट मुकर्रर है।

पजाब स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण १९२१ मे हुआ था। इसके मातहत १४ रियासते हैं, जिनमे भावलपुर के नवाब मुस्लिम और पटियाला

के नरेश सिख हैं। सन् १९३३ में खैरपुर को भी इन्हीं के साथ इस एजेन्सी में जोड़ दिया गया है।

राजपूताना स्टेट्स एजेन्सी का सदर मुकाम माउण्ट आबू पर रक्खा गया है। बीकानेर और सिरोही इनके सीधे मातहत हैं। इनके अलावा बाईस दूसरी रियासतें हैं, जो जयपुर के रेजिडेन्ट, मेवाड़ के रेजिडेन्ट, दक्षिणी राजपूताना स्टेट्स के पोलिटिकल एजन्ट, पूर्वी राजपूताना स्टेट्स के एजेन्ट और पश्चिमी राजपूताना स्टेट्स के रेजिडेन्ट के मातहत कर दी गई हैं। इनमें से टोंक और पालनपुर के शासक मुस्लिम हैं और भरतपुर तथा धौलपुर के नरेश जाट हैं। शेष में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर प्रधान राजपूत राज्य हैं।

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट्स एजेन्सी का निर्माण सन् १९२४ में किया गया। तब से काठियावाड़ की रियासतें, तथा कच्छ और पालनपुर की एजेन्सियों को बम्बई के मातहत से हटाकर गवर्नर जनरल के मातहत रख दिया गया। महीकांठा एजेन्सी को भी सन् १९३३ में इनके साथ जोड़ दिया गया। इनका **एजेन्ट राजकोट** में रहता है, जिसके मातहत, **साबरकांठा**, तथा पूर्वी और **पश्चिमी काठियावाड़ के पोलिटिकल एजेन्टस्** काम करते हैं। इन सबके मातहत कुल मिलाकर कच्छ, जूनागढ़, नवानगर, और भावनगर सहित, सोलह सलामी के हकदार नरेशों की और दो सौ छत्तीस रियासतें या जागीरें छोटी हैं, जिनके शासकों को सलामी का हक नहीं है। इनके अलावा भी प्रान्तीय सरकारों के मातहत कुछ रियासतें रह गई हैं। उदाहरणार्थ—

आसाम में - मणिपुर तथा खासी और जयन्तिया की १६ पहाड़ी रियासतें।

बंगाल में—कूच बिहार और त्रिपुरा

पंजाब में—शिमला की पहाड़ियों की अठारह छोटी रियासतें जिनको सलामी नहीं [illegible] है।

युक्त प्रान्त में—रामपुर, काशी, जिनका निर्माण १९११ मे हुआ और हिमालय की टेहरी गढवाल रियासत।

: ३ :

नरेश और उनका शासन

देशी राज्यो के शासको अर्थात् राजाओ और नवाबो का व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन तथा शासन लगभग एकसा होता है। कुछ मामूली फेरफार के साथ उनकी टकसाली कहानी यो कही जा सकती है:—

नरेशो का बचपन अत्यन्त लाड प्यार मे गुजरता है। महलो मे इनकी माता ही अकेली रानी नही होती। उसके अलावा इनकी कितनी ही सौतेली माताए होती है, जिनमे बेहद ईर्ष्या द्वेष होता है इस वजह से युवराज की जान सदा खतरे मे रहती है। इस खतरे से बचाने के लिए उसे लगभग कैदी की सी हालत मे रक्खा जाता है। हमेशा खुशामद का वातावरण रहने के कारण बचपन से ही इनकी आदते बिगडने लगती है।

राजकुमारो की शिक्षा के लिए देश मे राजकोट, अजमेर, इन्दौर और लाहौर इस तरह चार कॉलेज है। सफल, चरित्रवान, और प्रजा की सेवा करने वाला शासक बनाने की अपेक्षा इन्हे यहाँ आज्ञाधारक साम्राज्य सेवक बनाने की तरफ ही अधिक ध्यान दिया जाता रहा है। इसके बाद उन्हे उच्च शिक्षा के लिए इगलेड भेजने की प्रथा भी रही है। यह उच्च शिक्षा इनके लिए और भी हानिकर साबित होती है। युवराज अपने प्रजाजनो से दूर पड जाता है, जवानी के जोश मे वह विदेशो मे अनेक नये आचार, नये विचार और कई ऐसी नई बाते सीख लेता है कि अपने प्रजाजनो से प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के बजाय वह उनको मूर्ख और गंवार समझ उनसे हमेशा दूर ही दूर रहने का यत्न करने लगता है, यहाँ

तक कि अधिकार मिलने के बाद भी वह अपना अधिकतर समय बाहर बिताता है। माननीय स्व० श्री निवास शास्त्री ने एक बार नरेशों की विदेश यात्राओं के बारे में कहा था "आप लन्दन, पेरिस या विएना में फैशनेबल शहर में चले जाइए। वहां आपको कोई हिन्दुस्तानी राजा जरूर मिल जावेगा, जो अपनी अतुल संपत्ति से वहां के लोगों को चकित कर रहा होगा और अपने संपर्क में आने वालों को पतित और भ्रष्ट बना रहा होगा।"

नरेशों के चरित्र और तरह तरह के घृणित व्यसनों के विषय में कुछ न कहना ही भला है। बड़े बड़े अंतःपुर, वहाँ का गन्दा वातावरण और उनके अन्दर कैदी का सा जीवन बितानेवाली असंख्य रानियाँ दासियाँ और रखेलों का दयनीय जीवन ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। परन्तु फिर भी उन्हें इतने से संतोष नहीं होता। अपने हैरम वालों तथा देश विदेश की यात्राओं में यथा संभव इनके अन्तःपुर में और भी वृद्धि होती ही रहती है।

कपडे की मिले हैं। दूसरी कुछ रियासतो मे जिन-प्रेस वगैरा है। और जहाँ कुछ ऐसे कारखाने है वही कुछ थोडी सी जान और जागृति भी दिखाई देती है। अन्यथा तमाम रियासते एक दम पिछडी हुई है। खेती और सरकारी नौकरी के अलावा वहाँ आजीविका का कोई जरिया नही होता। तमाम पढे-लिखे लोग और साहसी व्यापारी अन्धकार और प्रतिक्रिया के इन अधे कूओ से निकलकर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पास पडौस के ब्रिटिश प्रान्तो मे चले जाते है। राजपूताने की रियासतो मे आज भी गुलामी की कुप्रथा कायम है। दारोगा, चाकर, हुजूरी वगैरा गुलाम जातियो का वहाँ पशुओ के समान देन लेन होता है। इनकी न कोई सपति होती और न घरबार। वे अपने मालिको की सपत्ति होते है और लडकियो की शादी के समय दासदासियो के रूप मे इन्हे लड़की के साथ भेज दिया जाता है और तब से ये इस नये परिवार की संपत्ति बन जाते है।

बेगार लग-भग सभी रियासतो मे जारी है यद्यपि कुछ रियासतो मे वे कानूनन मना हैं। नाई, धोबी, खाती, दरजी सबको बेगार देना पडती है। छूटने की कोई आशा नही होती।

रियासतो मे कर तो प्रायः अधिक होते ही हैं। किन्तु इसके अलावा छोटी छोटी रियासतो मे अनगिनत लाग-बागे होती हैं। बैरिस्टर चुडगर अपनी पुस्तक "इन्डियन प्रिन्सेस" मे लिखते हैं किसानो की ६० प्रतिशत् से भी अधिक आय इन करो में ही चली जाती है।

कानून असल मे प्रजा की इच्छा और जरूरत के अनुसार उसीके द्वारा बनाये जाने चाहियें। इस अर्थ में रियासतो मे कोई कानून नहीं होता। कानून और शासन दोनो वहाँ राजा के व्यक्तित्व मे केन्द्रित हो जाते है। कानून उसके जबान से निकलते है और दौलत उसकी नजर मे होती है। कहीं कहीं अंग्रेजी इलाको मे प्रचलित कानून जारी कर दिये गये है। पर उनमे भी कोई स्थायित्व नहीं होता। नरेश जब चाहे उन्हे उठा

सकता है, संशोधन कर सकता है या मुल्तवी कर सकता है। जिसको जी चाहे उठाकर मनमाने समय तक जेल भिजवा सकता है, या रियासत से निकाल बाहर भी कर देता है और इसके लिये किसी कारण आरोप या जाँच की जरूरत नहीं होती। हर किसी की सम्पत्ति जब्त की जा सकती है और अदालतों में चल रहे मामले भी रोके जा सकते हैं। कोई प्रजा जन अपने नरेश पर उसके अफसरों के खिलाफ वचन भंग या अधिकारों के अपहरण के लिये अदालत में मामला भी नहीं चला सकता। किसी सरकारी अफसर के द्वारा अगर ऐसा गुनहा भी हो जाय, जिसका सरकार या सरकारी काम से कोई ताल्लुक न हो तो भी बगैर नरेश की आज्ञा के उसके खिलाफ कोई मामला नहीं चलाया जा सकता। राज्य में सभा-संगठन करने और अखबारों के प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रायः कोई कानून नहीं होता। छोटे राज्यों में बगैर राजा सा० की आज्ञा के कोई सभा-सम्मेलन नहीं किये जा सकते और अगर कहीं कोई ऐसी सभा वगैरह कर भी लेता है तो फौरन् पुलिस की दस्तन्दाजी होगी और ऐसी दस्तन्दाजी के खिलाफ वहाँ कोई उपाय काम नहीं देता।

सरकारी नौकरियों के विषय में कोई खास नीति नहीं होती। सबसे बड़ा अधिकारी दीवान होता है जो प्रायः या तो राजा का कोई प्रीतिपात्र या रिश्तेदार होता है या पोलिटिकल डिपार्टमेंट का अपना आदमी होता है।

दीवान अपने साथ बाहरी आदमियों का प्रायः एक दल लाता है जो उसके विश्वासी होते हैं। यों भी आम तौर पर रियासतों में प्रायः ऊँचे ओहदे पर बाहरी आदमियों को ही रक्खा जाता है जो स्थानीय आदमियों की अपेक्षा अधिक आज्ञाधारक और वफादार माने जाते हैं। यह मान्यता एकदम गलत भी नहीं। क्योंकि इन बाहरी आदमियों को मर्जी पर दीवान या नरेश रखते हैं। जनता में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं रहने के कारण नरेशों और उनके दीवानों के मनचाहे हुक्मों के अमल में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पर प्रायः इन स्थानों पर

स्थानीय आदमी होते हैं, तो उनके मित्र, रिश्तेदार जात-बिरादरी वाले, जान पहचान के लोग भी समाज मे होते है। अतः कोई भी बुरी बात करते समय स्थानीय आदमियो को यह ख्याल हो सकता है कि ये सब लोग उन्हे क्या कहेगे ? शाहर के आदमियो को ऐसा कोई विचार या डर नही होता। इसलिए नरेशो और दीवानो की निरकुशता मे ये उनका पूरा साथ देते हैं। राज्य के हिसाब-किताब मे भी सफाई कम ही रहती है। राज्य-कोष मे से कितना नरेश पर तथा उसके परिवार पर खर्च होता है इस विषय मे निश्चित मर्यादा बहुत कम रियासतो में होती है और जहाँ यह होती है वहाँ भी उसका पूरे विवेक और कडाई के साथ शायद ही पालन होता है। अनेक नरेश रियासत के खजाने और जेब-खर्च मे बहुत कम भेद मानते है और उनकी विदेश-यात्राये, प्रीतिपात्रो को इनाम तथा अन्य प्रकार से जो खर्च होता है वह मुकर्रर खर्च से कहीं बढ जाता है। नरेन्द्र मण्डल के १०६ सदस्य नरेशो मे से केवल ५६ नरेशो ने अपना जेब-खर्च निश्चित किया है।

छोटी रियासतो मे यह विवेक और भी कम रहता है। फलतः प्रजा जनो की सेवा और जीवन-सुधार सम्बन्धी कामो के लिए कमी पड जाती है और जब कभी इन कामो के लिये मॉग की जाती है तो यही जवाब मिलता है कि बजट मे कोई गुंजाइश नही है। सरकारो की तरफ से ऐसा जवाब मिलना तो स्वाभाविक ही है। पर अब खुद प्रजाजनो को नरेशो का खानगी खर्च कम करने पर जोर देना चाहिए। उसकी अब निश्चित प्रतिशत मुकर्रर कर दी जाय और वह कम से कम हो, ताकि लोक-सेवा के लिये राज्य-कोष का अधिक से अधिक हिस्सा बचाया जा सके।

व्यक्तिगत रूप से नरेश राज-काज मे बहुत कम दिलचस्पी लेते हैं। हमेशा स्वार्थियो और खुशामदियो का झुण्ड उन्हे घेरे रहता है, जो इस बात की खूब सावधानी रखता है कि उनके गिरोह को और उनके जैसे विचार वालो को छोडकर किसी दूसरे प्रकार का आदमी नरेश तक न

पहुँचने पाये जिससे उनके स्वार्थ सुरक्षित रहें। कागजात और मिसलें वर्षों नरेशों की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं। कुछ नरेश इतने सुस्त, विलासी और निष्क्रिय रहते हैं तथा कम ध्यान देते हैं कि अनेक मर्तबा उन्हें यह भी पता नहीं रहता कि किन मामलों में उन्होंने किस प्रकार के निर्णय पर हस्ताक्षर किये हैं।

बहुत कम रियासतों में वैधानिक शासन के चिन्ह हम देखते हैं। कुछ बड़ी-बड़ी रियासतों में धारा सभायें बन गई हैं। पर उनमें सरकारी और गैर सरकारी नामजद सदस्यों की बहुत अधिकता है। और इतने पर भी अधिकार कुछ-नहीं के बराबर हैं। ये धारासभायें क्या हैं, निरी वाद-विवाद सभायें हैं। उनके निर्णयों का महत्व सलाह से अधिक नहीं होता। जिन्हें नरेश किसी हालत में मानने को बाध्य नहीं हैं।

केवल चौंतीस रियासतें ऐसी हैं, जिनमें न्याय विभाग तथा शासन विभाग को अलग-अलग रखने का यत्न किया गया है! वर्ना अधिकांश इनमें प्राय: कोई तमीज नहीं करतीं। न्याय विभाग पर राजा का पूरा नियन्त्रण होता है। चालीस रियासतों में हाईकोर्टों की स्थापना हो चुकी है जिनमें से कुछ में अंग्रेजी भारत की तरह कानून के अनुसार न्याय देने का यत्न होता है। **पर याद रहे, राजा पर किसी कानून की सत्ता नहीं होती। यही नहीं, बल्कि उसके आदेशानुसार काम करने वाले कर्मचारियों पर भी कानून का असर कम ही होता है।** अधिकांश रियासतों में तो निश्चित कानून के अभाव में मनमानी ही चलती रहती है। प्रजाजनों या पीड़ितों को शिकायत या अपील करने तक की गुंजाइश नहीं रहती। जब पिछला गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट बना तो रियासती जनता के मौलिक अधिकारों का जिक्र तक करना असम्भव हो गया क्योंकि उस पर नरेश राजी ही नहीं होना चाहते थे। यह तो हुआ बड़ी रियासतों का हाल।

छोटी रियासतो की कहानी और भी दुःखदायी है। उनके नरेश तो एक दम निरकुश होते है। अपनी सत्ता का केवल एक ही उपयोग वे जानते हैं। प्रजाजनो को मनमाना तग करना, उनसे पैसा चूसना, और अपने ऐशो-आराम मे तथा दुर्गुणो मे एव व्यसनो मे उसे बरबाद करना। न्याय-विभाग और पुलिस अगर होते भी है तो पतित और भ्रष्ट। अन्याय और जुल्म के साधन बन जाते हैं। कर अन्यायपूर्ण और असह्य होता है। भाषण, सगठन और मुद्रण जैसी मामूली नागरिक स्वाधीनता का भी वहाँ नामोनिशान नहीं होता।

नरेश अपने स्वार्थ और विषय-विलासो पर अनियन्त्रित खर्च करते रहते है। लोग अत्यन्त दरिद्र है। लाखो लोगो को दिन में एक बार भी पेट भर भोजन नही मिल सकता। राज और राज के कर्मचारी प्रजाजनों को यमराज के समान भयकर और दुष्ट मालूम होते हैं। क्योंकि वे मानते है कि उनका जन्म प्रजाजनो से केवल पैसे वसूल करने के लिये ही हुआ है। और प्रजाजनो को उनकी टहल-चाकरी करने के लिये बनाया गया है। इनके अत्याचारो का वर्णन करना असभव है। वह जानते है, जिनपर बीतती है।

लन्दन टाइम्स ने सन् १८५३ मे रियासतो के सम्बन्ध मे एक लेख लिखा था जिसमे छोटी बडी रियासतो मे चल रही अन्धेर का चित्र और कारण भी खूब अच्छी तरह थोडे मे प्रकट किया गया है:—

"पूरब के इन निस्तेज और निकम्मे राजा नामधारियो को जिन्दा रख कर हमने उनके स्वाभाविक अन्त से उनकी रक्षा कर ली है। बगावत के द्वारा प्रजाजन अपने लिए एक शक्तिशाली और योग्य नरेश ढूंढ लेते है। जहाँ अब भी देशी नरेश है, हमने वहाँ के प्रजाजनो के हाथों से यह लाभ और अधिकार छीन लिया है। यह इल्जाम सही है कि हमने इन नरेशो को सत्ता तो दे दी, पर उसकी जिम्मेदारी से उन्हें बरी [illegible]

नरेशों के निरंकुश निजी खर्च, इनकी शान-शौकत, व्यसनाधीनता, अजीब और निकम्मे रस्मोरिवाज और इन सब में होने वाली धन की बरबादी, कुत्ते, घोड़े, महलों में पलने वाले असंख्य नौकर-चाकर और बाँदा बाँदियों की फौज, बेरहम मारपीट, कानूनी शासन का सर्वथा अभाव, किसानों का शोषण इत्यादि ने रियासती जनता को राजनैतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इतना पीछे रख दिया और गिरा दिया है कि जिसकी ठीक ठीक कल्पना बाहर के लोग नहीं कर सकते। रियासतों के प्रश्न को सुलझाने में हमारे सामने सबसे प्रमुख विचार रियासती जनता का रहेगा तभी उसका उचित हल हम निकाल सकेंगे।

: ९ :

वे दावे और उनकी वास्तविकता

नरेशों का और उनके शासन का यह एक मोटा सा चित्र है। इसकी तफसीलों में आज के बदले हुए जमाने में जाना बेकार है। आज तो भूत की अपेक्षा भविष्य की समस्याओं पर ही अधिक विचार करने की जरूरत है। फिर भी प्रश्न की सारी बातों का यथावत् ज्ञान हो जाय इस ख्याल से रियासतों और नरेशों की पूर्वस्थिति का जो अब तक लगभग ज्यों की त्यों कायम है—एक मोटा सा चित्र दे दिया गया है। हर-कोई जानता है कि किसी भी स्वतन्त्र देश में नरेशों का ऐसा वर्ग एक मिनट भी नहीं टिक सकता। पर इस विदेशी सत्ता ने उसे यहां अपने स्वार्थ के लिए अब तक डंडे के बल पर टिका रखा है। सन् १९२१ में हिन्दुस्तान में जिस उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ, हिन्दुस्तान के प्रश्न पर ब्रिटेन के विचारशील लोगों का भी ध्यान जोरों से गया। अंग्रेज सरकार भी इस बात को जान गई कि अब राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति का रोकना असम्भव है और शासन-सुधार के तरीकों की चर्चा शुरू हुई। पर स्पष्ट था कि अब शासन का नया ढांचा बने शासन ही,

हो सकता है। पर इस सघ मे रियासतो की स्थिति क्या होगी? उनका भीतरी शासन कैसा होगा, समस्त देश के साथ उनका सम्बन्ध कैसा होगा, इत्यादि प्रश्न खडे होते गये। और राज्यो मे उत्तरदायी शासन स्थापित करने की माग होने लगी।

इस सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कहा गया कि नरेशो का सवाल बिलकुल जुदा है। उनका सम्बन्ध सीधा सम्राट से है। साम्राज्य सत्ता उनके साथ सधियो और सुलहनामो से बधी है। और इनके अनुसार नरेशो के प्रति सार्वभौम सत्ता के कुछ निश्चित कर्त्तव्य है जिनका पालन करने के लिए वह वचन बद्ध है। इस चर्चा ने नरेशो को भी अपनी सन्धियो की याद दिलाई। उसमे उन्होने देखा कि हमारी स्थिति तो अगरेजी सल्तनत के साथ मे समानता की है और हमारा सबध सीधा सम्राट से है। नरेशो ने सोचा कि इस हलचल मे हमे भी अपनी पहले की सी स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके तो कितनी अच्छा हो। नवसगठित नरेन्द्र मण्डल ने भी कुछ प्रमुख नरेशो मे शायद थोडी सी वर्ग चेतना पैदा कर दी। उन्हे एक लम्बे अर्से से यह शिकायत थी कि उनके अधिकारो पर पिछले सौ वर्षो मे अनेक बार गैर कानूनी और अन्याय पूर्ण आक्रमण हुए है। इस अन्याय की शिकायत करते हुए नरेश अपनी तरफ से कुछ दावे भी पेश करना चाहते थे। इसलिए सन् १६२७ में उनमे से कितने ही नरेशो ने यह मांग भी की कि साम्राज्य सत्ता के साथ उनके सम्बन्धो का एक बार खुलासा हो जाना जरूरी है और फिर उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार हो।

लॉर्ड बर्कन हेड उस समय भारत मन्त्री थे, उन्होने इसके लिए एक कमिटी की नियुक्ति कर दी जिसके तीन सदस्य थे—सर हारकोर्ट बटलर मि सिडयूसर पील और मि होल्डस्वर्थ। कमिटी से कहा गया कि वह रियासतो और सार्वभौम सत्ता के बीच के सम्बन्धो के विषय में खासतौर पर—

आज की रियासतें तीन वर्गों में बांटी जा सकती हैं

वर्ग	संख्या	रकबा मीलो में	जन-संख्या	आय करोडो मे
(१)–वे रियासतें जिनके नरेश नरेन्द्र-मण्डलके सदस्य है।	१०८	५,१४,८८६	५,०८,४७,१८६	४२,१६
(२)–वे रियासते जिनका प्रतिनिधित्व नरेन्द्र मण्डल मे उनके नरेशो द्वारा अपने ही अंदर से चुने १२ प्रतिनिधियो द्वारा होता है।	१२७	७६,८४६	८०,०४,४१४	२.८६
(३)–इस्टेटे, जागीरे वगैरा।	३२७	६,४०६	८,०१,६७४	.७४

रिपोर्ट में जो सुझाव है वे मुख्यतया प्रथम दो वर्ग की रियासतो से सम्बन्ध रखते है। उनमे लिखा है—

"रियासतो के सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार की नीति में समय-समय पर कई परिवर्तन हुए—

(क) शुरू मे निश्चित क्षेत्रो और विषयो को छोड कर रियासतो के भीतरी मामलो मे कोई हस्तक्षेप न किया जाय, यह नीति रही।

(ख) बाद मे लार्ड हेस्टिंग्ज की सलाह के अनुसार रियासतो को मातहत के तौर पर रक्खा गया और उन्हे शेष भारत से सावधानी के साथ अलग रखने की कोशिश की गई। कालान्तर मे यह नीति भी बदली और

(ग) आज रियासतें तथा सार्वभौम सत्ता के बीच कुछ-कुछ इस प्रकार का सम्बन्ध है कि दोनों मिलकर सहयोग पूर्वक आगे बढ़ें।

"तदनुसार ता० ८-२-१९२१ को शाही फर्मान द्वारा सम्राट ने नरेन्द्र-मण्डल की स्थापना की। कुछ बड़े-बड़े नरेशों ने उसमें जाने से इन्कार कर दिया। फिर भी मण्डल का निर्माण और उसकी स्थायी समिति की रचना एक जबर्दस्त घटना थी। क्योंकि इसमें सरकार ने रियासतों को एक दूसरे से और शेष भारत से अलग रखने की नीति को छोड़कर उनके सहयोग की इच्छा प्रकट की है।

"हम भी इस बात को मानते हैं कि रियासतों और सार्वभौम सत्ता के बीच का सम्बन्ध दरअसल उनके और सम्राट के बीच का सम्बन्ध ही है। और उनके साथ हुई सन्धियां मरी नहीं, जिन्दा और बन्धनकारक है। यद्यपि ऐसी सन्धियोंवाली रियासतों की संख्या कुल चालीस ही है। परन्तु यहां सन्धियों में इकरारनामों और सनदों का भी समावेश कर दिया गया है।

"पर सार्वभौम सत्ता और रियासतों के बीच डेढ़ सौ वर्ष पहले की गई सन्धियों के आधार पर कायम किया गया यह सम्बन्ध केवल नींद की वस्तु नहीं है। यह तो जैसा कि प्रो० वेस्ट लेक ने कहा है, इतिहास, सिद्धान्त और प्रत्यक्ष वर्तमान की घटनाओं से उत्पन्न परिस्थिति और नित्य परिवर्तनशील नीति के आधार पर बढ़ने वाली विकासशील जिन्दा वस्तु है।"

सार्वभौम सत्ता को ही है । वही अन्तराष्ट्रीय मामलो मे रियासतो का प्रतिनिधित्व कर सकती है और उसके इस हक को कानून ने भी मजूरी दी है, जो उसे सन्धियो से और अधिकाश मे रूढि तथा प्रत्यक्ष व्यवहार से प्राप्त है ।

" अभी-अभी तक सार्वभौम सत्ता केवल अन्तर्राष्ट्रीय मामलो मे ही नही, उनके आपसी व्यवहारो मे भी रियासतो की तरफ से उनका प्रतिनधित्व करती रही । परन्तु वर्तमान शताब्दी मे परिस्थितियाँ इतनी बदल गई है कि रियासतो के आपसी सम्बन्ध मे आवागमन वगैरा बहुत बढी गये हैं ।

"भीतरी उपद्रवो या बगावतो से रियासतो की रक्षा करने के लिये सार्वभौम सत्ता वचन बद्ध है । यह कर्तव्य उसे सन्धियो, सनदो वगैरा क शर्तों के अनुसार प्राप्त है । नरेशो के अधिकार, प्रतिष्ठा वगैरा को अक्षुण्ण बनाये रखने के सम्बन्ध मे स्वयं सम्राट ने भी वचन दिया है ।

"सम्राट के इस वचन के अनुसार उनपर यह कर्तव्य-भार भी आता है कि अगर किसी नरेश को हटाकर रियासत मे दूसरे प्रकार के यानी लोकतंत्री शासन की स्थापना का प्रयत्न हो, तो उससे भी नरेश की रक्षा की जाय । और अगर इस तरह के प्रयत्न की जड मे कुशासन नही, बल्कि शासन के परिवर्तन के लिये जनता की व्यापक माँग हो तो सार्वभौम सत्ता को नरेश की प्रतिष्ठा, अधिकार और विशेषाधिकारो की रक्षा तो करनी ही होगी, परन्तु साथ ही उसे कोई ऐसा उपाय भी सुझाना होगा, जिससे नरेश को न हटाते हुए भी प्रजा की माँग की पूर्ति हो सके । पर आज तक ऐसी नौबत नही आई है और शायद आगे भी न आवे, अगर नरेश का शासन न्यायपूर्ण और सक्षम होगा और खास तौर पर लॉर्ड इर्विन की सलाह पर, जिसको नरेन्द्र-मण्डल ने भी माना है, देशी नरेश अमल करे ।'

इस घोषणा में लॉर्ड इर्विन ने नरेशो को सलाह दी है कि वे अपना जेब-

खर्च बाँध ले, रियासत की नौकरियो में स्थायित्व निर्माण करें और न्याय-विभाग को स्वतंत्र एवं तेजस्वी बना ले।

"फिर भी नरेशो के एक सचमुच गम्भीर भय (यह कि कहीं सार्वभौम सत्ता रियासतो के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यो को उनकी सम्मति के बगैर ब्रिटिश भारत मे आनेवाली भारतीय सरकार को—जो कि धारासभा के प्रति जिम्मेदार होगी—न सौंप दे) की तरफ ध्यान दिलाये बगैर हम नहीं रह सकते। इस सम्बन्ध मे हम यहाँ पर अपनी यह राय बलपूर्वक पेश कर देना अपना कर्तव्य समझते है कि नरेशो और सार्वभौम सत्ता के बीच पुराना ऐतिहासिक सम्बन्ध है। अत. नरेशो को जब तक वे राजी न हो जायँ, भारतीय धारासभा के प्रति जिम्मेदार रहने वाली किसी नई सरकार के आधीन न सौंप दिया जाय।"

नरेशो का भय और साम्राज्य सरकार की चिन्ता दोनो अध्ययन करने की वस्तु है। इतने लम्बे अरसे से जो प्यारे आश्रित रहे हैं, उनको अंग्रेज भी स्वतंत्र भारत के अथाह समुद्र मे कैसे ढकेल दें ? यह प्रेम सम्बन्ध कितना पवित्र है, नरेशो को उनकी तथा-कथित सन्धियो के अनुसार ब्रिटिश सरकार के मातहत कितना सम्मानजनक (या अपमान-जनक) स्थान रहा है तथा इस सम्बन्ध में सार्वभौम सत्ता का कितना स्वार्थ है इसका पता भी बटलर कमिटी की सिफारिशो और रिपोर्टों के अध्ययन से लग सकता है।

भारतीय नरेशों को अपने राजत्व की रक्षा की बड़ी चिन्ता है और इसके लिये वे अपने पुरखों के साथ की गई सन्धियों वगैरा की दुहाई देते हैं। पर दरअसल वे साम्राज्य सरकार की दया पर ही जिन्दा हैं, क्योंकि खुद साम्राज्य सरकार का इसमें स्वार्थ था। देखिये वास्तविक स्थिति क्या है :

कमिटी ने ढेरों सबूत एकत्र किये, नरेशों की तरफ से नियुक्त किये गये नामी वकीलों की बहस भी सुनी। उसके बाद वह जिस नतीजे पर पहुँची है, उसका सार इस प्रकार है:—

(अ) रियासतों की कोई अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नहीं

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा न० ३६ मे लिखा है :—

"ऐतिहासिक तथ्य से यह कथन मेल नही खाता कि ब्रिटिश सत्ता के संपर्क मे देशी रियासते जब आई तब वे स्वतंत्र थीं, प्रत्येक राज्य पूर्णतया सर्व सत्ता धारी 'सावरिन' था और उसको वह प्रतिष्ठा थी, जिसे एक आधुनिक वकील की राय मे अन्तराष्ट्रीय कानूनो के नियमानुसार सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कहा जा सकता हो। सच तो यह हैं कि इन रियासतो मे से एक को भी अन्तराष्ट्रीय प्रतिष्ठा नही थी। प्रायः सब रियासते मुगल साम्राज्य, मराठो या सिक्खो की सत्ता के आधीन या मॉडलिक थीं। कुछ को अंग्रेजो ने छोटा बना दिया और कुछ का नया निर्माण किया।"

(आ) उनकी स्वतंत्र सत्ता भी नहीं थी

कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के ४४ वे पैरे मे लिखा है:—

यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि आज कल के राजनीतिज्ञों की भाषा मे 'राजत्व' का तो विभाजन हो सकता है, परन्तु स्वतन्त्रता का नही। 'आंशिक स्वतन्त्रता' शब्दो का प्रयोग भी साधारणतया किया जाता है। पर वह तो सरासर गलत है। इसलिये भारत में 'राजत्व' या 'राज-सत्ता' अनेक प्रकार की पाई जा सकती है। परन्तु स्वतंत्र राज-सत्ता तो केवल ब्रिटिश सरकार ही है।"

असल मे जिनको सुलहनामा कहा जा सकता है, हिन्दुस्तान की २६२ रियासतों में से सिर्फ ४० रियासतो के साथ ही हुए है। (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा १२)।

शेष रियासतो मे से कुछ के साथ इकरारनामे है, तो कुछ को सनदे दी हुई हैं। और जिनके साथ इन दो मे से एक भी सम्बन्ध नहीं, उनका

नियन्त्रण रूढ़ी और शुरू से चले आये तथा समय समय पर बदलने वाले व्यवहार के अनुसार होता है।

सुलहनामे १७३० से लेकर १८५८ तक के है। ये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरो और नरेशों के बीच व्यक्तिगत हैसियत मे नही, बल्कि अपनी रियासतों के वैधानिक शासक की हैसियत से पारस्परिक बचाव या सम्मिलित रूप से आक्रमण करने के लिए की गई मित्रता की सन्धियो के रूप मे हुए हैं। रियासत (स्टेट्स) शब्द में जनता भी शामिल है।

ये तमाम सुलहनामे एकसे नहीं हैं। जिस वक्त जैसा मौका या हेतु रहा है, वैसी उनकी शर्तें या स्वरूप है। इसलिए तमाम रियासतो के लिए अधिकारो या उनके प्रति जिम्मेदारियो का सर्वसामान्य नाप इनमे नहीं पाया जाता।

इन तमाम सुलहनामो में एक आश्वासन साफ तौर से प्रकट या अप्रकट रूप मे पाया जाता है। यह की अगर नरेश का शासन सन्तोष-जनक रहा तो साम्राज्य सत्ता राज्य की (व्यक्तिगत नरेशों की नहीं) रक्षा करेगी।

समय और परिस्थितियो के परिवर्तन और राजनैतिक व्यवहारों के साथ-साथ इन सुलहनामो का महत्त्व और मूल्य बहुत कम हो गया है।

इन सुलहनामो के बावजूद और स्वतन्त्र रूप से भी सार्वभौम सत्ता ने अनेक कारणों से देशी राज्यो के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने के अपने हक का हमेशा दावा किया है और उस पर अमल भी किया है। सार्वभौम सत्ता के इस अधिकार पर कभी किसी ने उज्र भी नहीं किया है।[1]

---

1 नरेश गण जो भीतरी उपद्रवो से और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित हैं सो अन्ततोगत्वा ब्रिटिश सरकार की कृपा की बदौलत ही। जब साम्राज्य के हितों का सवाल होगा, या किसी कुशासन के मामल

नरेशों की तरफ से उनके अधिकारों की पैरवी करने के लिए सर लेस्ली स्कॉट मुकर्रर थे। कमिटी के सामने उनकी बहस कई दिन तक जारी रही। वह सब सुन लेने के बाद बटलर कमिटी ने पाया कि सार्वभौम सत्ता को नीचे लिखी हालतों में रियासतों के मामलों में नियन्त्रण, व्यवस्था और हस्तक्षेप करने का अधिकार है:—

१. वैदेशिक संबंध

(क) विदेशी राज्यों से युद्ध छेड़ना या सुलह करना तथा बातचीत करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना।

(ख) रियासतों के अन्दर विदेशी राज्यों के प्रजाजनों की रक्षा करना।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों में विदेशों में रियासतों का प्रतिनिधित्व करना।

(घ) सार्वभौम सत्ता अगर अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ले, तो उसका पालन रियासतों से करवाना।

(ङ) वैदेशिक अपराधियों को (जो रियासतों में पहुँच गये हों) सौंपने पर रियासतों को मजबूर करना।

(च) गुलाम-प्रथा को मिटाना।

(छ) विदेशी प्रजाजनों के साथ अच्छा सलूक करने पर रियासतों को

की वजह से रिआया के हितों को गम्भीर या दुखदायी हानि पहुंच रही होगी, और इसे दूर करने के लिये किसी उपाय के अवलम्बन की जरूरत होगी तो इसकी अन्तिम जिम्मेदारी सार्वभौम सत्ता की ही होगी। नरेश-गण अपने राज्य की सीमाओंके अन्दर जिस विविध प्रकार की राजसत्ता का उपभोग करते हैं, सो सार्वभौम सत्ता की इस जिम्मेदारी के मातहत ही कर सकते हैं।

मजबूर करना और अगर उन्हें कोई चोट पहुची हो, तो उसका हर्जाना दिलवाना। (बटलर कमिटी की रिपोर्ट पैरा ४६)।

२ रियासतों के आपसी ताल्लुकात

(क) सार्वभौम सत्ता की अनुमति के बगैर रियासते अपने प्रदेश मे से कोई हिस्सा आपस मे दे-ले नहीं सकतीं, बेच नहीं सकतीं या अदल-बदल नहीं कर सकतीं।

(ख) रियासतो के आपसी झगडो को रोकने और तय करने का हक सार्वभौम सत्ता का है।

३. बचाव और संरक्षण

(क) देशरक्षा-विषयक फौज वगैरा का रखना, युद्ध-सामग्री और आवागमन के सम्बन्ध मे अंतिम निर्णय सार्वभौम सत्ता का होगा।

(ख) गत (१९१४ के) महायुद्ध मे तमाम रियासते साम्राज्य की रक्षा के लिए जुट गई और उन्होने अपनी सारी साधन-सामग्री सरकार के सिपुर्द कर दी। यह खुद भी सार्वभौम सत्ता के अधिकार और उसके प्रति रियासतो के कर्त्तव्यो का एक सबूत है।

(ग) रियासतो की रक्षा के लिए सार्वभौम सत्ता रियासतो के अंदर जो कुछ भी करना मुनासिब समझे रियासतो को उसे वह सब करने देना होगा।

(घ) सड़कें, रेलें, हवाई जहाज, डाकघर, तार, टेलीफोन, वायरलेस, केन्टोनमेंट, किले, फौजों के आवागमन, शस्त्रास्त्र तथा युद्ध सामग्री की प्राप्ति वगैरा के विषय में युद्ध की दृष्टि से जो भी आवश्यक होगा उसे रियासतों से प्राप्त करने और करवाने का अधिकार सार्वभौम सत्ता को है। (बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ४७)

४. भीतरी शासन

(क) जब कभी जरूरत या मांग की जायगी, सार्वभौम सत्ता को रियासतो मे शासन-सुधार करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। इसका कारण यो बताया गया है—

"सार्वभौम सत्ता ने भीतरी बगावत से नरेशों की रक्षा करने का जिम्मा तो लिया है, पर उसके साथ-साथ उस पर यह भी जिम्मेदारी आ गई है कि वह इस बगावत के कारणो की जॉच करे और नरेशो से यह चाहे कि वे वाजिब शिकायतो को और तकलीफो को दूर करे। सरकार को इसके लिए उपाय भी सुझाने ही होगे।"

(बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ४७)

(ख) रियासतो मे प्रजाजनो की मागो को पूरी करने के लिए सार्वभौम सत्ता का यह कर्त्तव्य और अधिकार भी है कि वह शासन मे परिवर्तन करने की माग का संतोष करे। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट का ५० वा पैरा खास तौर पर वर्तमान समय मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है—

"सम्राट ने नरेशो के अधिकार और विशेषाधिकारों को एव प्रतिष्ठा तथा शान को ज्यो-का-त्यो कायम रखने का वचन दिया है। उसके साथ उन पर यह भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर नरेश को हटाकर राज्य मे दूसरे प्रकार की (अर्थात् जनतन्त्रीय) सरकार कायम करने का प्रयत्न किया जाय तो उससे भी उसे बचाया जाय। अगर इस प्रकार के प्रयत्न शासन की बुराई की वजह से हुए तो नरेशो की रक्षा केवल पिछले पैरे मे बताये अनुसार ही होगी। पर अगर इनकी तह मे शासन की खराबी नहीं, बल्कि शासन के तरीके मे परिवर्तन करने की व्यापक माग होगी तो सार्वभौम सत्ता को नरेश के अधिकार, विशेषाधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी ही पडेगी। परन्तु साथ ही उसे ऐसे उपाय भी सुझाने पडेंगे, जिससे नरेश को कायम रखते हुए भी जनता की माग की पूर्ति की जा सके।

५, राज्य की भलाई के लिए हस्तक्षेप

रियासत के शासन में जब कभी भयंकर खराबी पैदा हो जायगी तो सार्वभौम सत्ता नीचे लिखे उपाय काम में लावेगी—

(१) नरेश को गद्दी से उतार देना।

(२) उसके अधिकारों में कमी कर देना।

(३) शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई अपना अफसर मुकर्रर कर देना।

(४) वफादारी कबूल करवाना तथा बेवफाई की सजा देना। कई नरेश वफादारी को अपना एक व्यक्तिगत गुण समझते हैं और बार-बार उसका प्रकाशन-प्रदर्शन करते हैं। पर असल में वह एक शर्त है, जिसका पालन उनके लिए लाजिमी है।

(५) घोर अत्याचारों की सूरत में नरेश को सजा देना। मसलन प्रत्यक्ष अन्यायपूर्ण अत्याचार या जंगली सजायें आदि।

(६) गंभीर अपराधों के लिए नरेश को सजा देना।

(बटलर कमिटी रिपोर्ट—पैरा ५५.)

६. झगड़ों के निपटारे और समझाने के लिए

कभी-कभी कोई रियासत इतनी छोटी होती है कि वह एक सरकार की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकती। तब भी सार्वभौम सत्ता को बीच में पड़कर उसकी सहायता करनी होगी।

(ब. क. रि. पैरा ५४)

७ समस्त भारत के हित में

उदाहरणार्थ रेलवे-लाइन डालने, तार या टेलीफोन की लाइन ले जाने, ब्रिटिश भारत के सिक्के जारी करने आदि के विषय में।

(रिपोर्ट पैरा ५५)

८ न्याय-दान में

कई सुलहनामो मे इस बात का उल्लेख है कि ब्रिटिश अधिकारियो को देशी रियासतो के अन्दर कोई अधिकार न होगा, परन्तु छावनियो के अन्दर की फौजो या इसी तरह के अन्य मामलो मे उनको अधिकार होगा।

(रिपोर्ट पैरा ५६)

९. जनरल

बटलर कमिटी अपनी रिपोर्ट के ५७ वे पैरे मे लिखती है—

"सत्ता की सार्वभौमता के ये कुछ उदाहरण और नमूने मात्र है। पर असल मे तो सार्वभौम सत्ता को सार्वभौम ही रहना है। उसे अपने कर्त्तव्य और जिम्मेदारियो को निबाहना ही होगा और यह करते हुए समय की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार तथा रियासतो के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार अपने आपको जब जैसी जरूरत हो, सकुचित या विस्तृत बनाना होगा।"

सार्वभौम सत्ता ने रियासतो के बारे मे समय समय पर जो घोषणाये की हैं और यह कैसे समय समय पर अपने रूप को बदलती रही उसका अध्ययन बहुत मनोरजक है। जब तक नरेश बलवान रहे, उनकी ताकत को तोडने के लिए अग्रेज सरकार अपनी सोची-समझी नीति के अनुसार शुरू-शुरू में कभी प्रजाजनो के हित की, कभी रियासतो के अन्दर सुशासन की, और कभी उनके प्रति सार्वभौम सत्ता की अपनी जिम्मेदारी की दुहाई देकर रियासतो के भीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के अपने अधिकार का समर्थन और अमल करती रही है। परन्तु बाद को जब प्रजाजनों में जागृति फैली और स्वाधीनता तथा उत्तरदायी शासन की माग जोरदार बनने लगी, तो अग्रेजी हुकूमत को दूसरा खतरा दिखाई देने लगा, जो बहुत बडा था। अब नरेशो की प्रतिष्ठा, उनके पूर्वजों के साथ किये गये पवित्र सुलहनामे, वगैरा का बहाना बनाकर (जिनका पर्दा बटलर कमिटी

ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह फाश कर दिया है) उसने लोक-जागृति की बढ़ती हुई ताकत को तोड़ने के यत्न किये। इस मनोवृत्ति का विकास नीचे दिये गये भाषणों और घोषणाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। सन् १८८१ मे लार्ड लिटन ने अपने एक डिस्पैच मे स्टेट सेक्रेटरी को लिखा था:—

"अब ब्रिटिश सरकार तमाम देशी राज्यो को बाहरी आक्रमणो से बचाने के कर्त्तव्य का भार ग्रहण कर रही है। इसके साथ ही वह नरेशों की कानूनी सत्ता की रक्षा एवं प्रजाजनों को कुशासन से बचाने के लिए आवश्यक उपायो के अवलम्बन की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले रही है। समस्त साम्राज्य मे शान्ति बनी रहे तथा प्रजाजनो का सब तरह से भला हो, इस दृष्टि से उसपर यह जिम्मेदारी भी अपने आप आ ही जाती है कि वह नरेशों को यह भी सलाह दे कि उनके शासन का तरीका और उनका स्वरूप क्या हो और इस बात पर जोर दे कि वे उस [illegible] अमल करे।"

इसी प्रकार लार्ड कर्जन ने कहा है.—

"एक देशी नरेश, जहां तक उसका सम्बन्ध साम्राज्य से है, वह सम्राट की वफादार रिआया होने का दावा करता है। पर अपने प्रजाजनो के सामने तो वह एक गैर जिम्मेदार निरंकुश अत्याचारी बना रहता है और खेल तमाशों में तथा वाहियात गानों में अपना समय और धन बरबाद करता रहता है। ये दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। उसे यह साबित करना चाहिए कि उसे जो अधिकार दिया गया है उसका वह पात्र है। उसका वह दुरुपयोग न करे। वह अपने प्रजाजनो का शासक तथा सेवक भी बने। वह इस बात को समझे कि राज्य का [illegible] उसके अपने ऐशो आराम के लिए नहीं [illegible] प्रजाजनों की भलाई के लिए है। वह जान ले कि [illegible] शासन सार्वभौम सत्ता के [illegible] उसी हद तक सही होगा जहां तक कि वह ईमानदारी से

कर्त्तव्य करता रहेगा। उसका सिंहासन विषय-विलासो के लिए नही, बल्कि कर्त्तव्य-पालन के लिए है। वह न्याय-कठोर आसन है। केवल पोलो ग्राउण्ड, रेस कोर्सेस और यूरोपियन होटलो मे ही वह दिखाई न दे। उसका असली स्थान और काम तथा राजोचित कर्त्तव्य तो यही है कि वह अपने प्रजाजनो मे रहे। जो हो, एक नरेश के बारे मे कम-से-कम मेरी अपनी कसौटी तो यही होगी। और आगे चलकर यही कसौटी उसके भाग्य का निर्णय करेगी, या तो वह जिन्दा रहेगा या दुनिया से मिट जायगा।'

इसी नीति की समर्थन करने वाली घोषणाये समय-समय पर सम्राट के अन्य अनेकानेक प्रतिनिधियो ने उदाहरणार्थ लार्ड हार्डिङ्ग, लार्ड नार्थब्रूक, लार्ड हैरिस, लार्ड फैन ब्रोक, लार्ड मेयो, लार्ड चेम्सफोर्ड, लार्ड रीडिंग और लार्ड इरविन ने भी की है। परन्तु इनके बाद सम्राट के प्रतिनिधियो की घोषणाओ का सुर एकाएक बदलने लगा। रियासतो मे वैधानिक सुधार का प्रश्न उपस्थित होते ही अंग्रेज अधिकारी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे कि अगर देशी नरेश अपने राज्यो मे कोई वैधानिक सुधार दे रहे हो तो न तो **सम्राट की सरकार उनमें अपनी तरफ से कोई रोड़ा अटकाना चाहती है और न ऐसे सुधार देने के लिए उन पर किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती करना ही पसंद करती है"**। पर आगे चलकर वह इससे भी आगे बढ़ी। ज्यो-ज्यो ब्रिटिश भारत का वातावरण बदलता गया ब्रिटिश सरकार की भाषा भी बदलती गई। वह नरेशो को प्रत्यक्ष रूप से इस आशय की सलाह देती गई कि नरेशो को अपने राज्यो के शासन मे समयानुकूल परिवर्तन करने चाहिए। पर व्यवहार मे इन हिदायतो के अमल पर कभी जोर नही दिया गया। बल्कि पोलिटिकल डिपार्टमेट का रुख प्राय. प्रतिगामी ही रहा है, और नरेश उसके इशारो पर चलते रहे हैं। क्योकि नरेश सार्वभौम सत्ता के पूरे मातहत है, जैसे कि उसके दूसरे अधिकारी, इसलिए वह उनके प्रति अपनी पवित्र जिम्मेदारी की दुहाई देकर भारतवर्ष की

मे रहे। हाँ, बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर भाषा-प्रयोग जरूर बदलते रहे है। शोषण के अखरने लायक तरीको को छोड दिया गया है और उनके स्थान पर अधिक सूक्ष्म तरीको से काम लिया जाने लगा है। अनिवार्य अवस्थाओ मे अपने कदमो को थोडा बहुत आगे-पीछे भी किया गया है। पर यह ध्यान तो सदा ही रहा है कि कहीं सत्ता साम्राज्य सरकार के हाथो से निकल न जाय।

: ५ :

रियासतें और देशव्यापी जागृति

कांग्रेस और लोकपरिषद् का कूच

नरेश और सार्वभौम सत्ता जब अपने अपने स्वार्थों की साधना में लगे हुए थे, तब रियासतो की जनता एक दम सोई नहीं थी। उसमे भी जागृति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। यही नहीं, बल्कि कुछ बडी बडी रियासतो की जनता तो प्रान्तों के राष्ट्रीय आन्दोलनो के साथ कदम बढाते हुए चलने का यत्न करती थी। अनेक रियासतो मे कॉग्रेस कमिटियाँ कायम हो गई थीं और रियासतो की जनता इनके द्वारा कुछ करना भी चाहती थी। पर कॉग्रेस शुरू से इस मत की रही है कि अभी कुछ समय देशी राज्यो मे हस्तक्षेप न किया जाय। पहले हम प्रान्तो मे अपनी शक्ति को सगठित करे, यहाँ विदेशी सत्ता से मोर्चा लेकर उसकी ताकत को तोडे, तो इसका असर देशी राज्यो के शासन पर अपने आप होगा। विदेशी सत्ता और देशी राज्यो के साथ के सम्बन्ध मे उसने कुछ फर्क भी रक्खा है। देशी नरेशो के साथ उसने सदा मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की कोशिश की है। उसका पहला प्रस्ताव सन् १८९४ मे महाराजा मैसोर की मृत्यु पर शोक प्रकाशन और राज्यपरिवार तथा मैसोर के प्रजाजनो के साथ सहानुभूति प्रकट करने वाला था। मैसोर नरेश के वैधानिक दृष्टिकोण की कद्र करते हुए कहा था कि उनकी मृत्यु से न केवल राज्य की जनता बल्कि समस्त भारतीय जनता जबरदस्त हानि अनुभव करती है।

असहयोग से चैतन्य प्राप्त होने के कारण रियासती जनता भी सगठित होने लगी। बड़ौदा मे तो ठेट सन् १९१६ मे प्रजा मण्डल की स्थापना हो गई थी। काठियावाड की रियासते और भी पहले से सगठित होने लग गई थीं। मैसोर भी आगे बढा। इन्दौर मे भी प्रजा परिषद् की स्थापना हुई। पर ऐसी रियासते तो गिनती की थीं। शेष रियासते गहरे अधेरे मे टटोल रही थीं—वहाँ न कोई जागृति थी और न अपने अधिकारो का कोई भान। कुछ बडी थीं, अनेक छोटी थीं। इनके अलग अलग प्रश्न और समस्याये थीं। ये कैसे एकत्र हो? फिर भी उन्हे एकत्र तो करना ही था। इतने सारे प्रदेश को पीछे, अधकार मे छोडकर देश कैसे आगे बढ सकता था? इन रियासतो के साहसी और शिक्षित प्रजाजन बाहर प्रान्तो मे रहते थे। एक तरफ देशव्यापी जागृति को देखकर और दूसरी तरफ अपनी छोटी-मोटी-पिछडी रियासतो के अधेरे, अज्ञान, और दुख को देखकर उनमे रियासती जनता को सगठित करने की भावना प्रबल होने लगी। हाल ही मे हुई रूस की महान् क्रान्ति का चित्र उनके सामने था जिसमे सर्व सत्ताधीश जार को सपरिवार गोली से उड़ा दिया गया था। पिछले महायुद्ध मे भी देखते देखते बडे बडे सम्राटो के मुकुट जन सत्ता के सामने धूल मे मिल गये थे। असहयोग आन्दोलन से खुद लॉर्ड रीडिग चकरा गया था। यह सब देखकर देशी राज्यों के जागृत प्रजाजनो मे भी अपना एक अखिल भारतीय सगठन निर्माण करने की इच्छा पैदा हुई और इस उद्देश्य से सन् १९२६ के मई-जून मास मे देशी राज्यो के कुछ सेवक बम्बई में सर्वेन्ट ऑफ इण्डिया सोसायटी के भवन मे एकत्र हुए। इनमे बड़ौदा के डॉ० सुमन्त महेता, सांगली के प्रो० अभ्यकर, पूना के श्री पटवर्धन बम्बई के श्री के. टी. शाह और श्री अमृतलाल सेठ प्रमुख थे। प्रारम्भिक चर्चा के बाद तुरन्त कुछ ही महीनो में एक बडा अधिवेशन करने का निश्चय हुआ। कॉग्रेस अभी प्रत्यक्ष रूप से देशी राज्यों के प्रश्न को हाथ मे नहीं लेना चाहती थी। इसलिए प्रेरणा और मार्ग दर्शन के लिए इन्हे नरम दल का सहारा लेना पड़ा और सामने

साल १९२७ में प्रसिद्ध नरम दली नेता एलोर के प्रसिद्ध नरम दली नेता दीवान बहादुर (जो बाद में सर हो गये थे) एम. रामचन्द्र राव की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन बड़ी शान और उत्साह से हुआ। अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद् की विधिवत् स्थापना हो गई। इसका उद्देश्य था "उचित और शांतिपूर्ण उपायों से रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना।"

इस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हो रहा था। लोक परिषद का एक शिष्टमण्डल कांग्रेस के सभापति से मिला और उसने कांग्रेस का ध्यान विशेष रूप से देशी राज्यों की ओर दिलाया। मद्रास के अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा—"कांग्रेस की यह जोरदार राय है कि रियासती जनता तथा नरेश दोनों के हित की दृष्टि से राजाओं को अपने अपने राज्यों में शीघ्र ही प्रातिनिधिक धारासभायें एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देनी चाहिए।"

इन तमाम हलचलों से नरेशों में फिर एक भय की लहर दौड़ गई। अपने अपने राज्यों में सम्पूर्ण सत्ता मिलने के लिए वे चिल्लाहट मचाने लगे। इन्हीं दिनों काठियावाड़ के कुछ बन्दरगाहों को सुधारने का प्रश्न भारत सरकार ने उठाया था। और इससे उनके जो स्वत्व अस्वीकार किया था उस पर बहुत से नरेश बड़े व्यग्र हो रहे थे। उन्होंने चाहा कि उनकी सनदों पर इस तरह भारत सरकार आक्रमण न करे और उनके साथ सन्धियों के अनु-

अगले वर्ष कॉंग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता मे हुआ था। बारडोली की विजय से देश मे चारो तरफ आशा और आत्मविश्वास का वातावरण फैल गया था केवल टीकाये करने के बजाय अपने भावी स्वराज्य की कोई निश्चित योजना पेश करनी चाहिए इस तरह की मॉग के जवाब मे पं. मोतीलाल नेहरू के सयोजकत्व मे एक कमिटी की नियुक्ति हुई थी। इस कमिटी ने कलकत्ता के अधिवेशन मे अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। देशी राज्यो के सम्बन्ध मे इस रिपोर्ट मे लिखा था—

"नई सघ सरकार देशीराज्यो पर और उनके प्रति उन्ही अधिकारो और जिम्मेवारियो का पालन करेगी जो वर्तमान भारत सरकार सुलहनामो के अनुसार तथा अन्य प्रकार से उनके प्रति आज कर रही है।

कमिटी का आशय यह था कि भारतीय पार्लियामेट मे उनके जिम्मेदार देश भाई होगे। नरेशो को विश्वास करना चाहिए कि ब्रिटिश पार्लियामेट के सदस्यो को उनके अधिकारो, शान और प्रतिष्ठा वगैरा का जितना ख्याल और आत्मीयता हो सकती है उससे कम तो उनके इन देश भाइयो को नहीं होगी।

पर अपने कलकत्ता अधिवेशन मे कॉंग्रेस ने जनता के अधिकारो के विषय मे साफ साफ कह दिया कि "नरेशो को चाहिए की वे अपने प्रजाजनो को प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन प्रदान कर दे और तुरन्त ऐसी घोषणाये कर दे या इस आशय के कानून राज्यो मे जारी कर दे कि जिससे जनता को भाषण, मुद्रण, सगठन और अपनी जान माल की सुरक्षा सम्बन्धी नागरिक स्वाधीनता के अधिकार मिल जावे।' इसी प्रस्ताव मे कॉंग्रेस ने रियासती जनता को यह भी आश्वासन दिया कि उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए वह जो जो भी उचित और शान्तिमय प्रयत्न करेगी उसमे कॉंग्रेस की पूरी सहानुभूति और समर्थन रहेगा। (—assures the people of Indian states of its

sympathy with and support to their legitimate struggle for the attainment of full responsible Government in states) इसी अधिवेशन में कांग्रेस विधान की धारा ८ के नीचे लिखे शब्द पं. जवाहरलाल नेहरू के आग्रह से हटा दिये गये—"मतदाताओं में रियासती जनता को शामिल करने का अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करेगी।" सन १९२९ के लाहौर अधिवेशन में जब कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के उद्देश्य को अपनाया था कांग्रेस ने नरेशों से फिर कहा कि अब देशी राज्यों में भी जिम्मेदाराना हुकूमतें स्थापित करने का समय आ गया है।

इन्हीं दिनों पटियाला से स्त्रियों के उड़ाये जाने, बलात्कार, और भयंकर हत्याओं के रोंगटे खड़े करने वाले समाचार आये। यह खबर थी कि महाराजा पटियाला ने किसी अमरसिंह नामक आदमी की औरत को उड़वाया और अपनी पाशविक विषय लालसा को तृप्त करने के लिए हत्यायें तक करवाईं। लोक परिषद को यह उचित मालूम हुआ कि वह इस मामले को हाथों में ले और उसने निष्पक्ष जांच की मांग की। पर नरेश और खासकर पटियाला नरेश भारत सरकार के प्रीतिपात्र थे। इसलिए वह उनका बचाव करना चाहती थी। बार बार मांग करने

रहते है और किस तरह अपनी प्रजा को तबाह करते रहते है। और आश्चर्य यह कि इन फुलकन रियासतो के पोलिटिकल एजन्ट ने भी उस औरत को उड़ाने में महाराजा पटियाला की सहायता की है। क्या देशी राज्य और क्या प्रान्त समस्त देश की जनता का दिल दहल गया और उसने अपने दिल मे पक्का निश्चय कर लिया कि इस अन्धेरशाही का अंत तो करना ही होगा। परन्तु अभी कांग्रेस खुद रियासतो मे प्रत्यक्ष कोई काम करने के पक्ष मे नहीं थी। और न रियासतो की जनता मे इतनी ताकत आई थी कि वह खुद अपने बल पर वहाँ कुछ करती। अतः अभी तो देशी राज्यों मे चल रहे अन्यायों को दूर करने का एक-मात्र उपाय यही था कि देशी राज्यो और ब्रिटिश भारत दोनो जगह के निवासी मिलकर नरेश जिस सत्ता के बूते पर यह सब जुल्म अंधेर करते थे उसकी कमर तोड़े! तदनुसार देशी राज्यो की जनता ब्रिटिश भारत के आन्दोलन मे और भी उत्साह के साथ भाग लेकर उसे बलवान बनाने में योग देने लगी।

इस बीच शासन-सुधार के सम्बन्ध में भारत की परिस्थिति का निरीक्षण करके रिपोर्ट करने के लिए सायमन कमीशन आया। उसका सर्वत्र बहिष्कार हुआ। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पर उसे सारे देश मे सार्वजनिक रूप से जलाया गया। सन् १९२८ के कलकत्ता अधिवेशन मे कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सामने रखकर सरकार को यह चेतावनी दी थी कि एक साल में इसमे पेश की गई मांग को सरकार मन्जूर कर लेगी तब तो उसे औपनिवेशिक स्वराज्य मन्जूर होगा वरना एक साल बाद वह पूर्ण स्वतत्रता के ध्येय की घोषणा कर देगी और अपने मार्ग पर अग्रसर होगी। तदनुसार लाहोर के अधिवेशन मे पूर्ण स्वतत्रता को ध्येय बनाकर २६ जनवरी १९३० को सारे देश मे स्वाधीनता दिवस अपूर्व उत्साह से मनाया गया। और इस वर्ष के मध्य मे सघर्ष भी छिड़ गया। इधर इस बढते हुए असतोष का उफान टूटने की गरज से सरकार ने लन्दन मे

हिन्दुस्तान के लिए एक शासन-विधान तैयार करने की गरज से एक गोल मेज परिषद का आयोजन किया। इसके सदस्यो का चुनाव, संगठन और कार्य-प्रणाली सब साम्राज्यशाही ढग की थी।

ब्रिटिश भारत से लोक प्रतिनिधियो की जगह अपने मन के खुशामदी और नरमदली लोगों को नामजद करके वहाँ बुलाया गया था। रियासतों से भी जनता के प्रतिनिधियो को नहीं, नरेशो को निमन्त्रित कर लिया गया था। कांग्रेस ने ऐसी परिषद में जाने से साफ इन्कार कर दिया। और जहाँ कांग्रेस न हो ऐसी परिषद क्या सफल होती? इधर देशव्यापी संघर्ष छिड़ा, सारे देश भर में कानून भंग की लहर फैली धड़ाधड़ गिरफ्तारियाँ होने लगी लोग हजारों की संख्या में जेल में रक्खे जाने लगे और उधर लन्दन में गोल मेज परिषद का नाटक चल रहा था। रियासतों की जनता भी इस संघर्ष में कूद पड़ी और उसने अपनी शक्ति भर इसमें योग दिया। आखिर सरकार भी समझी कि ऐसी परिषदों से काम न चलेगा, जैसे तैसे उस नाटक को पूरा किया, कांग्रेस के तमाम नेताओं को छोड़ा, समझौता किया और दूसरी गोल मेज परिषद की योजना की। इस परिषद में कांग्रेस की तरफ से महात्माजी एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में भेजे गये थे। इसमें भी रियासती जनता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। अतः लोकपरिषद का एक शिष्ट मण्डल महात्माजी से जाकर मिला और उनसे प्रार्थना की कि वे रियासती जनता के पक्ष को भी परिषद में पेश करें। महात्माजी ने कहा "मैं पूरे बल के साथ आपके पक्ष को पेश करूंगा पर आप यह अपेक्षा न करें कि रियासतों के प्रश्न पर वार्तालाप को मैं तोड़ दूं।"

इसी मौके पर मॉडर्न रिव्यू के प्रसिद्ध सम्पादक श्री रामानन्द चटर्जी के सभापतित्व में परिषद का तीसरा अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसी में यह विचार करने के लिए निश्चय किया गया कि गोलमेज परिषद में रियासती जनता की आवाज पहुँचाने के लिए परिषद की तरफ से [illegible]

करना चाहिए। आखिर यह तय हुआ कि महात्माजी की सहायता करने तथा इगलेण्ड की जनता को रियासतो की स्थिति से परिचित कराने के लिये प्रो० अभ्यकर और श्रीअमृतलाल सेठ का एक शिष्ट मण्डल इंगलैंड भेज दिया जाय। रियासतो की जनता का शासन मे परिणाम-जनक हाथ हो इस दृष्टि से शिष्ट मडल को परिषद मे कोई सफलता नही मिली। परन्तु जहाँ तक इगलेण्ड के लोकमत को जाग्रत करने का प्रश्न था इसने खूब अच्छा काम किया। दीवान बहादुर रामचद्र राव भी परिषद के सदस्यो मे से थे। उन्होने भी शिष्ट मडल की बड़ी कीमती सहायता की।

पूज्य महात्माजी ने इस परिषद मे रियासती जनता की तरफ से बोलते हुए नरेशो से कहा—

"चूँकि मैं जनता का सेवक हूं और समाज के निम्नतम अगो का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हू इसलिए मै नरेशो से आग्रहपूर्वक कहूँगा कि इस विधान समिति की मजूरी के लिए जो भी योजना आप सब बनावें उसमे इनके लिए भी जरूर स्थान रक्खे। अगर नरेश इतना भी मजूर कर ले कि सारे भारत में प्रजाजनो के कुछ मौलिक अधिकार होगे—फिर वे जो कुछ भी हो, और इनका ठीक तरह से पालन हो रहा है या नहीं इसकी जाँच करने का अधिकार न्यायालयो को दे दिया जाय, ये न्यायालय भी भले ही नरेशो के बनाए हुए हो और एक तीसरी बात—नरेश शासन मे प्रजाजनो का प्रतिनिधित्व स्वीकार ले चाहे वह प्राथमिक ढग का हो, तो मेरा ख्याल है यह कहा जा सकेगा कि प्रजाजनो को संतोष दिलाने के लिए नरेशो ने कुछ किया।"

इस उद्धरण से हम देखते है कि महात्माजी कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहे है। रियासतो के प्रश्न पर अभी अधिक जोर देने के पक्ष मे वे नही थे। उनके विचार और काग्रेस की स्थिति बाद को श्रीनरसिंह चिन्तामणि केलकर के लिखे पत्र से और भी स्पष्ट हो जाती है। जिसका

उन्होंने लिखा है कि "रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस अ-हस्तक्षेप की जिस नीति का अवलम्बन कर रही है, उसमें बड़ी समझदारी है।"

"ब्रिटिश भारत के नाम से पहचाने जानेवाले हिस्सों को रियासतों की नीति के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।—ठीक उसी तरह जिस प्रकार कि हम अफ़गानिस्तान और सीलोन के विषय में कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत चाहता हूं कि ऐसा न होता तो बहुत अच्छा होता। पर मैं विवश हूँ। हम रियासतों में कांग्रेस के सदस्य बनाते हैं उनसे हमें काफ़ी सहायता भी मिलती है। फिर भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी कद्र नहीं करते बल्कि इसमें हमारी बेबसी है।"

पर मेरा यह मत है कि (ब्रिटिश) भारत में हम जो सफलता हासिल करेंगे उसका असर रियासतों पर भी अवश्य पड़ने वाला है। (जुलाई १९३४)

सन् १९३५ के अप्रैल मास में जबलपुर में कांग्रेस की महासमिति (A I C C) की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ उससे साफ़ जाहिर होता है कि कांग्रेस किस प्रकार धीरे धीरे, पर सावधानी के साथ रियासती जनता के पक्ष को बल पहुँचाने में आगे बढ़ती जाती थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था "कांग्रेस को देशी राज्यों के प्रजाजनों के हितों की भी उतनी ही चिन्ता है, जितनी ब्रिटिश भारत के निवासियों के हितों की और वह रियासती जनता को आश्वासन देती है कि वह अपनी स्वाधीनता के लिये जो लड़ाई लड़ेगी, उसमें कांग्रेस की पूरी हमदर्दी रहेगी।"

इसी वर्ष के अक्टूबर मास में महासमिति की सलाह से कांग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति ने नीचे लिखे आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया था "रियासती जनता भी स्वराज्य की उतनी ही हक़दार है जितनी कि ब्रिटिश भारत की जनता। तदनुसार कांग्रेस ने [illegible]

भी कर दी हैं कि वह रियासतो मे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना देखना चाहती है। और उसने नरेशो से यह अनुरोध भी किया है।"

"कॉग्रेस अपनी नीति पर दृढ है। वह समझती है और स्वयं राजाओं का भी भला इसी मे है कि वे अपने राज्यो मे शीघ्रातिशीघ्र उत्तरदायी शासन कायम कर दे। जिससे उनके प्रजाजनो को नागरिकता के पूर्ण अधिकार मिल जावे।"

अपनी मर्यादा को प्रकट करते हुए कॉग्रेस ने इसी वक्तव्य मे आगे कहा है कि यह बात समझ लेने की है कि उत्तरदायी शासन के लिए सघर्ष जारी रखने का भार खुद देशी राज्यो के प्रजाजनो को ही उठाना है। कॉग्रेस तो राज्यो पर नैतिक और मैत्री पूर्ण प्रभाव ही डाल सकती है। और जहाँ कहीं भी संभव होगा यह प्रभाव वह अवश्य डालेगी। परन्तु वर्तमान परिस्थिति मे कॉंग्रेस के पास कोई सत्ता नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी—चाहे वे अगरेजो के आधीन हो या देशी नरेशो के या अन्य किसी सत्ता के—सब एक है। उन्हे अलग नहीं किया जा सकता।"

इसी मौके पर सघ योजना के सम्बन्ध मे कॉग्रेस ने देशी राज्यो के प्रजाजनो को यह भी आश्वासन दिया कि नरेशो का सहयोग प्राप्त करने के लिए अपनी अन्तिम योजना मे कॉग्रेस प्रजाजनो के हितो का बलि कदापि नहीं होने देगी। " असल मे कॉग्रेस शुरू से ही असदिग्ध रूप से जनता के हितो की समर्थक रही है। और जहाँ इनके खिलाफ दूसरे स्वार्थ खड़े होगे, कॉग्रेस जनता के न्याय-हितो का अवश्य समर्थन करेगी।"

इस बीच लोक परिषद के दो और अधिवेशन महाराष्ट्र के नेता श्री नरसिंह चिन्तामणि केलकर और मद्रास के प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री नटराजन की अध्यक्षता मे हो गये। शुरू से लेकर इन दोनो अधि-

वेशनों में परिषद ने अधिकांश में प्रारम्भिक काम ही किया। वास्तव में परिषद के अन्दर सच्चा प्राण-संचार तो उसके कराची अधिवेशन से ही हुआ जब कि उसके सभापति डॉ० पट्टाभिसीतारामैय्या हुए। रियासती जनता के प्रश्नों में दिलचस्पी लेकर उन्होंने जितने जोर और वेग के साथ काम किया उतना अब तक किसी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ था। राजपूताना, काठियावाड़ और दक्षिण भारत में उन्होंने लम्बे दौरे किये और रियासती जनता को खूब बल पहुँचाया। डॉक्टर सा. कांग्रेस की केन्द्रीय कार्य समिति के भी सदस्य थे, परिषद में उनके शरीक होने से परिषद का कांग्रेस के साथ भी अनायास घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। सन् १९३६ के लखनऊ अधिवेशन में और १९३७ के फैजपुर अधिवेशन में देशी राज्यों में नागरिक स्वाधीनता की दुरवस्था पर दुख प्रकट करते हुए कहा गया था—"क्या देशी राज्य और क्या ब्रिटिश भारत कांग्रेस चाहती है कि सबको सम्पूर्ण नागरिक स्वाधीनता प्राप्त हो। और जब तक यह नहीं मिल जाती वह बराबर आगे बढ़ती रहेगी। परन्तु कांग्रेस महसूस करती है कि इसके लिए सबसे जरूरी चीज राजनैतिक आजादी ही है। इसलिए उसकी प्राप्ति में देश को अपनी सारी ताकत बटोर कर लगा देनी चाहिए।"

रियासती जनता के प्रश्नों में कांग्रेस की बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ साथ उसकी भाषा भी रियासतों के विषय में अधिक [illegible] और तेजस्वी होती गई। सन् १९३७ में मैसोर के दमन का कड़ा विरोध करते हुए कार्यसमिति के एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की जनता से मैसोर निवासियों की सहायता करने की अपील की। महासमिति की राय में इस प्रस्ताव से कांग्रेस की [illegible] [illegible] हो गया था। [illegible] [illegible] [illegible]

में रियासती कार्यकर्ताओ ने कॉंग्रेस से अपील की कि वह रियासतो के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदले, और रियासती जनता को बल पहुँचावे। सन् १९३८ मे हरिपुरा के अधिवेशन में रियासतो सम्बन्धी प्रस्ताव इन्ही कोशिशो का प्रतिफल था। इसमे कॉंग्रेस ने अपनी अहस्तक्षेप की नीति को दोहराते हुए भी रियासतो के प्रति अपने रुखको तथा रियासतो सहित समस्त भारत की स्वतन्त्रता के लिये यत्न करने का जितनी साफ तरह से ऐलान किया है उतना पहले कभी नही किया था परन्तु साथ ही रियासतो के उद्धार का भार कॉंग्रेस ने स्वय रियासती जनता पर ही डाल दिया और कह दिया वह जो कुछ भी कार्य या सघर्ष वगैरा करे अपने बलपर ही करे। स्थानीय प्रजामण्डल जैसी संस्थाओ के द्वारा करे। कांग्रेस के नाम प्रतिष्ठा वगैरा का उपयोग न करे। पूरा प्रस्ताव यो है—

"चूंकि रियासतो मे सार्वजनिक जीवन का विकास और आजादी की मॉग बढती जा रही है, वहॉ नई समस्या खडी हो रही है और नये नये सघर्ष भी निर्माण हो रहे है इसलिये कॉंग्रेस रियासतो के सम्बन्ध मे अपनी नीति को पुनः स्पष्ट कर देना चाहती है।"

"कांग्रेस रियासतो को हिन्दुस्तान का ही एक अग मानती है जो उससे कभी अलग नही किया जा सकता। अतः शेष भारत मे जिस प्रकार की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वाधीनता वह चाहती है वही रियासतो मे भी हो, ऐसा उसका यत्न है। पूर्ण स्वराज अर्थात् सम्पूर्ण स्वाधीनता कॉंग्रेस का ध्येय है। यह रियासतो सहित सम्पूर्ण भारत के के लिए है। क्योकि जो एकता गुलामी मे कायम रही है उसे आजाद होने पर भी अवश्य ही रक्खा जाना चाहिए। कॉंग्रेस तो केवल ऐसे ही सघ (शासन विधान) को मंजूर कर सकती है जिसमे रियासते स्वतन्त्र इकाइयो के रूप मे शरीक हो सकेगी। और जिसमे वे भी उसी जनतान्त्रिक स्वाधीनता का उपभोग करेगी, जो शेष भारत मे होगी। इसलिए कांग्रेस देशी राज्यो मे पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा नागरिक स्वाधीनता की

गैरन्टी चाहती है। और आज कई रियासतें जो पिछड़ी हुई हैं तथा उनमें नागरिक स्वाधीनता को दबाया जा रहा है, एवं स्वाधीनता का सम्पूर्ण अभाव है, इस पर कांग्रेस को अत्यन्त दुःख है।

"रियासतों के अन्दर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न करना कांग्रेस अपना अधिकार और गौरव समझती है परन्तु आज **रियासतों के भीतर** इस उद्देश की पूर्ति के लिए वह परिणामजनक काम नहीं कर सकती। रियासतों के शासकों ने या उनके पीछे काम करने वाली अंग्रेजी हुकूमत ने अनेक कैद और बन्दिशें कायम कर दी हैं जो कांग्रेस के लिये काम करने में बाधक हो रही हैं। और उनके नाम तथा प्रतिष्ठा के कारण रियासतों के प्रजाजनों में जो आशायें और आकांक्षायें पैदा हो जाती हैं, उनकी पूर्ति न होने देख उनमें निराशा होती है। कांग्रेस की प्रतिष्ठा को भी यह शोभा नहीं देता कि वह रियासतों में ऐसी कमिटियां कायम करे जो अच्छी तरह काम न कर सकें। वह यह भी नहीं चाहती कि कहीं गम्भीर झगड़े का अवसर हो। और एक बार आशायें पैदा कर देने पर अगर कांग्रेस ठीक तरह से रक्षा या सहायता न कर सके तो रियासती जनता के अन्दर एक प्रकार की बेबसी फैलती है और इससे उनकी स्वाधीनता की लड़ाई के विकास में बाधा पहुँचती है।

"चूंकि रियासतों और शेष भारत की स्थिति अलग अलग है इस लिए कांग्रेस की सर्वसाधारण नीति रियासतों के लिए ज्यादा ठीक नहीं होती। वह शायद रियासतों की स्वतंत्रता की लड़ाई के स्वाभाविक विकास के लिए बाधक भी हो। वहां की जनता में स्वावलम्बन पैदा करते हुए स्थानीय परिस्थिति को भली प्रकार ध्यान में रख कर [illegible]

परिस्थिति मे रियासतो मे स्वाधीनता की लडाई का भार वहाँ के प्रजाजनो को ही उठाना चाहिए। कॉंग्रेस की शुभ कामनाये और समर्थन ऐसे शान्तिपूर्वक और उचित तरीको पर चलाये जाने वाले संघर्षों को सदा मिलते रहेंगे। **परन्तु कांग्रेस-संगठन की यह सहायता मौजूदा परिस्थिति में केवल नैतिक समर्थन और सहानुभूति के रूप में ही होगी।** हाँ, कॉंग्रेस-जनो को यह आजादी रहेगी कि वे खुद **व्यक्तिगत रूप से** इससे अधिक सहायता भी करें। इस तरह कॉंग्रेस के सगठन को बगैर उलझाते हुए और साथ ही बाहरी बातो या परिस्थितियो के खयाल से न रुकते हुए भी रियासती जनता की लडाई आगे कदम बढ़ाती जा सकती है।

"इसलिए कॉंग्रेस आदेश करती है कि फिलहाल, रियासती कांग्रेस की समितियाँ कॉंग्रेस की केन्द्रीय कार्यसमिति के मार्ग-दर्शन और नियन्त्रण मे ही काम करेगी। **कांग्रेस के नाम अथवा तत्त्वावधान में न तो पार्लियामेंटरी काम करेंगी और न सीधे संघर्ष को उठावेंगी। राज्य की जनता की कोई भीतरी लड़ाई कांग्रेस के नाम से नहीं उठाई जानी चाहिए। इसके लिए राज्यों में स्वतन्त्र संगठन खड़े किए जावें। और अगर पहले ही से हों तो उनको जारी रखना चाहिए।**

"कॉंग्रेस रियासती जनता को यह आश्वासन देना चाहती है कि वह उनके साथ है और स्वाधीनता के लिए चलाई जाने वाली उनकी लडाई मे उसकी पूरी सहानुभूति और सक्रिय तथा सावधान दिलचस्पी है। कॉंग्रेस को विश्वास है कि रियासती जनता की मुक्ति का दिन भी दूर नहीं है।"

इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि—

जहाँ तक देश की एकता, स्वाधीनता की लडाई और स्वतन्त्रता के भावी निर्माण से सम्बन्ध है, देशी राज्य और ब्रिटिश भारत मे कोई

ने कुछ झिझक के साथ परिषद के अधिवेशन का सभापतित्व करना मंजूर किया पर इस शर्त के साथ कि अगर वह उनके यूरोप से लौटने के बाद हो। कार्यकर्ताओं ने यह खुशी से मंजूर कर लिया। नरेशों मे जहाँ पंडितजी सभापति हो रहे है यह सुनते ही तहलका मच गया। तहाँ रियासती जनता के खुशी का पारावार नहीं रहा। उसने सोचा जवाहरलाल देश के प्राण हैं। सारा संसार उनकी आवाज आदर के साथ सुनता है। इसलिए उनका सभापतित्व हमारे लिए वरदान होगा।" अगला अधिवेशन लुधियाना मे बड़ी शान से हुआ।

लुधियाना अधिवेशन ने रियासती आन्दोलन में एक नया अध्याय शुरू किया। जनता के लिए जनता का राज्य स्थापित करने के उद्देश्यों का इसमे समर्थन किया गया। और यह साफ बताया गया कि बदली हुई परिस्थिति में छोटी छोटी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस विषय के प्रस्ताव मे बताया गया था कि 'आने वाले संघ-शासन मे वे ही रियासतें या उनके संघ स्वतंत्र इकाई के रूप मे सुधरे हुए शासन की सुविधाये अपने प्रजाजनो को दे सकेंगे जिनकी आबादी कम से कम २० लाख और आय पचास लाख रुपये होगी। जो राज्य इस शर्त का पालन नहीं कर सकते उन्हे एक एक करके या मिला कर पडोस के प्रान्त मे जोड दिया जाय। इस सिद्धान्त को आगे चल कर सरकार ने भी अपनी "मर्जर स्कीम में' अपना लिया। पर इसके अमल मे चालाकी से काम लिया गया। छोटी छोटी रियासतो को प्रान्त मे मिलाने की अपेक्षा अपने साम्राज्य के स्तंभ रूप बडी रियासतो-को मजबूत करने के लिए उनमें मिला दिया गया। और यह करते हुए जनता की राय तक जानने की कोशिश नहीं की गई। एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा परिषद ने उन सन्धियों और सुलहनामो को मानने से इन्कार कर दिया जो दो पक्षों के बीच अपने स्वार्थों के लिये हुई थीं पर जिनकी वे बडी दुहाइयाँ दिया करते थे और देह संसार से अपना सम्बन्ध बताते थे। लुधियाना के अधिवेशन के

बाद परिषद के केन्द्रीय दफ्तर का भी पुनः संगठन करके उसमें एक संशोधन और प्रकाशन विभाग जोड़ कर उसे इलाहाबाद ले जाया गया।

इस प्रकार पं० जवाहरलालजी के नेतृत्व में परिषद जोर के साथ अपने कदम बढ़ाते हुए जा रही थी कि सन् १९३९ में एकाएक दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। और सरकार ने प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलों से बगैर सलाह लिये ही हिन्दुस्तान को युद्ध में शामिल कर लेने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने इस मनमानी का जोर के साथ विरोध किया और सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को साफ करने के लिए कहा। परिषद ने भी नरेशों के द्वारा रियासतों के लड़ाई में वर्मांट जाने पर इसका विरोध किया। इधर कांग्रेसी मन्त्रि मण्डल त्याग पत्र देकर अलग हो गये और युद्ध जोर भी भीषण रूप धारण करने लगा। हिन्दुस्तान पर आक्रमण का खतरा भी बढ़ गया। साम्राज्य महा संकट में आ गया तब एक योजना लेकर सर स्टॅफर्ड क्रिप्स भारत आये। इनके प्रस्तावों में रियासतों का जिक्र तो था पर रियासती जनता का कहीं पता नहीं था। दिल्ली में उस समय नई परिस्थितियों पर विचार करने के लिए स्टॅण्डिंग कमिटी की बैठक बुलाई गई। डॉ० पट्टाभि सीतारामैय्या क्रिप्स से बातचीत करने के लिए चुने गये। मुलाकात में सर स्टॅफर्ड ने प्रस्तावों में कोई फेर बदल करने से इन्कार

ये कार्यकर्त्ता अपने अपने राज्यो मे पहुँचने पर प्रजा मण्डल के द्वारा नरेशो से कहे कि वे अंग्रेजी हुकूमत से अपना सम्बन्ध तोड कर प्रजा को फौरन उत्तरदायी शासन दे दे। अगर वे यह मजूर करे जिसकी बहुत कम सम्भावना थी—तो ठीक अन्यथा वे भी ब्रिटिश भारत के समान सघर्ष छेड दे। तदनुसार ता० ६ को पू० महात्माजी कार्यसमिति के सदस्य तथा देश के अन्य नेताओ की गिरफ्तारी के बाद देशी राज्यो के कार्यकर्त्ताओ ने भी उपर्युक्त आदेशो का पालन किया और अनेक रियासतो मे भी जबरदस्त सघर्ष छिड गया। सारे देश मे खुली बगावत फैल गई इतनी बडी, उग्र और देशव्यापी बगावत पहले कभी नही हुई थी। दमन भी अभूतपूर्व हुआ। गॉव के गॉव वीरान हो गये। पर कई जिलो मे से विदेशी हुकूमत एक दम उठ गई। जनता ने असख्य कष्ट बहादुरी से सहे और नेताओ के न रहने पर भी खुद अपनी बुद्धि से जिस तरह सूझा जुल्मो का डट कर प्रतिकार किया। अत मे तूफान शान्त हुआ। महायुद्ध भी समाप्त हुआ और महात्माजी तथा कार्यसमिति के सदस्यो की रिहाई के साथ फिर आजादी की लडाई शुरू हुई। पं० जवाहरलालजी ने सारे देश मे घूम घूम कर प्रत्येक प्रान्त का निरीक्षण किया और देखा कि आजादी की आग पहले से कहीं अधिक प्रज्ज्वलित है। देश अधीर हो रहा था। इसी मौके पर आजाद हिन्द फौज का मामला शुरू हो गया जिसने सारे देश मे बिजली का सचार कर दिया और अंग्रेजो को इस बात का निश्चय करा दिया कि अब तो फौज भी उनके हाथ से निकल गई और यह कि हिदुस्तान मे अब उनके लिए हुकूमत करना असम्भव है। सारा वातावरण एक दम बदल गया।

इसी वातावरण मे पिछले वर्ष राजपूताने की कड़कडाती ठन्डी में दिसम्बर में देशी राज्य लोक परिषद का आठवा अधिवेशन हुआ। सभा पति फिर प० जवाहरलाल ही चुने गये थे। अधिवेशन पहली बार एक देशी राज्य मे हो रहा था। फिर भी उनकी शान को देख कर यही मालूम हो रहा था मानो कांग्रेस का खुला अधिवेशन है।

३ मौलिक अधिकार और नागरिक स्वतन्त्रता की गैरण्टी

४ स्वतंत्र न्याय प्रणाली

५ आर्थिक स्वतन्त्रता और

६ मनुष्य के विकास मे बाधाये डालने वाले सामन्तशाही अथवा अन्य सभी प्रकार के बन्धनो और बोझो से मुक्ति।

क्योकि जिस भविष्य की हमारी तस्वीर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होगे और सबको अपनी तरक्की के लिए भी अवसर भी समान ही होगे।

रियासतो के संधीकरण मे उन्हे दूसरी बडी रियासतो के साथ नही बल्कि प्रान्तो से मिलाने पर जोर दिया। हैदराबाद की स्थिति पर अफसोस प्रकट किया। औंध की सराहना की। विधान परिषद मे प्रजा के ही चुने हुए प्रतिनिधि लेने पर तथा इनकी चुनाव की पद्धति पूर्णतया जनतन्त्रात्मक होने पर जोर दिया। और नरेशो को अपने भीतरी शासन मे भी प्रान्तो के समान परिवर्तन करने की हिदायते दी।

अधिवेशन के प्रस्ताव भी लगभग इन्ही विषयो पर थे। मुख्य प्रस्ताव मे आने वाले शासन विधान मे परिवर्तनो के बारे मे कहा गया था कि "वे परिवर्तन तभी स्वीकृत हो सकेंगे जब कि उनका आधार स्वतन्त्र भारत के अंगभूत हिस्सो की शक्ल मे रियासतो मे पूर्ण उत्तरदायी शासन होगा और विधान परिषद के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रान्तो के समान व्यापक आधार पर चुने हुए होगे।" यह भी कहा गया था कि "यदि रियासतो की सरकारो की नीति मे कोई परिवर्तन होता हो तो पहले नागरिक स्वतन्त्रताओ को पूरी तरह से मान्य किया जाना चाहिए। जिनके बिना स्वतन्त्र चुनावों का होना या आजादी और प्रातिनिधिक शासन की दिशा मे कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति का होना असम्भव है।"

छोटी बड़ी रियासतों के समूहीकरण के सम्बन्ध में मुख्य आधार यह बताया कि जनता की सामाजिक और आर्थिक तरक्की आधुनिक ढंग के अनुकूल हो। लुधियाना वाले प्रस्ताव को भी इसी अर्थ में पढ़ा जाय। जो रियासत या रियासतें इस शर्त को पूरी नहीं कर सकतीं उन्हें पड़ोस के प्रान्त में मिला दिया जाय और यदि सम्भव हो तो इन्हें सांस्कृतिक या अन्य प्रकार की आवश्यक स्वायत्तता दी जाय। इनके नरेशों के लिए मुनासिब कायदे बना कर उनके व्यक्तिगत सम्मान और स्थिति की रक्षा की जाय।

इण्डोनेशिया का अभिनन्दन और पिछले संघर्ष के शहीदों के सम्मान विषयक प्रस्तावों के अलावा, औंध की ग्राम प्रजातन्त्री पद्धति की सराहना करने वाला भी एक प्रस्ताव था। रियासतों में बसने वाले आदिवासियों के प्रति रियासती सरकारों और समाज के उनकी प्रगति में बाधा डालने वाले रुख पर अफसोस प्रकट करते हुए उनसे अपने इस रुख को बदल कर उनके प्रति सहायक बनने को कहा गया।

एक प्रस्ताव रियासतों के अप्रगतिशील रुख की निन्दा करने वाला भी था।

नरेन्द्र मण्डल की घोषणा

असल मे सन् १९४५ मे जब मे कार्यसमिति के सदस्य रिहा हुए देश का वातावरण बडी तेजी से बदलता जा रहा था पडित जवाहरलाल नेहरू ने सारे देश मे घूम कर मानो बिजली का सचार कर दिया। जब तक वे देशीराज्य लोकपरिषद के सभापति नहीं हुए थे तब तक उनके विचार बडे उग्र थे। कभी कभी तो वे यह भी कह जाते कि स्वतन्त्र भारत मे नरेशो के लिए कोई स्थान नही होगा। परन्तु लोकपरिषद के सभापति होने के बाद उनकी भाषा सौम्य होने लगी। पहले वे रियासतो मे जाना पसन्द नहीं करते थे। पर अब की बार रिहा होने पर काश्मीर, जयपुर, जोधपुर आदि रियासतो मे वे गये और वहॉ उनका स्वागत सत्कार भी अच्छा हुआ। उनकी भाषा भी नरेशो के प्रति सौम्य होने लगी। इसका कारण यह नही था कि उनके आदर्श या विचारो मे कोई अन्तर हो गया। बल्कि यह था कि नरेशो को स्वाधीनता के आन्दोलन की तरफ खींचने की उनकी उत्सुकता ने उनके व्यवहार मे यह परिवर्तन कर दिया। इसका प्रत्यक्ष परिणाम भी हुआ। नरेश जो अब तक उनसे चौकते थे उनके नजदीक आने लगे। अपने दिल की बाते करने लगे और रियासतो के आन्दोलनो को भी बल पहुँचा। उदयपुर के अधिवेशन ने तो रियासतो के सारे सकोच को तोड दिया। इस अधिवेशन मे मेवाड की सरकार ने स्वागत समिति की हर तरह से सहायता की। खुद नरेशो के मानस मे भी प्रत्यक्ष परिवर्तन होता हुआ दिखाई देने लगा। इसका कारण केवल भारतीय जागृति ही नही थी। सासारिक परिस्थिति के कारण ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। और खुद उसे भीतर से ऐसा महसूस होने लगा कि अब अगर ससार की एक बडी सत्ता के रूप मे उसे अपना अस्तित्व कायम रखना है तो साम्राज्य के सभी अगो के सम्बन्धो मे सशोधन करके उनको मित्र बना लेना होगा। इस दिशा मे उसने हिन्दुस्तान मे भी प्रयत्न जारी कर दिया। और ता० १८ जनवरी १९४६ को

२ परन्तु यह ससार व्यापी महान् सगठन तभी सफल होगा जब उसके सदस्य राष्ट्र और उनके निवासी मानवता की सेवा के लिए न्याय, सहिष्णुता और सहयोग का नि.स्वार्थ भाव से आचरण करेंगे। क्योंकि इन गुणों के बगैर कभी कोई राष्ट्र और जातियाँ न तो एक साथ रह सकती हैं और न तरक्की कर सकती है।

३ यही बात हमारे अपने देश के बारे मे भी है। बदकिस्मती से आज मतभेदों और नाइत्तफाकी के कारण हम छिन्न-भिन्न हो रहे है। पर यहा भी मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हीं न्याय, सहिष्णुता और सहयोग के बल पर हम उस लक्ष्य को पहुंच सकेंगे जिसकी आकांक्षा इस देश के राजा से ले कर रक तक कर रहे है। क्या हम मे ऐसा एक भी मनुष्य है, जो हमारी इस मातृभूमि को स्वतन्त्र, महान् और सारे ससार मे आदृत नहीं देखना चाहता या यह कि जिस प्रकार प्राचीन काल मे मानव जाति को ऊपर उठाने में उसने जो जबरदस्त काम किया वैसा वह अब भी न करे?

अगर हम सब यही चाहते है तो आइए इस महान् लक्ष्य को पूरा करने मे हम सब लग जावें और इसके लिए आवश्यक त्याग करने को तैयार हो जावें। हम यह याद रक्खें कि लेने के बजाय देने मे अधिक आनन्द है।

इस दिशा मे एक प्रयत्न के रूप मे और रियासतो को बल के भारत मे अपना हिस्सा अदा करने योग्य बनाने की गरज से मै रियासतो मे वैधानिक परिवर्तनो के सम्बन्ध मे नीचे लिखी घोषणा करता हू—

१ नरेन्द्र मण्डल ने मन्त्रियो की समिति के साथ रियासतो के अन्दर वैधानिक सुधारो के विकास के प्रश्न पर चिन्तापूर्वक विचार किया। रियासतो की सही सही वैधानिक स्थिति के बारे मे सम्राट की सरकार ने पार्लियामेन्ट में पुन. घोषणा कर दी है और ताज के प्रतिनिधि स्वरूप श्रीमान् वाइसराय ने उसे दोहराया भी है कि "अपने अपने प्रजाजनो और रियासतो को किस किस प्रकार का शासन-विधान अनुकूल होगा—इसका निर्णय करने का अधिकार उन उन नरेशो को ही है।" इस वास्तविक स्थिति को किसी प्रकार भी बाधा न पहुंचाते हुए नरेन्द्र मण्डल अपनी नीति को साफ साफ बता देने और इस दिशा मे तुरन्त कदम उठाने की उन रियासतो को सिफारिश करता है जहां ऐसे कदम अब तक नहीं उठाये गये हैं।

तदनुसार नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को अधिकार दिया जाता है कि वह नरेन्द्र मण्डल की तरफ से और उसकी पूर्ण सत्ता से नीचे लिखी घोषणा करें—

३ अधिकांश रियासतो ने पहले ही से अपने राज्यो मे कानूनी राज्य और जान माल की रक्षा का आश्वासन देने वाले कानून बना दिये है। फिर भी जिन रियासतो मे अभी यह नहीं हुआ है इस सम्बन्ध मे अपनी नीति और उद्देश्यो को साफ साफ शब्दो मे प्रकट करने की गरज से घोषित किया जाता है कि रियासतो मे प्रजाजनो को नीचे लिखे अत्यावश्यक अधिकारो का पूरा आश्वासन दे दिया जाय और रियासत के न्यायालयो को यह अधिकार दिया जाय कि इनका भग होने पर वे प्रजाजनो को राहत दिलावे।

अधिकार—

(क) कानून के वाहर किसी भी मनुष्य की आजादी न छीनी जाय और न किसी के मकान या जायदाद मे कोई घुसे या उससे छीने या जब्त करे।

(ख) हर आदमी को हेबियस कॉर्पस के अनुसार अधिकार होगा। युद्ध, विप्लव या गम्भीर भीतरी गडवडी के प्रसग पर ऐलान द्वारा इस अधिकार को थोडे समय के लिए मुल्तवी किया जा सकेगा।

(ग) हर आदमी अपने विचारो को स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकेगा, मिलने जुलने और सम्मेलनो की स्वतन्त्रता होगी, और कानून तथा नैतिकता के अविरोधी उद्देश्यो के लिए वगैर हथियार लिये या फौजी ढग को छोड कर लोग एकत्र भी हो सकेगे।

(घ) सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था का भग न करते हुए हर आदमी को अपने विवेक के अनुसार चलने और अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार होगा।

(ङ) कानून की नजरो मे सब मनुष्य एक से होगे इसमे जात, पात, धर्म विश्वास का ख्याल नहीं किया जायगा।

(च) सार्वजनिक (सरकारी) पद, प्रतिष्ठा या सत्ता का स्थान, या व्यापार-पेशा वगैरा में जात-पाँत धर्म मतमतान्तर या विश्वास के कारण किसी पर कोई बंद न होगी।

(छ) बेगार नहीं रहेगी।

४ यह पुनः घोषित किया जाता है कि शासन नीचे लिखे सिद्धान्तों पर आधारित होगा और जहां इन पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है, कठोरता पूर्वक इस पर अमल कराया जायगा—

(अ) न्याय दान का काम निष्पक्ष और सुयोग्य व्यक्तियों के हाथों में रहे। वे शासन विभाग से स्वतन्त्र हों। आम व्यक्तियों एवं रियासतों के बीच के मामलों का निष्पक्ष निर्णय देने की सुव्यवस्था हो।

(आ) नरेश अपने राज्यों में शासन विषयक बजट से निजी खर्च को बिलकुल अलग बताया करें और राज्य की सालाना आय पर उसका कोई निश्चित और उचित अनुपात मुकर्रर कर दें।

(इ) कर-भार न्यायोचित और सब पर समान हो और राज्य की आय का एक निश्चित और ज्यादा हिस्सा जनता की भलाई के कामों के खास तौर पर राष्ट्र-निर्माणकारी महकमों पर खर्च किया जाय।

अभाव से मुक्त करें लोग मन और वाणी में अधिक स्वतन्त्र हों और पारस्परिक स्नेह सहिष्णुता, सेवा और उत्तरदायित्व के मजबूत आधार पर इसका उत्तरोत्तर विकास और परिवर्द्धन हो।

इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे विचारों और उद्देश्यों को भूतकाल में बार बार और बुरी तरह पेश किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव की भाषा और नरेन्द्र मण्डल की तरफ से की गई यह घोषणा अब भविष्य में किसी प्रकार की शकाओं के लिए गुंजाइश नहीं रहने देगी। इससे अधिक और मैं क्या कहूँ। आशा है आप इस प्रस्ताव को मजूर करेंगे। प्रस्ताव यों है—

'नरेन्द्र मण्डल यह दोहरा देना चाहता है कि देश अपने पूर्ण विकास की स्थिति को तुरन्त पहुँचे इस सम्बन्ध में तमाम लोगों में जो भावना है उसमें रियासतें पूर्णतया शरीक हैं, और वे भारतवर्ष की वैधानिक गुत्थी को सुलझाने में अपनी शक्ति भर पूरा हाथ बटावेंगी।"
१८ जनवरी १९४६

मंत्रि मण्डल का मिशन

नरेन्द्र मण्डल की बैठक के साथ साथ इंग्लैंड में इस सम्बन्ध में चर्चाएं चल रही थीं कि भारतीय समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाय। और इनका अन्तिम निर्णय इस निश्चय में हुआ कि मन्त्रिमण्डल के वजनदार और अधिक से अधिक अनुभवी सदस्यों का एक मिशन भारत भेजा जाय। वह भारतीय नेताओं से तथा सभी पक्षों से बातचीत करे और इस प्रश्न को हल कर के ही आवे। उसे इस सम्बन्ध में सभी आवश्यक अधिकार भी दे दिये जावें। इस निर्णय की घोषणा करते हुए इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेन्ट ऐटेली ने ता० १५ मार्च को पार्लियामेन्ट में जो घोषणा की उसमें बताया था कि 'भारतमन्त्री लार्ड पेथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा मि. ए. वि. एलेक्जाण्डर [illegible]

अत्यन्त वजनदार और अनुभवी साथियों को मन्त्रिमण्डल की तरफ से भारतवर्ष भेजने का निश्चय किया गया है।

"मेरे ये साथी इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान जा रहे हैं कि वे उसे जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक पूर्ण आजादी हासिल करने में संपूर्ण सहायता करें। आजकी सरकार के स्थान पर वहां किस प्रकार का शासन कायम किया जाय इसका निर्णय तो खुद हिन्दुस्तान ही करेगा। हां उसको यह निर्णय करने के लिए तुरन्त एक सभा बनाने में जरूर पूरी सहायता करना चाहते हैं।

"मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता ब्रिटिश कामनवेल्थ (राष्ट्र संघ) में रहना पसन्द करेगी, मुझे निश्चय है कि इस निर्णय से उसे बहुत लाभ होगा।

पर यह निर्णय वह अपनी स्वेच्छा से ही करे, ब्रिटिश राष्ट्र संघ या साम्राज्य बाहरी बन्धनों के आधार पर नहीं बना है। यह स्वतन्त्र राष्ट्रों का स्वेच्छापूर्वक बनाया गया संघ है। पर अगर हिन्दुस्तान एकदम स्वतन्त्र ही होना चाहे तो हमारी राय में उसे इसका अधिकार है। यह परिवर्तन जितना भी आसान और शान्तिपूर्ण हो सके उसे वैसा बना देना हमारा काम है।

निर्णय और योजना प्रकाशित कर दी। इस योजना मे बताया गया था कि विधान-परिषद तथा अस्थाई सरकार का निर्माण होकर अब शीघ्र ही विधान बनाने का काम जारी होने वाला है। वक्तव्य मे सर्वसमत योजना बनाने के प्रयत्नो की असफलता का जिक्र करने के बाद कहा गया है कि "मुसलिम लीग के समर्थको को छोड कर लगभग सब ने एक मत से भारत की एकता के पक्ष मे अपनी इच्छा प्रकट की है। पर इसने हमे हिन्दुस्तान के बटवारे की संभावना पर निष्पक्ष भाव से और बारीकी से विचार करने से रोका नहीं। मुसलिम लीग चाहती है कि हिन्दुस्तान के दो हिस्से स्वतत्र राज्यो के रूप मे अलग कर दिये जावे। इनमे से पहले हिस्से मे पजाब, सिन्ध, सीमाप्रान्त और ब्रिटिश बलूचिस्तान हो और दूसरे मे बंगाल तथा आसाम। इन प्रान्तो की सीमाओ को बाद में निश्चित किया जा सकता है। परन्तु पाकिस्तान सिद्धान्त के रूप मे पहले मंजूर कर लिया जाय। इस मॉग के समर्थन मे दो दीलीले है--

१ जिन प्रान्तो मे मुसलिम बहुमत है वहॉ शासन किस प्रकार का हो यह निर्णय करने का अधिकार मुसलमानो को हो।

२ और शासन तथा आर्थिक दृष्टि मे यह योजना व्यावहारिक बन जाय इसलिए इसमे कुछ मुस्लिम अल्पमत वाले प्रदेश और जोड़ दिये जावे।

इनमे से पहले हिस्से मे २२६ लाख अर्थात् ६२ प्रतिशत मुसलमान और लगभल ३८ प्रतिशत गैर मुस्लिम आबादी है। और दूसरे हिस्से में ३६४ लाख अर्थात् ५१$\frac{2}{3}$ प्रतिशत मुस्लिम तथा ४८$\frac{1}{3}$ प्रतिशत गैर मुसलिम आबादी है। इसके अलावा दो करोड मुसलमान शेप प्रान्तो मे बटे हुए है।

इन अको से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग की मॉग के अनुसार हिन्दुस्तान से ये दो हिस्से पाकिस्तान के रूप मे अलग निकाल दिये जावें तो भी (१)

अल्पमत की समस्या हल नहीं होगी फिर (२) पंजाब, बंगाल और आसाम के जिन जिलों में मुसलमान कम संख्या में हैं उन्हें पाकिस्तान में जोड़ देना कैसे न्याय संगत होगा हम नहीं समझ पाते। पाकिस्तान के पक्ष में जो दलीलें पेश की जा रही हैं, वे सब दलीलें इन जिलों को पाकिस्तान में न जोड़ने के पक्ष में दी जा सकती हैं।

तब क्या इनको छोड़ कर पाकिस्तान बनाया जा सकता है और उस पर कोई समझौता हो सकता है? (३) कुछ मुसलमान ही इसे अव्यावहारिक मानते हैं। फिर (४) हम भी यह निश्चित रूप से मानते हैं कि इस तरह पंजाब और बंगाल के टुकड़े टुकड़े करना वहाँ की जनता के बहुत बड़े हिस्से की इच्छा और हितों के प्रतिकूल होगा। फिर (५) ऐसे टुकड़े करने से सिक्ख जाति भी दो टुकड़ों में बट जायगी। इसलिए हम बरबस इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि न तो बड़ा पाकिस्तान और न छोटा पाकिस्तान जातीय समस्या को हल कर सकेगा।

पर मुसलमानो को जो वास्तविक भय है उसका भी हमे पूरा पूरा ख्याल है इस भय को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक योजना पेश की है उसके अनुसार देश रक्षा, आवागमन के साधन और वैदेशिक विभाग जैसे कुछ विषयो के अपवाद के साथ प्रान्तो को सपूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई है।

कांग्रेस ने इस योजना मे यह भी गुंजाइश रक्खी है कि जो प्रान्त शासन और अर्थ के सम्बन्ध मे बडे पैमाने पर किये जाने वाले सयोजन मे भाग लेना चाहे वे इन उपर्युक्त अनिवार्य विषयो के अलावा अन्य कुछ विषय भी स्वेच्छापूर्वक केन्द्र को सौंप सकते है।

इस योजना मे कई कठिनाइयाँ बताने के बाद मिशन ने रियासतो के प्रश्न पर लिखा है—

"अपनी सिफारिशे पेश करने के पहले हम ब्रिटिश भारत और रियासतो के सम्बन्ध पर विचार कर ले। यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत के स्वतन्त्र हो जाने के बाद—चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्र सघ के साथ रहे या अलग—रियासतो और ब्रिटिश सम्राट के बीच अब तक जो सम्बन्ध रहा है वह अब आगे नही रह सकेगा। हिन्दुस्तान मे सार्वभौम सत्ता न तो सम्राट के हाथो मे रह सकती है और न वह नई सरकार को सौंपी जा सकती है।

रियासतो के जिन जिन लोगो से हम मिले वे सब इस बात को मानते है। इसके साथ ही उन्होने हमे यह आश्वासन दिया है कि हिन्दुस्तान मे आने वाले इस नवीन परिवर्तन को वे पसन्द करते है और उसमे सहयोग देने को भी तैयार है। इस सहयोग का ठीक ठीक रूप क्या होगा यह तो विधान बनाते समय आपसी बातचीत से तय होगा। और यह भी कोई जरूरी बात नही कि इसका स्वरूप सर्वत्र एक सा होगा। इसलिए नीचे दी योजना मे रियासतो के बारे मे हम इतनी तफसील मे नही गये है।

हमारी योजना इस प्रकार है—

(१) हिन्दुस्तान की एक यूनियन (सघ) हो, जिसमे ब्रिटिश भारत

और रियासतें भी हों। और उसके अधीन वैदेशिक आवागमन तथा देश रक्षा के विभाग हों। इन महकमों के लिए लगने वाला आवश्यक खर्च निकालने के लिए कोष एकत्र करने का अधिकार भी इस यूनियन को हो।

(२) यूनियन का एक मन्त्रि मण्डल और धारा सभा भी होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

अगर कोई ऐसा सवाल आवे जिसमें कोई बड़ा जातीय प्रश्न उपस्थित होता हो, तो उसके निर्णय के लिए दोनों जातियों के उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों तथा तमाम सभा में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की बहुमति अलग अलग लाजिमी होगी।

(३) यूनियन के विषयों को छोड़ कर तमाम विषय और बाकी सत्ता—जिसका निर्देश नहीं कर दिया गया है—प्रान्तों के अधीन होंगे।

(४) यूनियन को जो विषय सौंप दिये जावें उनको छोड़ कर अपनी सभी सत्ता और विषय रियासतों के अपने अधीन होंगे।

(२) प्रत्येक प्रान्त में प्रधान **जातियों की जैसी आबादी होगी उनकी संख्या के अनुसार** इन प्रतिनिधियों की संख्या जातियों में बट जायगी।

(३) [वास्तव में यह प्रतिनिधि जनता के द्वारा ही बालिग मताधिकार के आधार पर चुने जाने चाहिए। परन्तु आज इस तरह के चुनाव में अनेक कठिनाइयाँ है और बहुत अधिक विलम्ब हो जाने की संभावना है। इसलिए] इन प्रतिनिधियों का चुनाव प्रान्तीय धारा सभाओं के सदस्य ही जातिवार कर लेंगे।

परिषद के लिए तीन प्रधान जातियां मानी गई हैं—

१ जनरल
२ मुस्लिम
३ सिक्ख

छोटी छोटी जातियों को उपर्युक्त नियम के अनुसार या तो स्वतंत्र प्रतिनिधित्व मिल ही नहीं सकता या बहुत थोड़ा मिल सकता है। इसलिए उनको जनरल विभाग में शामिल कर दिया गया है।

प्रान्तों तथा रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या

सेक्शन A.	जनरल	मुसलिम	कुल
मदरास ...	४५	४	४९
बम्बई ...	१९	२	२१
युक्तप्रान्त ...	४७	८	५५
बिहार ...	३१	५	३६
मध्य प्रदेश	१६	१	१७
उड़ीसा ..	९	०	९
	१६७	२०	१८७

सेक्शन B.		जनरल	मुसलिम	सिक्ख	कुल
पंजाब	...	८	१६	४	२८
सीमाप्रान्त	...	०	३	०	३
सिन्ध	...	१	३	०	४
		९	२२	४	३५

सेक्शन C		जनरल	मुसलिम	कुल
बंगाल		२७	३३	६०
आसाम	..	७	३	१०
		३४	३६	७०

ब्रिटिश भाग के	२९२	} +३८५
+ रियासतों के	९३	
दिल्ली (A)		१
अजमेर (A)		१
ब्रिटिश बलूचिस्तान		१
		३८८

(२) पहले अधिवेशन में नीचे लिखे कार्य होंगे—

(क) कार्यक्रम का निश्चय

(ख) सभापति तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव

(ग) नागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक जातियाँ, कबीलों और आदिमवासी सम्बन्धी प्रश्नों पर सलाह देने वाली कमिटी की नियुक्ति.

(३) इसके बाद प्रान्तीय प्रतिनिधि तीन (A. B C) विभागों में बट जावेंगे। और वे नीचे लिखे काम करेंगे—

(क) अपने अपने विभाग के प्रान्तों के लिए विधान बनाना।

(ख) इन प्रान्तों के लिए कोई सम्मिलित विधान बनाने या न बनाने के बारे में निश्चय करना।

(ग) अगर ऐसा सम्मिलित विधान बनाने का निश्चय हो तो उसके विषयों का निर्णय करना।

प्रान्तों को इन समूहों से अलग होने का अधिकार रहे।

(४) इसके बाद तीनों विभागों के तथा रियासतों के प्रतिनिधि बैठ कर यूनियन का विधान बनावेंगे।

अलग हो सकेगा। नये विधान के अनुसार किये गये चुनाव हो जाने के बाद नई धारा सभा यह (अलग होने का) निर्णय करेगी।

७ नागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा कबीलों और आदिम निवासियों के मौलिक अधिकारों के बारे में सलाह देने वाली समिति में सम्बन्धित जातियों का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। कमिटी यूनियन की परिषद् को रिपोर्ट देगी कि—

(क) मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे ?

(ख) अल्पसंख्यकों के बचाव की क्या क्या तजवीजें हों ?

(ग) कबीलों के तथा आदिम वासियों के शासन की योजना क्या हो ?

(घ) **इन अधिकारों का समावेश** प्रान्तीय ग्रुप के या केन्द्रीय विधान में कर लिया जाय अथवा नहीं ? इस विषय में भी यह कमिटी सलाह देगी।

(८) वाइसराय तुरन्त प्रान्तीय धारा सभाओं से विनति करेंगे कि वे अपने अपने प्रतिनिधियों के चुनाव तुरन्त कर लें। और रियासतों से कहेंगे कि वे निगोशिएटिंग कमिटी बना लें।

(९) आशा है कि विधान बनाने का काम यथासंभव जल्दी से शुरू हो जावे। ताकि अस्थाई सरकार का काम छोटे से छोटा हो सके। यूनियन का विधान बनाने वाली परिषद् और युनाइटेड किंगडम के बीच इस सत्ता परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ विषयों के बारे में एक सन्धिनामा बना लेना जरूरी होगा।

एक तरफ जहाँ विधान बनता रहेगा दूसरी तरफ देश का शासन भी जारी ही रहेगा। इसलिए हमारी राय में यह अत्यन्त जरूरी है कि देश के प्रधान दलों का समर्थन प्राप्त अस्थायी सरकार की तुरन्त स्थापना कर दी जाय। भारत की सरकार के सामने जो कठिन काम [illegible] इस

मध्यकाल मे अधिक से अधिक सहयोग के साथ हो यह बहुत जरूरी है। इस सम्बन्ध मे वाइसराय ने बातचीत भी शुरू कर दी है उन्हे आशा है कि वे बहुत जल्दी ऐसी अस्थाई सरकार की स्थापना कर लेगे जिसमे युद्ध मन्त्री सहित सभी जिम्मेदारियाँ भारत की जनता के सपूर्ण विश्वास का उपभोग करने वाले नेताओ के हाथो मे होगी।

ब्रिटिश सरकार भी इस सरकार को शासन मे तथा इस परिवर्तन को सरलता और शान्ति पूर्वक लाने मे पूरा सहयोग देगी

इन प्रस्तावो से आप को शायद पूर्ण संतोष न हो। पर भारतवर्ष के इतिहास मे इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रसग पर राजनैतिक दूरदर्शिता का यह तकाजा है कि आप मेल जोल से काम ले और करे। जरा सोचे कि अगर इन प्रस्तावो को मजूर नही किया गया तो नतीजा क्या होगा? कितनी भयकर मार काट, अव्यवस्था और गृह युद्ध होगा। इसलिए हम इस आशा के साथ इन प्रस्तावो को आप के सामने पेश करते है कि वे उसी सद्भाव के साथ मजूर कर लिये जावेगे, जिसके साथ उन्हे पेश किया गया है हिन्दुस्तान का भला चाहने वाले तमाम सज्जनो से हम अपील करते है कि अपनी अपनी जाति तथा स्वार्थों से ऊपर उठ कर चालीस करोड के हितो का ध्यान रख कर जो कुछ करना चाहे करे।

सन्धियों और सार्वभौम सत्ता पर नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर को मिशन द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण

१ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही मे साधारण सभा मे जो वक्तव्य दिया है उसमे नरेशो को यह आश्वासन दिया था कि सन्धियो और सुलह-नामो से जो अधिकार नरेशो को प्राप्त है उनमे बगैर उनकी स्वीकृति के कोई भी परिवर्तन करने का उद्देश्य सम्राट का नही है। इसके साथ ही (सम्राट को नरेशो की तरफ से) यह कहा गया था कि इन बात चीत के फल स्वरूप कोई परिवर्तन करना तय हुआ तो नरेश भी उसके लिए

अपनी स्वीकृति देने से नाहक इन्कार नहीं करेंगे। इसके बाद तो नरेन्द्र मण्डल ने यह कह कर कि नरेश भी सारे देश के साथ यही चाहते हैं कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त करे उपर्युक्त आश्वासन का समर्थन कर दिया है। सम्राट की सरकार ने भी अब यह घोषणा कर दी है कि यदि हिन्दुस्तान की भावी सरकार या सरकारें स्वतन्त्रता चाहेंगी तो उनकी राह में रुकावट नहीं डाली जायेगी। इस घोषणा का असर यह हुआ है कि हिन्दुस्तान के भविष्य के विषय में जिन्हें कुछ भी दिलचस्पी है, वे सब चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आज़ाद हो—फिर चाहे वह ब्रिटिश राष्ट्रसमूह के साथ रहे या अलग। हिन्दुस्तान की इस इच्छा की पूर्ति में सहायता करने के लिए मिशन यहां आया है।

अनेक मिल कर ऐसी सयुक्त इकाइयॉ बना लेंगी जिससे नई व्यवस्था मे वे ठीक बैठ सकें। अगर रियासती सरकारो ने अपनी जनता के साथ नजदीक का और रोजमर्रा का सपर्क अभी कायम नही किया है तो इस निर्माण-कार्य मे राज्य के अन्दर प्रातिनिधिक संस्थाओं की स्थापना कर के वह करे। इससे उनकी शक्ति बढेगी ही।

४ इस बीच के काल में रियासतो को ब्रिटिश भारत के साथ अर्थ और कोष जैसे सामान्य विषयों के सम्बन्ध में बातचीत करना पडेगा। रियासतें नई वैधानिक व्यवस्था में शरीक हो या न हो यह बातचीत और मशविरा जरूरी है और इसमें काफी समय लगेगा। जब नई सरकार स्थापित होगी शायद तब तक यह बातचीत अधूरी भी रहे। ऐसी सूरत मे शासन सम्बन्धी असुविधाये खड़ी न हो इसलिए रियासतों और नई सरकार या सरकारो के बीच कोई ऐसा समझौता कर लेना जरूरी होगा कि जब तक कि इन सामान्य विषयों के सम्बन्ध में नये इकरारनामे नही बन जाते तत्कालीन व्यवस्था में ही जारी रहे। इस विषय में अगर चाहा गया तो ब्रिटिश सरकार और सम्राट के प्रतिनिधि अपनी तरफ से शक्ति भर आवश्यक सहायता करेंगे।

५ जब ब्रिटिश भारत में संपूर्ण सत्ताधारी नई स्वराज्य सरकार या सरकारे कायम हो जावेंगी तब सम्राट की सरकार का इन सरकारो पर ऐसा असर या प्रभाव नही रह सकेगा कि वह सार्वभौम सत्ता की जिम्मेवारियों को अदा कर सके। फिर वे यह भी कल्पना नहीं कर सकते कि इसके लिए हिन्दुस्तान मे अंग्रेजी फौजें रक्खी जा सकेंगी। इस प्रकार तर्क से भी यह साफ है और रियासतों की तरफ से जो इच्छा प्रकट की गई है उसे ध्यान में रखते हुए भी सम्राट की सरकार सार्वभौम सत्ता का अमल करना छोड़ देगी। इसका अर्थ यह है कि सम्राट के साथ के इस सम्बन्ध से रियासतो को जो अधिकार प्राप्त हैं वे खतम हो जावेंगे और रियासतो ने अपने जो अधिकार सार्वभौम सत्ता को सौंप दिये थे वे वापिस रियासतो के पास लौट जावेंगे।

नामो और सार्वभौम सत्ता के बारे मे दिया है—गौर से अध्ययन किया। कमिटी की राय है कि यह योजना हिन्दुस्तान को अपनी आजादी हासिल करने के लिए आवश्यक तन्त्र तथा आगे की बातचीत के लिए न्याय पूर्ण आधार प्रदान करती है। सार्वभौम सत्ता के बारे मे मिशन की घोषणा का कमिटी स्वागत करती है परन्तु बीच की अवधि के लिए कुछ तात्कालिक व्यवस्था की जरूरत होगी।

२ फिर भी योजना मे कुछ बाते ऐसी हैं जिनका खुलासा हो जाना जरूरी है। फिर कई जड की महत्वपूर्ण बाते बातचीत और निर्णय के लिए छोड दी गई हैं। इसलिए निगोशियेटिंग कमिटी बनाने के लिए वाइ-सराय ने जो निमन्त्रण दिया है उसे कमिटी ने स्वीकार कर लिया है और चान्सलर सा. की योजना मे बताये अनुसार बहस और बातचीत करने की व्यवस्था करने का अधिकार दे दिया है। यह योजना की गई है कि इन बातचीतो का नतीजा नरेशो की आम परिषद तथा रियासतो के प्रति-निधियो के सामने पेश कर दिया जाय।

३ अंतःकालीन व्यवस्था के बारे मे चान्सलर ने जो नीचे लिखे प्रस्ताव किये है उनका यह कमिटी समर्थन करती है:—

(क) अंतःकाल की अवधि मे सामान्य हितो के मामलो मे बातचीत कर के निर्णय करने के लिए एक स्पेशल कमिटी बना दी जाय जिसमे रियासतो के और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि हो।

(ख) न्याय पाने योग्य, कर सम्बन्धी और आर्थिक प्रश्नो के सम्बन्ध में वाद उपस्थित होने पर उन्हे पञ्च के सामने पेश करने का अधिकार रहे।

(ग) व्यक्तिगत या राजवंश से सम्बन्ध रखने वाले मामलो मे जब आपस में निर्णय हो जाय उनके अन्दर अन्दर का [illegible]

न्सलर के प्रतिनिधि को लिखे अपने उपर्युक्त १६ जून १६४६ के पत्र मे नरेशो के दृष्टिकोण को और भी इस प्रकार साफ किया है:—

"डेलीगेशन के वक्तव्य पर नरेशो के विचार पृथक रूप से एक वक्तव्य मे प्रकाशित किये जा रहे है। × × परन्तु रियासतो और स्टैण्डिंग कमिटी का अन्तिम निर्णय तो इन बातचीतो के बाद सपूर्ण तस्वीर देखने पर ही प्रकट किया जा सकेगा।"

नरेशो को अभी अपने देशभाइयो और जनता से कुछ भय तो मालूम होता ही है। इसलिए चान्सलर वाइसराय को लिखते है—"कमिटी को यह विश्वास है कि जो चीजे अभी अनिर्णीत तथा अगली बात चीत के लिये अधूरी पडी है उन सब का निर्णय आप की सहायता से रियासतो के लिए सन्तोप जनक रीति से हो जायगा।

पर नरेशो क दिल की बात तो उनके आपसी पत्र व्यवहार या भीतरी बातचीत से ही मालूम हो सकती है। इसका एक नमूना इस पत्रांश मे मिलेगा जो एक विद्वान देश भक्त नरश ने अपने अन्य भाइयो को साव-धान करते हुए लिखा है।

"हिन्दुस्तान को निकट भविष्य मे पूर्ण स्वतन्त्रता देने की जो घोषणा ब्रिटिश सत्ता द्वारा हाल ही मे हुई है, उसने भारतीय नरेशो की स्थिति को निश्चित रूप से अत्यन्त कमजोर बना दिया है।

त्याग और रुक रुक कर और फूंक फूंक कर कदम बढ़ाने से अब काम न चलेगा। इनसे हम उल्टा अपने भविष्य को बिगाड़ लेंगे।"

"छोटी और मझले आकार की रियासतों की समस्या को सुलझाने के लिए हम जो उपाय काम में लावेंगे वे ऐसे ही होने चाहिए जो अंग्रेजी भारत के नेताओं को मंजूर होंगे। उनका आधार निश्चित रूप से उन सम्बन्धित रियासतों की जनता की भलाई होगा तभी वे सही भी होंगे। जनता के हित का बलिदान करते हुए अथवा उसे गौण मानते हुए वर्तमान नरेशों के अथवा उनके स्वार्थों की रक्षा के ख्याल से की गई उपाय-योजना नरेशों के लिए न केवल आत्मघातकी साबित होगी बल्कि उनकी कब्र की खुदाई का साज ही कर ले आवेगी।"

तो इस आदर्श के सही साबित होने की कोई आशा नही रही है। आज तो यही शका का विषय बन गया है कि उनका और उनकी रियासतो का अस्तित्व भी रहेगा या नही तो क्या जब कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची है, नरेश अब भी राजनीति और राज-काज से पहले की भाति दूर दूर ही रहेंगे ? या सदियो से अपने जिस स्वर्ग मे विचरते रहे है उससे बाहर निकल कर इस सघर्ष भरी दुनिया की भीड मे शामिल हो जावेगे, जहाँ कि उनके व्यक्तित्व, वैभव और सत्ता के लिये जिसका कि वे आज तक उपभोग करते आये है आदर का नामो निशान भी नही होगा। नरेशो को खूब सोच विचार कर तुरन्त निर्णय कर लेना है कि वे क्या करेगे ?"

इसके बाद प्रान्त की रियासतो का किस प्रकार एक सघ निर्माण करना चाहिए इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि "जिस यूनियन का विधान आपके विचारार्थ भेजा जा रहा है उसमे नरेशो का भी एक कौसिल होगा जिसके अन्दर नरेश बैठ कर अपने प्रान्त के पूरे यूनियन के शासन मे भाग लेगे। और इस यूनियन की सरकार को वे जो सत्ता और जिम्मेवारिया सौपेगे उनके निर्वहन मे अपना पूरा हिस्सा अदा करेंगे। यह सच है कि यह स्थिति उससे भिन्न है जिसका कि वे अब तक उपभोग करते आये है और शायद इसको वे पसन्द भी न करे। पर सवाल यह है कि दूसरे किस प्रकार वे प्रान्त की यूनियन सरकार से अपना सम्बन्ध [illegible] है जो कि एक सुन्दर सुसगठित शासन प्रणाली होगी। कौसिल ऑफ प्रिन्सेस के स्थान पर बडी आसानी से कौसिल ऑफ स्टेट्स बनाई जा सकती है जिसके अन्दर रियासतो की सरकारो के प्रतिनिधि [illegible] जा सकते है। शायद इसे कई नरेश मजूर भी कर ले। उनके [illegible] पसन्द कर लेगे और दूसरे तो ऐसा चाहेगे भी। पर नरेशो को [illegible] चाहिए कि इससे तो सारी राजनैतिक सत्ता उनके हाथो से हमेशा के लिए निकल जावेगी और वे हाथ मलते रह जावेंगे।

तो क्या वे पेन्शन और जेब खर्च ले कर [illegible] के [illegible] से निवृत्त हो जाना पसन्द कर लेंगे ? [illegible]

पहले के राजवंशों के समान दुनिया से मिट जावेंगे। क्योंकि आगे चल कर पेन्शनों को बन्द कर देना कोई बडी बात नहीं होगी। मेरी तो सलाह है कि इस समय नरेशों को अपने वैभव, भारी शान, वर्तमान सत्ता और प्रतिष्ठा के ऊपर से जारी रहने के दिखावे के मोह को भी छोड़ देना चाहिए। वे इस बात का ध्यान रक्खें कि उनके राजवंश नष्ट न हो जावें। यों भी उनके पर तो कट ही गये हैं। उनकी वह सत्ता, वैभव और प्रतिष्ठा भी गई। शान-शौकत भी कहां रही। फिर भी अगर वे अपने स्थान पर बने रहे और प्रजाजनों के साथ प्रान्त के राजकाज में भाग लेते रहेंगे तो अपने राजवंशों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे "

"सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी प्रान्तीय यूनियन को हम अपनी क्या-क्या सत्ता दें? आमतौर पर नरेशों की वृत्ति इस विषय में यह हो सकती है कि हम उतनी ही सत्ता प्रांतीय केन्द्र को दें जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो। पर मैं सावधान कर देना चाहता हूँ कि अगर इस विषय में कोई निर्णय लेने से पहले देश की परिस्थिति व समय की आवश्यकता पर पूरी गहराई के साथ विचार नहीं किया गया तो भारी गलती होगी। हमें केवल यही नहीं सोचना है कि हम सिर्फ वही बात करेंगे कि जो टल नहीं सकती। बल्कि हमें यह भी सोचना चाहिए कि समस्त देश की दृष्टि से क्या करना लाभदायक होगा?

ठन और अनुशासन को उतना ही मजबूत बनाना होगा। ऐसे संघ के बनाने मे नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना होगा—

(१) कानून बनाने के सम्बन्ध मे केंद्रीकरण की नीति से काम लिया जाय। अर्थात् सारी यूनियन के लिये कानून एक-से हो, परन्तु इनके अमल मे विकेन्द्रीकरण की नीति बरती जाय अर्थात् प्रत्येक राज्य अपनी स्थिति को देख कर के अपने ढंग से उस पर अमल करे।

(२) जहाँ-जहाँ शासन का विकेन्द्रीकरण हो, वहाँ यूनियन को उसकी देख-भाल, मार्गदर्शन और नियन्त्रण का पूरा अधिकार हो।

(३) इस यूनियन का संगठन और विधान बहुत अधिक संगठित और केन्द्रीय पद्धति का होना चाहिए, क्योंकि यूनियन की अधिकाश सदस्य रियासतो मे साधनो और योग्य आदमियो के अभाव और नागरिक जिम्मेवारी की भावना का ठीक-ठीक विकास नहीं होने के कारण, वे व्यक्तिगत रूप से उत्तम प्रकार का शासन नहीं चला सकेगी। इस अर्थ मे व्यक्तिगत रूप मे प्रत्येक रियासत मे अलग अलग जिम्मेदाराना हुकूमत न तो सभव है और न इष्ट ही है। हाँ, पूरी यूनियन मे जननन्त्री शासन पद्धति कर देने से राजनैतिक नेताओ को जरूर सन्तोष हो सकता है।

(४) यूनियन के शासन सम्बन्धी कानून और न्यायालय भी होने चाहिएँ। क्योंकि उसके अन्दर अनेक रियासते होने के कारण आये दिन शासन सम्बन्धी अनेक उलझने खड़ी होती रहेंगी, उनका वहीं निर्णय हो जाय।

(५) यूनियन का कोष इसके लिए प्रत्येक राज्य की तरफ से [illegible] सौप दिये जावे।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये बनाया गया विधान बहुत साफ नहीं है। विधान के अनुसार इनके [illegible]

होगी। एक का नाम कौंसिल आफ प्रिन्सेस होगा और दूसरी का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज। पहली में बड़ी रियासतों के नरेश और छोटी रियासतों की तरफ से सम्मिलित रूप से एक प्रतिनिधि होगा। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस के सदस्य नरेशों का एक मत बराबर होगा।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्ज में ५० हजार पर एक इस हिसाब से प्रजाजनों के प्रतिनिधि होंगे। २५ हजार से ऊपर वाले समूह का भी एक प्रतिनिधि होगा। चुनाव के लिये रियासतें मिल भी सकती हैं। कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस अपने में से एक सदस्य को यूनियन का अध्यक्ष चुनेगा जिसका कार्यकाल तीन साल का होगा। अध्यक्ष यूनियन का वैधानिक प्रधान होगा और यूनियन की कौन्सिल की सलाह से काम करेगा।

यूनियन की कौन्सिल में सात सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन्सिल ऑफ प्रिन्सेस उन नामों की सूची में से करेगी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा भेजी जायेगी। इसमें ऐसा कोई भी सदस्य हो सकता है जो यूनियन एसेम्बली की सदस्यता की पात्रता रखता है।

यूनियन के अधीन सभी विषयों पर दोनों हाउस अलग अलग विचार करेंगे।

और व्यावहारिकता का ध्यान रखने वाली भी है। परन्तु इसमे भी प्रजाजनो की सत्ता को मुक्त हृदय से सर्वोपरि नहीं माना गया है। नरेशो के हाउस को प्रजा प्रतिनिधियो के समान अधिकार देने से प्रगति मे बाधा ही पडने वाली है। क्योकि नरेशो और प्रजाजनो की मनोवृत्ति स्वार्थ, सस्कार तथा भूमिका मे स्वभावतः बडा अतर होने के कारण बार बार गतिरोध का अन्देशा रहेगा। शोषण कम जरूर होगा पर किस हद तक कम होगा इसका ठीक ठीक अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता।

दूसरी योजना बुन्देलखण्ड के नरेशो की है, वह इससे कहीं पिछडी हुई और प्रतिगामी है। इसमे रूलर्स चेम्बर और पीपुल्स एसेम्बली इस तरह दो सभाये होंगी। इसका नाम युनायटेड स्टेट्स ऑफ बुन्देलखण्ड होगा। शासन रूलर्स चेम्बर पीपुल्स एसेम्बली के सहयोग से करेगा। रूलर्स चेम्बर मे बुन्देलखण्ड के सभी नरेश होंगे यूनियन से सम्बन्ध रखने वाले सभी अधिकार इस रूलर्स चेम्बर को होंगे, जिसकी मत सख्या ६६ होगी। सदस्य तो कम होंगे पर नरेशो को अपनी अपनी रियासतो की आबादी के अनुसार कम या अधिक मत होंगे।

पीपुल्स एसेम्बली मे १२७ से ले कर १४७ तक सदस्य होंगे, जिनमे से ७७ बालिग मताधिकार के अनुसार इतने ही चुनाव क्षेत्रो से चुने जावेंगे और ५० से ले कर ७० नामजद होंगे। प्रजा प्रतिनिधियो को एक एक मत ही होगा।

नामजद सदस्यो की तफसील यह है—

(क)	प्रधान मन्त्री और अन्य मन्त्री—	५ से ७
(ख)	रियासतो के जागीरदार	२० से २५
(ग)	पिछडी जातियाँ	१० से १५
(घ)	मजदूर वर्ग	१० से १५
(ङ)	विशेष हित	५ से ८
		५०—७०

मोटे तौर पर रूलर्स चेम्बर तथा पीपुल्स ऐसेम्बली मे प्रत्येक रियासत मे नीचे लिखे अनुसार मत होंगे।

रियासत	आबादी	रूलर्स चेम्बर	पीपुल्स एसेम्बली
ओरछा	३ लाख	१२	१०
दतिया	१½	१२	६
समथर	३३	४	३
पन्ना	२	६	७
चरखारी	१.२०	७	४
अजयगढ	८६	४	३
मैहर	६१	४	३

इस प्रकार बड़ी रियासतों के नरेशों को अधिक और छोटी रियासतों के नरेशों को कम मत होंगे।

रूलर्स चेम्बर एक एग्जीक्यूटिव कौन्सिल का चुनाव अपने अन्दर से करेगा। उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित तीन से लेकर पांच सदस्य होंगे। यह कौन्सिल रूलर्स चेम्बर की तरफ से यूनियन के तमाम शासन संचालन का काम करेगी। इसका कार्यकाल पांच साल का होगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव और कार्यकाल भी यही होगा।

३० प्रतिशत तक की व्यवस्था रक्खी गई है जो स्पष्ट ही अत्यधिक है। आज के वातावरण मे ऐसी योजनाओ को देख कर हसी आती है।

मध्यभारत की कुछ छोटी रियासतो ने मिल कर यह तय किया है। बताया जाता है कि वे अपने ऐसे अलग अलग सघ बना ले जिनकी सलाना आय लगभग एक करोड़ के हो। इस योजना मे खास हाथ भोपाल नरेश का दिखाई देता है। क्योंकि जब तक ऐसी कोई व्यवस्था नही होती यह रियासत स्वतत्र यूनिट के रूप मे कायम रह ही नही सकती।

महाराष्ट्र की रियासतो के नरेश भी मिल कर अपना एक सघ बनाने का विचार कर रहे है। पिछले दिनो वे महात्माजी से मिले थे। पर उनकी तरफ से उन्हे प्रोत्साहन ही मिला। महात्मा जी ने सलाह दी कि वे जो कुछ करना चाहे देशी-राज्य लोक-परिषद के अध्यक्ष प० जवाहरलालजी की सलाह और मार्ग-दर्शन मे करें।

नरेशो की एक और ऐसी योजना का भी पता लगा है। कहा जाता है कि काठियावाड गुजरात (बडौदा उनमे शामिल नही) दक्षिण राजपूताना मध्यभारत और उडीसा तक की रियासतें मिला कर वे पूर्व समुद्र से ले कर पश्चिम समुद्र तक का एक लम्बा रियासती कटिबन्ध बनाना चाहते है। दोनो समुद्रो पर उनके बन्दरगाह होंगे। और अपनी एक रेलवे लाइन भी होगी।

हिन्दुस्तान के सवाददाता ने अपने ३ अगस्त के एक सवाद में लिखा है—' नरेश इस बात का बडा ढिंढोरा पीटते रहे हैं कि हम भारत के वैधानिक विकास मे बाधक नही बनना चाहते ' पर वह अब ढीला पड़ता जा रहा है। इस समय उनका रुख यह जान पड़ता है कि ब्रिटिश सत्ता के भारत से हट जाने के बाद रियासते स्वतत्र हो जाती हैं। उन पर किसी सर्वोपरि सत्ता का प्रभुत्व नही रह जाता, भारतीय सघ मे वे विदेशी

कल्पना का राजस्थान ही है, जो पाकिस्तान के जैसा ही समस्त देश की स्वाधीनता और एकता के लिये बाधा जनक होगा।

नरेश इस हलचल मे लगे है इसके कुछ और भी प्रमाण मिल रहे हैं। पश्चिमी भारत की कुछ रियासतो की एक कान्फ्रेन्स सितम्बर के प्रारंभ मे हुई थी। जिसमे उन्होने पश्चिमी भारत और गुजरात की रियासतों का ग्रुप बनाने का निश्चय किया और उन्हे जबरदस्ती कहीं अन्यत्र मिला देने का विरोध किया।

उडीसा की रियासतें प्रान्त से स्वतन्त्र नहीं रह सकती। उनका प्रदेश बहुत छोटा है। राष्ट्र निर्माण, कानून और-सुव्यवस्था, वगैरह सब उनके लिये असभव होगा पहले वे उडीसा की मुहताज रही है। ज्ञात हुआ है कि उडीसा के प्रधान मन्त्री श्री हर कृष्ण मेहताब से सलाह लेकर उडीसा के नरेशो ने अपनी एक बैठक करने का निश्चय किया था जिसमे यह तय हुआ था कि श्री मेहताब भी उपस्थित रहेगे और उनके सामने ये रियासतों के भविष्य पर विचार करेगे। परन्तु कहा जाता है कि बीच ही में एक दिन उन्होने अपनी बैटक कर ली। श्री मेहताब को उस समय दिन की सूचना भी नहीं दी और निश्चय कर लिया कि वे प्रान्त में शामिल नही होगे जब कि इन रियासतो के कार्यकर्ताओं ने यह तय किया है कि ये रियासते उडीसा प्रान्त मे मिला दी जावे।

इस प्रकार नरेशो पर मिशन की घोषणा का असर तो सर्वत्र यही हुआ है कि अब हमारा भविष्य खतरे मे है परन्तु उसकी उपाय-योजना प्रत्येक प्रान्त के नरेशो ने अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग प्रकार से की है। कुछ बिल्कुल पिछडे हुये प्रतिक्रियावादी है तो दूसरे अधिक उदार है। परन्तु अपने पद और राजवंश का ख्याल और उसे बनाये रखने की चिन्ता सभी को है। और यह स्वाभाविक भी है।

जनता की प्रतिक्रिया

कांग्रेस और लोक परिषद् के प्रस्ताव

कांग्रेस और अ. भा. देशीराज्य लोक परिषद् ने कैबिनेट डेलीगेशन के वक्तव्य के रियासतों सम्बन्धी हिस्से पर अपनी राय नीचे लिखे प्रस्तावों में प्रकट की है—

कांग्रेस की कार्य समिति ने ता. २४ मई को मिशन के वक्तव्य पर एक लम्बा प्रस्ताव मंजूर किया था। उसमें देशी राज्यों से सम्बन्धित अंश पर कार्यसमिति ने कहा है—

कांग्रेस का प्रस्ताव

"वक्तव्य में रियासतों के बारे में जो कहा गया है वह अस्पष्ट है और बहुत कुछ आगे के निर्णय पर छोड़ दिया गया है। फिर भी कार्य समिति यह साफ कर देना चाहती है कि विधान सभा एक दम बेमेल तत्वों की नहीं बन सकेगी। और रियासतों की तरफ से भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका ऐसा जरूर हो कि जो प्रान्तों की चुनाव पद्धति से जहाँ तक सम्भव हो अधिक से अधिक मिलता जुलता हो।

अखिल भारत देशीराज्य लोकपरिषद् की—जनरल कौन्सिल ने डेलीगेशन के वक्तव्य पर नीचे लिखा प्रस्ताव मजूर किया:—

"केबिनेट डेलीगेशन और वाइसराय ने हिन्दुस्तान के लिए विधान बनाने के सम्बन्ध मे समय समय पर जो वक्तव्य दिये, उन पर अ. भा. देशी रा० लोक परिषद् की जनरल कौन्सिल ने विचार किया। कौन्सिल को यह देख कर आश्चर्य और दुख हुआ कि इन तमाम बातचीतो और मशविरो मे रियासती प्रजाजनो के प्रतिनिधियो को कही भी शामिल नही किया गया। हिन्दुस्तान का कोई विधान न तो कानून का रूप धारण कर सकता है और न उसका कोई परिणाम हो सकता है, जब तक कि वह रियासतो की नौ करोड जनता को लागू नही होगी। और जब तक इनके पतिनिधियो को इन मशविरो मे शामिल नही किया जायगा, ऐसा कोई विधान बन भी नही सकता। हिन्दुस्तान के इतिहास मे इस नाजुक प्रसग पर रियासती जनता को जिस प्रकार से अलग रख कर उसकी अवगणना की गई उस पर यह कौंसिल अपना रोष प्रकट करती है।

फिर भी कौन्सिल ने तमाम खतरो का पूर्ण विचार कर लिया है और स्वतंत्र और सयुक्त भारत के निर्माण मे—रियासते जिसका आवश्यक और स्वय शासित अग होगी—सहयोग देने को वह अब भी तैयार है। रियासती जनता की नीति का निर्णय उदयपुर के पिछले अधिवेशन मे कर ही दिया गया है। यह कौंसिल उसी पर कायम है। रियासतो मे जनता की पूर्ण उत्तरदायी हुकूमत हो और रियासते स्वतत्र सबद्ध भारत के अगरूप है। इस आधार पर वह नीति कायम की गई है। उसमे यह भी कहा गया था कि भारत का शासन-विधान बनाने के लिए जिस किसी सस्था का निर्माण होगा, उसमे रियासती जनता के प्रतिनिधि हो और वे व्यापक मताधिकार के आधार पर चुने जावे।

नरेशो की तरफ से स्वतत्र और संयुक्त भारत के पक्ष मे जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है उसका यह कौंसिल स्वागत करती है। स्वतंत्र

रियासतो के लिए ऐसे ही विधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

कौन्सिल की राय है कि इस त्रुटि की पूर्ति होना जरूरी है। विधान-परिषद मे प्रान्तो के साथ साथ रियासतो के प्रतिनिधियो का भी शुरू से हाजिर रहना इष्ट है। ताकि रियासतो के प्रतिनिधि भी अलग बैठ कर जब कि प्रान्तो के प्रतिनिधि प्रान्तो का विधान बनाते रहेगे रियासतो के विधानो के लिए कुछ आधार भूत बातो को तय कर लेगे।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस कौंसिल की राय है कि सीधे चुनावो के आधार पर बनी हुई धारा-सभायें जहाँ जहाँ भी हो, उनके सदस्यो को विधान-परिषद के लिए रियासतो के प्रतिनिधि चुनने वाले मतदाता बना दिये जाँय। पर यह कदम तभी उठाया जाय जब सम्बन्धित रियासतो मे नये सिरे से धारा-सभाओ के स्वतन्त्र चुनाव हो जावे।

दूसरी तमाम रियासतो के लिए अ. भा. देशीराज्य लोकपरिषद की रीजनल कौंसिल के द्वारा विधान परिषद के प्रतिनिधि चुने जावे। छोटी रियासतो की तरफ से सही प्रतिनिधि चुनने का मौजूदा स्थिति मे यह अच्छे से अच्छा तरीका होगा।

कौंसिल की यह भी राय है कि कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा सुझायी गई निगोशियेटिग कमिटी मे रियासती जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए।

स्थापित करने का काम करे ताकि उनके शासनों में किसी हद तक समानता लाई जा सके।

इसी प्रकार जिम्मेदाराना हुकूमत की दिशा में रियासतों के भीतरी शासन में सुधारों के कदम जल्दी जल्दी बढ़वाने की दिशा में भी यह कौन्सिल काम करे। फिर यह कौन्सिल रियासतों के समूहीकरण के प्रश्न पर भी विचार करे और देखे कि इनके किस प्रकार संघ बनाये जा सकते हैं, जो विशाल भारतीय संघ की इकाई बनने लायक बनें हों और अन्य रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया जा सके।

अंतःकाल की अवधि के बाद रियासतें एक एक या समूहों में मिल कर संघीय यूनियन में समान अधिकार वाली इकाइयों का दर्जा पायेंगी। उनका भीतरी शासन भी प्रान्तों के समान उत्तरदायी ही होगा।

(जून ११ सन् १९४६ दिल्ली.)

सतों के निवासियों की शिक्षा, आरोग्य, शासन प्रबन्ध अथवा अन्य सुख सुविधाओं पर लगाया जाता होगा। परन्तु इतनी छोटी-छोटी रियासतों की क्या तो आय हो, क्या उनका शासन प्रबन्ध हो, और क्या वे अपने प्रजाजनों को सुख-सुविधाये दे। यह तो सारी-की-सारी रकम इनके नरेशों या जागीरदारों के खानगी खर्च मे ही चली जाती है और प्रजाजन जीवन की आवश्यक शिक्षा-आरोग्य आदि की सुख-सुविधाओं मे वंचित रह जाते है।

एक दूसरा उदाहरण ले। काठियावाड की २७४ छोटी रियासतों की आय १, ३५, ००,००० होती है। और इस आय मे २७४ छोटी-छोटी सरकारे चल रही है। इनमे १० जरा बडी रियासतों को छोड दे तो प्रत्येक रियासत का औसत रकबा २५ वर्गमील और औसत आबादी ५,००० मनुष्यो की पडती है। २०२ रियासते इतनी छोटी है कि उनका रकबा पूरा १० वर्गमील भी नहीं और १३६ रियासते ऐसी है, जिनका रकबा ५ वर्गमील के अन्दर-अन्दर है। ७० रियासते १ वर्गमील के भी अन्दर वाली हैं। स्पष्ट है कि ऐसी नामधारी रियासतों के लिये भावी शासन विधान मे कोई स्थान नहीं हो सकता।

रह सकेंगी। परन्तु उदयपुर अधिवेशन में इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हुआ, उसमें इन दो शर्तों को ऊँचा कर दिया गया। उसमें ठीक मर्यादा तो नहीं बताई पर मोटे तौर पर यह बात जरूर कह दी कि वे ही रियासतें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में रह सकेंगी, जो अपने प्रजाजनों के लिये आधुनिक सुधरे हुए शासन की तमाम सुख-सुविधायें मुहैया कर सकेंगी। इस प्रश्न पर लोक परिषद के जनरल कौंसिल की जून १९४६ वाली बैठक में फिर विचार हुआ और अपने प्रान्तीय संगठनों को कौंसिल ने यह आदेश दिया कि वे अपने प्रदेशों में रियासतों की जनता के प्रतिनिधियों की सलाह ले कर यह बतावें कि वहाँ उपर्युक्त कमेटियों को ध्यान में रखते हुए रियासतों का समूहीकरण किस प्रकार करना चाहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में इस सम्बन्ध में चर्चायें हुईं। और प्रायः सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि —

(१) रियासतें या उन के समूह छोटे छोटे नहीं, काफी बड़े हों, जिनसे वे अपने प्रजाजनों को आधुनिक शासन की तमाम सुविधायें दे सकें।

(२) बड़ी रियासतों को भले ही रहने दिया जाय परन्तु छोटी रियासतों के अलग समूह बनाने या उन्हें बड़ी रियासतों में शामिल करके रियासती रकबे को बढ़ाने के बजाय पास-पड़ोस के प्रान्तों में मिला देना अधिक अच्छा होगा।

(१) कश्मीर और जम्मू खुद बखुद एक काफी बड़ी रियासत है।

(२) पजाब की प्रादेशिक लोकपरिषद ने यह तय किया है कि सिक्ख रियासतो को छोड कर शेष को ब्रिटिश प्रान्त मे मिला दिया जाय।

(३) हिमालय प्रदेश की छोटी रियासतो को भी पजाब मे मिला देने की सिफारिश इन रियासतो के प्रतिनिधियो ने की है।

(४) राजपूताना के रिजनल कौन्सिल ने यह तय किया है कि समस्त राजपूताने का एक पूरा यूनिट बना दिया जाय। और अजमेर मेरवाडे का ब्रिटिश जिला भी इस यूनिट मे जोड़ दिया जाय।

(५) मध्य-भारत मे छोटी-मोटी बासठ रियासते है। युक्त प्रान्त की रामपुर और बनारस तथा मध्य प्रदेश की मकडाई नामक एक छोटी-सी रियासत भी मध्यभारत के साथ ही जुडी हुई है। प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि इन दीगर प्रान्तीय रियासतो को अपने अपने प्रान्तो अर्थात् क्रमश. युक्त प्रान्त और मध्य प्रदेश मे जोड दिया जाय। इसके बाद इतिहास, संस्कृति, भाषा, परम्परा और भूगोल की दृष्टि से मध्यभारत के दो स्वतन्त्र विभाग रह जाते है—मालवा और बुन्देलखण्ड—बघेलखण्ड। प्रादेशिक कौन्सिल ने सिफारिश की है कि मध्यभारत के ये ही दो स्वाभाविक यूनिट बना दिये जावे। मालवा मे गवालियर, इन्दौर, भोपाल, और मालवा तथा भोपाल एजन्सी की रियासते रहे और दूसरे यूनिट मे बुन्देलखण्ड-बघेलखण्ड की तमाम रियासते रहे। इस यूनिट को बड़ा और स्वयंपूर्ण बनाने के लिए भाषा और संस्कृति की दृष्टि से इसमे यू. पी. के बांदा और जालौन जिले भी जोडे जा सकते है जो वास्तव मे बुन्देलखण्ड के ही भाग है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के पुन संगठन की चर्चाये चल रही है। अत. उसके भी वे हिस्से जो इन उपर्युक्त दो विभागो से संस्कृति भाषा वगैरा मे मिलते जुलते हो, उन्हे इन समूहों मे जोड दिया जावे।

(१२) सीमान्त प्रान्त की रियासते प्रान्त मे ही मिला ली जावे।

(१३) बलूचिस्तान की कलात वगैरा रियासते ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रान्त मे जोड दी जावे।

यह तो मोटे तौर पर लोक प्रतिनिधि किस दिशा मे सोच रहे है वह हुआ। नरेश स्वभावतः दूसरी ही दिशा मे सोच रहे है। वे न केवल ब्रिटिश प्रान्तो मे अपने प्रदेशो को मिला देने के खिलाफ है, बल्कि चाहते है कि उनकी अपनी रियासते अलग रहे और उनकी राजगद्दी और राजसत्ता भी बरकरार रहे। बडी रियासतो के बारे मे जहाँ तक उनकी प्रादेशिक सीमाओ और राजगद्दी या राजवश के बने रहने से ताल्लुक है, शायद यह सभव है, बशर्ते कि वे अपने राज्यो मे प्रातिनिधिक उत्तरदायी शासन शुरू कर दे। परन्तु ऐसी रियासते तो ५–१० ही हो सकती है। शेष तमाम छोटी रियासतो को तो अपने अपने प्रादेशिक समूह बना कर सघ प्रणाली से ही राज्य करना होगा। और इन सघो मे भी उत्तरदायी शासन तो होगा ही। पर प्रत्येक अग का अलग अलग नहीं सब का मिल कर उत्तरदायी शासन होगा। इस चीज को नरेश भी समझने लग गये हैं। परन्तु उनमे अभी इतनी दूरदर्शिता और साहस नहीं आया कि वे अभी से इस प्रकार के शासन स्थापित करके अपने प्रजाजनो के दिलो में अपने लिए स्थान पैदा कर ले। इसके विपरीत वे अभी तक अपनी गैर जिम्मेदार निरकुशता के ही सपने देखते है। और इनके दीवान और सलाहकार वगैरा भी इनसे बहुत आगे नहीं है। शायद पीछे ही है। उत्तर-दायी शासन देने का विचार अगर कोई राजा कर भी रहा हो तो वे इनके इस कार्य को आत्मघातकी कहते है और आज इस जमाने में भी लोक-मत के प्रति इनके दिलो मे निरादर और तिरस्कार भाव रहता है। अपनी कोठियो मे बैठे बैठे वे अब तक यही अनुमान नहीं लगा सके है कि लोक-शक्ति क्या वस्तु है। वस्तुतः ने पोलिटिकल डिपार्टमेंट के कुछ ये कर्मचारी ही रियासतो मे लोक शक्ति के रास्ते रोडे बने हुए है। इनके

है, बडा गहरा असर पड रहा है। जनता चाहती है कि वह समस्त देश के साथ रहे अतः इस बात के लिए जनता बडी अधीर और आतुर है कि ये परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो। इन परिवर्तनो मे तथा रियासतो मे जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना मे जितनी देरी होगी उनसे गहरा असतोष फैलेगा और शायद अनिष्ट परिणाम तथा सघर्ष भी होने की सम्भानाये है।

परिस्थिति की गभीरता को ध्यान मे रखते हुए स्टॅण्डिग कमिटी महसूस करती है कि रियासतो मे जिम्मेदाराना हुकूमत की स्थापना के कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिए। ये कदम शेष भारत मे हुए परिवर्तनो की दिशा मे हो अर्थात् रियासतो मे भी जनता की विश्वास पात्र अतःकालीन सरकारो की स्थापना हो। रिआसतो की ये अतःकालीन सरकारे वहॉ पूर्ण उत्तरदायी शासनो की स्थापना के लिए तथा पडोसी रियासतो और प्रान्तो के साथ सघ बनाने या पूर्णतया मिल जाने के सम्बन्ध मे- बातचीत करने के लिए लोकप्रिय विधान निर्मात्री सस्थाओ के चुनावो की तैयारी के लिये उपयोगीतत्र निर्माण करने का काम करें।

अखिल भारत विधान परिषद की योजना से यह कार्य पद्धति मेल खाती हुई है। और इससे विधान परिषद मे रियासतो की तरफ से उचित प्रतिनिधि भेजने मे भी मदद मिलेगी।

अखिल भारतीय और रियासती परिस्थिति की गभीरता, तथा घटनाये जिस वेग से घटती जा रही है उन्हे देखते हुए ऊपर बताये अनुसार रियासतो की समस्या को सुलझाना जरूरी है। जब कभी यूनियन और मौलिक अधिकारो और अन्य विषयो सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित हो और रियासतो के प्रतिनिधियो को अखिल भारतीय विधान परिषद मे उपस्थित रहने की जरूरत हो, तो उसके लिए भी इस प्रश्न की तरफ ध्यान देना जरूरी है

निगोशियेटिंग कमिटी के सम्बन्ध में

—ता. १८ सितम्बर की अपनी बैठक में अ. भा. देशी राज्यलोक-परिषद की स्टेण्डिंग कमिटी ने नीचे लिखा प्रस्ताव मंजूर किया था—

स्टेण्डिंग कमिटी को अफसोस है कि निगोशियेटिंग कमिटी के सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई, पर उनमें रियासती जनता के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया है। इस सम्बन्ध में कमिटी अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद के ता० ११ जून के प्रस्ताव की तरफ सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान दिलाती है।

स्टेण्डिंग कमिटी की राय है कि कैबिनेट मिशन के वक्तव्य के अनुसार रियासती जनता के प्रतिनिधियों का लिया जाना जरूरी है। क्योंकि उस वक्तव्य में कहा गया है कि अन्तिम विधान परिषद में रियासतों को वे उचित प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो ब्रिटिश भारत के हिसाब से ९३ से

—ता० १४ सितम्बर को हिन्दुस्तान टाइम्स में निगोशियेटिंग कमिटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार प्रकाशित हुए हैं:—

(१) भोपाल नवाब नरेन्द्र मण्डल के चान्सलर
(२) महाराजा पटियाला प्रोचान्सलर
(३) नवा नगर के जाम साहब
(४) डूंगरपुर नरेश
(५) सर मिर्जा इस्माइल, निजाम की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के प्रेसीडेण्ट
(६) सर रामस्वामी मुदालियर, मैसोर के दीवान
(७) सर सी. पी. रामस्वामी ऐयर, ट्रावनकोर के दीवान
(८) सर सुल्तान एहमद, कान्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टु चान्सलर.
(९) सरदार के. एम. पनीक्कर, बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर

मीर मकबूल महमूद इस कमिटी के सेक्रेटरी का काम करेंगे।

(प्र०)

अधिक नहीं होगा। पर इन प्रतिनिधियो क चुनाव का निश्चय बाद मे आवश्यक मशविरा करके कर लिया जावेगा। शुरू शुरू मे रियासतो का प्रतिनिधित्व निगोशियेटिग कमिटी करेगी। फिर बाद मे भारत मन्त्री ने अपने १७ मई के खुलासे मे कहा है—निगोशियेटिग कमिटी का निर्माण तमाम सम्बन्धित पक्ष की सलाह स किया जायगा।

तदनुसार कमिटी का यह मत है कि जब तक निगोशियेटिग कमिटी मे रियासती जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसका निर्माण वैध नहीं माना जायगा।"

के जानकार उन्हे सलाह देते कि नरेशो की निगह बानी पोलिटीकल एजन्ट किया करते है। उनसे शिकायतें करनी चाहिए। इस तरह व्यक्तिगत मामले पोलिटिकल एजन्ट और रेसिडेन्ट के पास पास पहुॅचते। किन्तु जनता को तो कुछ भान भी नही था। धीरे धीरे ब्रिटिश भारत की राजनैतिक हल चलो का उस पर भी असर पडने लगा और सामूहिक शिकायतें भी पोलिटिकल एजन्ट के पास कार्यकर्त्ता भेजने लगे। किन्तु ज्यो ज्यो उनका स्वाभिमान जाग्रत होने लगा कार्यकर्त्ताओ को अपने ही नरेशो की शिकायते विदेशी सत्ता के राजनैतिक विभाग के पास ले जाना अपमानजनक मालूम होने लगा। और वे कॉग्रेस के नेताओ के पास आने लगे। किन्तु जैसा कि हम देखते है कॉग्रेस ने शुरू शुरू मे कई वर्षो तक अपने आपको रियासती राजनीति से अलग रक्खा। वह समझते थे कि सारी बुराइयो की जड तो विदेशी सत्ता है। उसके हटने पर उसके भरोसे पर कूदने वाले नरेश अपने आप सीधे हो जावेगे और दूसरे अगर मान ले कि हमे नरेशो से लडना है तो भी आज ही उनसे भी लडाई मोल लेना बुद्धिमानी की बात नही होगी। इसलिए कॉग्रेस के नेताओ ने रियासती जनता और कार्यकर्ताओ को यही समझाया कि अभी कांग्रेस उनके लिए कुछ भी करने मे असमर्थ हैं। सबसे पहला और जरूरी सवाल तो है विदेशी सत्ता को यहा से हटाना। और इसलिए फिलहाल रियासतो मे दीवार से सिर टकराने की अपेक्षा वे भी अपनी सारी शक्ति ब्रिटिश भारत की लडाई मे ही लगा दे। नेताओ की इस सलाह को रियासती कार्यकर्ताओ और जनता ने भी माना और ब्रिटिश भारत की लडाइयो मे पूरा सहयोग दिया। और इसका परिणाम भी अच्छा हुआ। इससे—

(१) ब्रिटिश भारत के नेता रियासतो और रियासती कार्यकर्ताओ के अधिक सम्पर्क मे आये और इस प्रश्न मे उनकी दिलचस्पी बढी।

(२) ब्रिटिश भारत और रियासती कार्यकर्ताओं के सम्मिलित

आक्रमण से अंग्रेज सरकार की ताकत भी कमजोर हुई। क्रमश: वह लोक शक्ति के सामने झुक चली।

(३) कार्यकर्ताओं, तथा जनता पर भी असर पड़ा। रियासती कार्य-कर्ता अपने ब्रिटिश भारत के अनुभव को लेकर रियासतों में विविध प्रकार की सार्व-जनिक प्रवृत्तियां शुरू करने लगे और जनता भी अब उनकी इन सेवाओं से प्रभावित होने लगी।

रियासती अधिकारियों के दृष्टि कोण में भी क्रमश: कुछ फर्क पड़ने लगा—यद्यपि उनके प्रत्यक्ष व्यवहार में कोई अन्तर नहीं पड़ा।

(४) रियासतों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिये छोटे बड़े पैमाने पर लड़ाइयां होने लगीं और

(५) अन्त में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की जनता दोनों अपने भेद भावों को भूल कर इस तरह एक जीव हो गये कि १९४२ के पिछले संघर्ष में सारा हिन्दुस्तान एक साथ खड़ा हो गया। रियासतों और ब्रिटिश भारत में कोई अन्तर नहीं रह गया और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? जैसा कि प्रकट है.—

(३) इन घोषणाओ और प्रत्यक्ष घटनाओ से नरेशो की नीद एकदम उचट गई। और अब तक वे जो बिलकुल बेफिक्र थे और अपने प्रजाजनो की कोई परवाह नही करते थे सो होश मे आ गये। प्रजा-सेवा की भाषा उनकी जबान से सुनाई देने लगी। देश की समस्त जनता के साथ वे भी भारतीय स्वतन्त्रता को चाहते है ऐसे भाषण और प्रस्ताव भी होने लगे। पर साथ ही वे यह भी कहते हैं कि उनकी पद-प्रतिष्ठा और रियासतो की सीमाये अक्षुण्ण रहनी चाहिए।

(४) स्वतत्र भारत तो सघ-बद्ध होगा। उसमे इतनी छोटी छोटी रियासतो का इकाई के रूप मे बने रहना असभव है। इसलिये नरेश यह भी समझ गये कि छोटी रियासतो को समूह बनाने होगे। वे यह भी जान गये कि:--

(५) समूह बन जाने पर उनकी यह प्रतिष्ठा तो नही रहेगी। शासन को जनता की इच्छा के अनुकूल बन कर रहना होगा। ऐसा शासन तो जनतन्त्री पद्धति का उत्तरदायी शासन ही हो सकता है। ब्रिटिश प्रान्तो में जनतन्त्री शासन हो और रियासतों मे एक तंत्री रहे यह तो असंभव है। अतः इसके लिये भी नरेश अपने को तैयार करने लग गये।

पर यह सब अभी कल्पना जगत और विचार क्षेत्र से होकर योजनाओं के रूप में केवल कागज पर आने लगा है। प्रत्यक्ष व्यवहार की दृष्टि से रियासतो के वातावरण मे अभी कोई खास अन्तर नहीं पड़ा है। बल्कि इन सब घटनाओं की उल्टी प्रतिक्रिया अनेक रियासतो में देखने में आती है। हैदराबाद, काश्मीर, फरीदकोट, भोपाल, बीकानेर वगैरा इसके उदाहरण हैं। इसका कारण नरेशो की निराशा हो सकती है। पर उसमे भी बड़ा कारण भारत सरकार के राजनैतिक विभाग की शरारत, नरेशो का स्वार्थ और रियासती कर्मचारियो की गुलामी भी हो सकती है और इस नब की तह में शायद अंग्रेज कौम की गन्दी नीयत भी हो। कौन जाने। हमने

भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग मे अब तक इतने और इतनी प्रकार से रोड़े अटकाये हैं कि उसकी नीयत मे ऐसा शक होना आश्चर्य की बात नहीं हो सकती। अन्यथा एक तरफ दिल्ली मे मन्त्रि-मिशन काँग्रेस से सत्ता के परिवर्तन के विषय में सलाह कर रहा है और दूसरी तरफ काश्मीर का प्रधान मन्त्री उसी काँग्रेस के खुद सभापति को गिरफ्तार करने की हिम्मत करता है। पोलिटिकल विभाग का इसमें हाथ नहीं है ऐसा कौन मानेगा? फिर इसी समय फरीद कोट में जनता पर अकथनीय जुल्म होते हैं। एक तरफ केन्द्र में अस्थाई सरकार कायम करने की चर्चायें होती हैं और उधर कलकत्ता में भयकर हत्याकाण्ड होते हैं। एक तरफ अस्थाई सरकार में लीग शामिल होने जा रही हैं और दूसरी तरफ पूर्व बंगाल में हिन्दुओं का कत्लेआम, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, स्त्रियों का अपहरण, बलात्कार और जबरदस्ती की शादियाँ होती हैं और गाँव के गाँव जला दिये जाते हैं। बंगाल में बागी लीग का मन्त्री-मण्डल होगा। पर [illegible] सरकार को चलाने वाले गवर्नर और गवर्नर जनरल भी तो अभी विदा नहीं हो गये हैं। सूचनायें मिल जाने पर भी गवर्नर दार्जिलिंग की ओर गवर्नर जनरल बम्बई की सैर पर चले जाते हैं और अल्प संख्यक हिन्दू बहुसंख्यक आततायियों के सामने बलि के पशुओं के समान अरक्षित और हत्या के लिये छोड़ दिये जाते हैं। पूर्व बंगाल के विषय में जो बयान गवर्नर ने पार्लियामेंट को भेजे उनमें भी घटनाओं की वास्तविकता को दबाया गया है। इन सब को देख कर अंग्रेजों के नियत के विषय में शक होना बिलकुल स्वाभाविक है।

ऐसी सूरत में क्या ब्रिटिश भारत की और क्या रियासती जनता को बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। हम यह नहीं मानते कि सब कुछ ठीक है। अब भी नरेशों को और मुस्लिम लीग को हिन्दुस्तान की आजादी का रोड़ा बना कर ब्रिटिश हुकूमत अपनी [illegible] कुछ [illegible] सकती है। या कम से कम ऐसा प्रयत्न तो कर सकती है। [illegible] कि मुस्लिम लीग के जिम्मेदार नेताओं ने धमकी दी है कि [illegible] [illegible]

तीसरी ताकत को लाने का प्रयत्न भी हो सकता है । वह सचमुच आवेगी या उसे आने दिया जायगा या नहीं यह दूसरा सवाल है। परन्तु ये सब घटनाये और चिन्ह ऐसे हैं जो सकेत करते हैं कि हमे बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए जहाँ हम इस बात पर समाधान मान सकते है कि हमारी बहुत-सी समस्यायें हल होती जा रही हैं । तहाँ हमें यह नहीं भूलना है कि ऐसी ही बल्कि इनमे भी कहीं अधिक मुश्किल समस्याये अभी हमारे सामने है और संभव है वे हम से अभी कही अधिक त्याग, परिश्रम, दक्षता, एकता और कुर्बानी की अपेक्षा करें ।

वे समस्याये क्या हैं ?

हमारे सामने सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल अभी विधान परिषद मे रियासती जनता के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का है। विधान परिषद मे रियासतों के ६३ प्रतिनिधि होंगे। पर इनका चुनाव कैसे होगा ? कुछ नरेशो ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी रियासतों से आधे प्रतिनिधि जनता के चुने हुए और आधे नामजद होंगे। वाजिब तो यही है कि विधान परिषद में सब के सब प्रतिनिधि जनता के चुने हुए ही जावे। परन्तु यह कैसे सभव होगा यह कहना कठिन है। अत: कम से कम हमारा यह प्रयत्न तो जरूर हो कि हम अधिक से अधिक प्रतिनिधि जनता के चुने हुए भेजे। पर जब तक हमारी माँग के पीछे मजबूत और व्यापक संगठन का बल नहीं होगा वह सफल नहीं हो सकती। इसलिये एक सगठन के रूप मे समस्त देशी राज्यो मे इस समय यह जोरदार आन्दोलन छेड़ देने की जरूरत है कि विधान परिषद मे जनता के प्रतिनिधि ही जावे। सगठन जितना बलवान होगा उतना ही उसका असर होगा ।

दूसरे अभी जो निगोशियेटिंग कमिटी बनी है उसमे जनता का एक भी प्रतिनिधि नहीं है हालाकि भारत मन्त्री का यह साफ आश्वासन है कि उसके निर्माण के समय सभी सम्बन्धित दलो से मशविरा कर लिया

जायगा। परन्तु इसका पालन नहीं हुआ। हमें अपनी आवाज इस तरह बुलन्द करनी चाहिए कि इसमें प्रजाजनों का यथेष्ट प्रतिनिधित्व हो। प्रांतो की तरफ से जो प्रतिनिधि निगोशियेटिंग कमिटी से बातचीत करने के लिए आवें उन पर, तथा ब्रिटिश सरकार पर भी हमें यह असर डालना है कि वे इस कमिटी के निर्माण को वैध न मानें और उससे कोई व्यवहार न करें। अगर उन्होंने हमारी मांग को न माना तो हम साफ कर दें कि उसके निर्णय हमारे लिए बाध्य नहीं होंगे। सचमुच यह एक अजीब बात है कि हमारे भाग्य का निर्णय राजा लोग और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि करने बैठें और उसमें हमारा कोई हाथ न हो। यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कमिटी निर्णय करने वाली है कि विधान परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जावेंगे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव न केवल जल्दी बल्कि सही नहीं भी हो। और नरेशों की मौजूदा सरकारों से इसकी बहुत कम आशा है।

कि रियासतो के ये ग्रूप कहो प्रतिगामी शक्तियो के गढ नही बन जावें। इसलिए छोटी रियासतो को बडी रियासतों मे मिलाने के बजाय पडोस के प्रान्त मे मिलाने पर ही हम अधिक जोर दें।

एक और बात है। कुछ नरेश जिनकी रियासते स्वतत्र ग्रूप बनने लायक बडी नही है अपने साथ दूसरी छोटी रियासतो को मिला कर उन पर अपनी छाप डालना चाहेगे, छोटी रियासतो की जनता और उनके नरेशो को भी इस विषय में सावधान रहना होगा। और इस बात का ध्यान रखना होगा कि सघ की इकाई के अन्दर कोई किसी पर अपना प्रभुत्व नहीं जतावे।

अब शासन का अन्तिम विधान बनाने का प्रश्न रह जाता है। जाहिर है कि—

(१) भारतीय संघ की समस्त इकाइयो मे शासन का तरीका एकसा ही हो। प्रान्तों में एक तरह का और रियसतो मे दूसरे प्रकार का शासन जरा भी बरदाश्त नही किया जा सकेगा।

(२) केन्द्रीय शासन मे भी रियासती जनता के प्रतिनिधि प्रान्तो के प्रतिनिधियों के समान भागीदार होगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि देश को मोजूदा अवस्था मे नरेश —कम-से कम कुछ बडे नरेश तो रहेगे। और छोटे भी पेन्शनर के रूप मे रहेगे। बडे नरेश अपने राज्यों मे वैधानिक मुखिया के रूप मे काम करेगे। उनके अधिकार अत्यंत सीमित रहेगे। सारे कानून धारा सभा के द्वारा बनेंगे और असल शासन धारा सभा के प्रति उत्तरदायी मन्त्रि-मण्डल के द्वारा ही होगा। छोटे नरेश शायद बारी बारी से साल साल दो दो साल के लिए अपने प्रान्तीय संघ के वैधानिक मुखिया रहेगे। अभी नरेन्द्र मण्डल के भीतर और बाहर नरेशो के जो मशविरे चल रहे हैं उनसे दे तो भरसक

है। पार्लियामेंट राजा के खानगी खर्च की मद पर शासन की अन्य मदो की भाति प्रति वर्ष विचार नहीं करती। प्रत्येक राजा के शासन काल के प्रारम्भ मे एक बार विचार करके वह निर्णय कर देती है और यह रकम—जब तक वह राजा राज्य करता है—प्रतिवर्ष उसे मिलती रहती है। इसमे फिर बीच मे बार-बार जॉच या पुनर्विचार नही किया जाता। उस समय उसकी तमाम जरूरतो पर विचार कर लिया जाता है और तदनुसार उसमें फेर-बदल कर दिया जाता है। बस, इसके बाद जो रकम मजूर हो जाती है उसमे कोई परिवर्तन नही किया जाता। पर जो मन्जूर होता है, शासन क दूसरे विभागो की भॉति बादशाह को भी उसकी मर्यादा मे रहना पडता है। यह ख्याल करना भी गलत है कि इस प्रकार मन्जूर हुई रकम का विनियोग करने मे राजा फिर स्वतन्त्र है, और उसका ऑडिट वगैरा नही होता। आडिट हर साल होता है और प्रत्येक राजा के कार्य काल के अन्त मे उसके खानगी खर्च को प्रकाशित भी किया जाता है और इसके प्रकाश मे नये राजा के लिये बजट बनते है। यह भी ध्यान मे रहे कि पार्लियामेंट से इगलैंड के राजा के खर्च के लिये जो रकम मन्जूर होती है उसके अलावा उसके पास आय के अन्य कोई साधन नही होते। बेशक, कार्नवाल और लैंकेस्टर की डचीज उसकी खानगी सपत्ति हैं, परन्तु इनका उपभोग वह नहीं करता। उसने यह सपत्ति राष्ट्र को अर्पित कर दी है और इग्लैंड मे यह परिपाटी है कि जब नया राजा सिंहासन पर आता है तब वह पार्लियामेंट को यह सदेश भेजता है कि "राजा की व्यक्तिगत जायदाद राष्ट्र को अर्पित है और वह अपने तथा अपने निर्वाह के लिये पूर्णत पार्लियामेंट की उदारता पर निर्भर है।" स्मरण रहे कि राजा के लिये पार्लियामेंट से जो रकम मन्जूर है उससे तिगुनी आय इन जायदादो की है।[1]

इग्लैंड के राजा की सिविल लिस्ट सारे राष्ट्र के बजट के एक प्रतिशत का पन्द्रहवां हिस्सा है।। पर यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हमें

१—स्टेट्स पीपुल ४—७—११

विश्वास है नरेश समझदारी से काम लेंगे और इंग्लैंड के बादशाह की भाँति खुद ही अपने खर्च की रकमें कम कर लेंगे अन्यथा जनता को तो कम करनी ही होंगी। पर असली सवाल है स्वराज्य के निर्माण का, हम उस पर विचार करें।

खैर, तो स्वराज्य की कुछ मोटी-सी रूपरेखा इस तरह धीरे धीरे बनती जा रही है। पर वह इतनी मोटी अस्पष्ट और अस्थाई है कि उसका अंतिम रूप क्या होगा यह कहना बहुत कठिन है। परन्तु जिस प्रकार हम अब तक आगे बढ़ते आये एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आगे भी इसी प्रकार मजबूती से कदम बढ़ाते हुए हमें जाना होगा। राष्ट्र निर्माता घटनाओं को उनके अपने प्रवाह पर नहीं छोड़ दिया करते। दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर बरसों पहले से अपने उद्देश्यों को कायम करते हैं और तदनुसार योजनायें बना कर दृढ़ता पूर्वक उन्हें पूरी करने में लग जाते हैं प्रवाह में वे बहते नहीं प्रवाह को मोड़ने की क्षमता रखते हैं।

अभी तक जो पू० महात्माजी के मार्गदर्शन में अपना रास्ता तय किया है। उसके अनुसार कुछ मोटी मोटी बातें ये तय पाई हैं—

१ स्वराज्य अथवा उत्तरदायी शासन हम शान्त तरीकों से हासिल करेंगे।

२ देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे। सभी जातियाँ हिलमिल के रहेंगी।

३ शासन का तरीका जनतन्त्रात्मक होगा। सच्चा जनतन्त्र अहिंसा के आधार पर ही कायम हो सकता है।

जाहिर है जब तक सम्पूर्ण जनता अपने अधिकारों को और जिम्मेदारियों को समझ कर के तदनुसार अपने कर्तव्यों के पालन में नहीं लग जायगी ऐसा अहिंसात्मक जनतन्त्र नहीं आ सकता।

ऐसे जनतन्त्र को लाने के लिए [illegible] कुछ किया जा सकता था [illegible] है और इसी प्रकार [illegible]

रहेगा। पर हमे भीतर से भी इस प्रश्न को हल करने का अपना यत्न जारी रखना है उस दिशा मे हम क्या कर सकते है इस पर भी थोड़ा विचार कर लें।

सब से पहली बात तो यह है कि हमे इन तमाम परिवर्तनो के लिए जनता को भी तैयार करना है। इसलिए प्रत्येक रियासत मे जन संगठनो का होना जरूरी है। अतः ऐसे जन संगठन जहाँ न हो वहाँ तुरन्त कायम किये जावे और जहाँ पहले से हो उनका विस्तार गाव गाव मे फैला कर जनता मे अपने अधिकारो और जिम्मेवारियों का भान पैदा कर देना चाहिए। आज भी ग्रामो की असख्य जनता अज्ञान के घोर अंधकार मे पड़ी है और उसके इस अज्ञान से अनुचित लाभ उठा कर छोटे मोटे व्यापारी, वकील, दूकानदार और सेठ-साहूकार उनका शोषण करते रहते हैं और सरकारी कर्मचारी तथा गुण्डे उनको भय से आतंकित करते रहते हैं। हमें उनमें ऐसी जान डाल देनी है कि जिससे वे अन्याय के सामने झुके नहीं और जुल्मो को कभी बरदाश्त नही करे। स्वतन्त्र और पुरुषार्थी देशों की जनता की सुख समृद्धि और पराक्रम की मिसाले दे कर उनके पुरुषार्थ और तेजस्विता को भी जगाना चाहिए और अच्छा और ऊचा जीवन बिताने की प्रेरणा उनके अन्दर निर्माण करनी चाहिए। यह सब काम गावो और कस्बो की मुकामी कमिटियो के जरिये हो सकता है। इन कमिटियो मे कस्बे या गाव के नेक, प्रतिष्ठित, निर्भय, त्यागी, और सूझ बूझ वाले नागरिक हो और वे जनता की रोजमर्रा की तकलीफो की तरफ ध्यान दे कर उन्हे दूर करने की कोशिश में रहे। जो केवल जनता की सुस्ती, अज्ञान, भीरुता से पैदा हुई हो उन्हे जनता द्वारा ही दूर करावें जिनमे सरकारी कर्मचारी कारण हो उन्हे इन कर्मचारियों को समझा कर दूर किया जाय और जिनको वे भी समझाने बुझाने पर दूर न करे उनके लिये जनता को लड़ने के लिए तैयार किया जाय। पर इतनी तैयारी एक दम नहीं होती। इसलिए कार्यकर्ताओं को

अधीर नहीं होना चाहिए आम तौर पर जनता पहले यह चाहती है कि कार्यकर्ता इन तकलीफों को दूर करा दें और उसे कुछ नहीं करना पड़े। इसका कारण उसका स्वाभाविक भय और अज्ञान है इसलिए कार्यकर्ताओं को कष्ट उठा कर भी जेल जा कर भी जनता की तकलीफें दूर करने का यत्न करना चाहिए। उससे अपने आप जनता की आत्मा भी धीरे धीरे जागती जाती है। कार्यकर्ताओं की कुशलता इसी में है कि वह जनता के सामने ऐसे कार्यक्रम रखते जावें कि जिनसे अपने आप जनता की तेजस्विता और कार्य शक्ति का विकास होता जावे।

थोड़े में जनता के सामने हम यह लक्ष्य रक्खें कि वह अपने गाँव या कस्बे को एक छोटा-सा परिवार समझे और अपने परिवार की जरूरतें समझ कर जिस प्रकार उसका हर सदस्य दूसरों के सहयोग पूर्वक उन्हें पूरा करने की धुन में रहता है उसी प्रकार हम अपने गांवों को या राज्य को भी समझें और उसका पूरा शासन अपने हाथ में ले लेने के लिए जनता को समझावें। समाज की अनेक प्रकार से सेवा करनी होती है। इसी प्रकार उसकी अनेक जरूरतें होती हैं। इन जरूरतों की पूर्ति और सेवा के विभिन्न महकमे बना कर प्रत्येक काम के लिए एक एक खास कमिटी बना दी जाय। और वह सेवा में लग जावे।

प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा , व्यायाम की शिक्षा, खेल के मैदान, मदरसे, शरीर को मजबूत और मन को प्रसन्न करने वाले तथा ऊंचा उठाने वाले मकान के भीतर और मैदान मे खेलने के तरह तरह के खेलो की व्यवस्था वगैरा करने वाला भी एक महकमा हो सकता है।

× बहुधन्धी सहकार समितियो की स्थापना द्वारा फसलो का माल तथा बनी बनाई चीजे बेचने और जरूरत की बाहरी चीजे खरीदने की व्यवस्था की जा सकती है जिससे कि ग्रामीणो को अपनी चीजो के अधिक से अधिक दाम मिल जाय और बाहर की वस्तुये किफायत से मिल सके। बीच का मुनाफा उन्हो को मिल जाय। यह व्यापारी सहकारिता का एक स्वतत्र महकमा हो सकता है।

ग्राम की रक्षा के लिए ग्रामीण जनता को बलवान और बहादुर बनाना, स्वयं सेवक दलो का सगठन करना चोरो डाकुओ और बदमाशों से गांव की रक्षा करना और उसे जातीय दगो से दूर रखना वगैरा काम भी अत्यन्त महत्त्व पूर्ण है। यह काम भी एक कमिटी के सिपुर्द किया जा सकता है।

फिर, अपने अपने गांव के भीतर यह सब करते हुए हमे अलग अलग गांवो के अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध कायम करते हुए परगने (तहसील) और जिलो के व्यवस्थित सगठन बना लेने चाहिएँ जिससे सारा राज्य या सारा देश एक सजीव शरीर की भाति चैतन्यमय और क्रियाशील सगठन बन जाय।

मतलब यह कि हमे ठेठ नीचे से सम्पूर्ण स्वराज्य की रचना मजबूत पाये पर करनी है। राजनैतिक सत्ता हमारे हाथ मे लेने के लिए तथा उसके हाथ मे आ जाने के बाद भी यह काम तो करना ही होगा। क्यो कि यही चीज है जिसके लिये स्वराज्य की जरूरत भी है। किन्तु इस असली अर्थात

× Multipurposes Co operative Societies

रचनात्मक कार्य की तरफ अब तक ठीक तरह हमारा ध्यान नहीं गया है। वह अगर जावे और हम उसमें सच्चे दिल से लग जायें तो अपने आप स्वराज्य का निर्माण हो जावे।

लोक संगठनों को अपने राजनैतिक प्रचारात्मक काम के साथ साथ इन कामों को भी अपने हाथ में अवश्य लेना चाहिए। इस वास्तविक सेवात्मक संगठनात्मक, आर्थिक निर्माण करने वाले, ज्ञान वर्धक, सांस्कृतिक उत्थान के और समाज को शुद्ध और तेजस्वी करने वाले कार्यक्रम में जो लोक-संगठन जितना क्रियाशील होगा वह उतना ही अधिक सफल और प्रभावशाली होगा। शासन पर भी उसका उतना ही अधिक असर होगा। केवल अखबारी प्रचार और भाषणों में लगे रहने वाले संगठनों के कानून भंग की लड़ाइयों में भी वह बल नहीं होगा। जो इसकी एक चिट्ठी में होगा। इसलिये इस वास्तविक सेवाजनित बल की उपासना में हम लग जायें। यही सफलता की चाबी है।
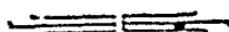
परिशिष्ट (१)

सन्धि वाली चालीस रियासतें (ट्रीटी स्टेट्स)

जिन रियासतो के साथ ब्रिटिश सरकार की सधियाँ हुई है उनके नाम इस प्रकार है .—

	रियासत का नाम	संधिका वर्ष
१	अलवर	१८०३
२	बहावलपुर	१८३८
३	बाँसवाडा	१८३८
४	बडौदा	१८०५
५	भरतपुर	१८०५
६	भोपाल	१८१८
७	बीकानेर	१८१८
८	बूदी	१८१८
९	कोचीन	१८०७
१०	कच्छ	१८१७
११	दतिया	१८१८
१२	देवास (दोनो)	१८१८
१३	धार	१८१७
१४	धौलपुर	१८०६
१५	ग्वालियर	१८०४, १८४४
१६	हैदराबाद	१८००, १८५३
१७	इन्दौर	१८१८
१८	जयपुर	१८१८

रियासत का नाम		संधि का वर्ष
१९	जैसलमीर	१८१८
२०	जम्मू काश्मीर	१८४६
२१	झालावाड़	१८३८
२२	जोधपुर	१८१८
२३	कलात	१८७६
२४	करौली	१८१७
२५	खैरपुर	१८३८
२६	किशनगढ़	१८१८
२७	कोल्हापुर	१८१२
२८	कोटा	१८१७
२९	मैसोर	१८८१, १९१३
३०	ओरछा	१८१२
३१	प्रतापगढ़	१८१८
३२	रामपुर	१७९४
३३	रीवां	१८१२
३४	समथर	१८१७
३५	सावन्त वाड़ी	१८१९
३६	सिक्किम	१८१४
३७	सिरोही	१८२३
३८	ट्रावनकोर	१८०५
३९	टोंक	१८१७
४०	उदयपुर	१८१८

(इण्डियन स्टेट्स एण्ड ब्रिटिश इण्डिया ,
श्री गुरुमुख निहाल सिंह द्वारा.)

परिशिष्ट (२)

छः प्रमुख रियासतें

जो स्वतन्त्र यूनिट के रूप में रह सकती हैं।

	रकबा	आबादी	आय
हदराबाद	८२६९८	१६३३८५३४	१५८२ लाख (४५)
मैसोर	२९४८३	७३२८८९६	६३८ ,, (४२-४३)
बड़ौदा	८१७६	२८५५०००	३६३
गवालियर	२६३६७	४०००००	×
त्रावणकोर	७६६१	६०७००१८	×
जम्मू-काश्मीर	८४४७१	४०२१६१६	३२० (४२-४३)

परिशिष्ट (३)

निम्न लिखित रियासतों में किसी न किसी प्रकार की धारा सभाएं हैं—

१ मैसूर
२ ट्रावनकोर
३ बड़ौदा
४ जयपुर
५ बीकानेर
६ काश्मीर
७ हैदराबाद
८ कोचीन
९ इन्दौर
१० भोपाल
११ जोधपुर
१२ उदयपुर
१३ ग्वालियर
१४ औंध
१५ कोल्हापुर
१६ रामपुर
१७ मोर
१८ सांगली
१९ रीवां
२० भावनगर
२१ नागोद

२२ देवास जूनियर
२३ पुडु कोटाई
२४ भावलपुर
२५ पोरबन्दर
२६ मडी
२७ फलटन
२८ कूचबिहार
२९ जामखडी
३० कपूरथला
३१ बून्दी

नाम रियासत		रकबा	आबादी
१२	भिलोदिया	९	२५५५८
१३	बिहोरा	१	२६६
१४	बिलवारी	१	२९
१५	खम्भात	३९२	८७७६१
१६	छालियर	११	२९४६
१७	छोटा उदेपुर	८९०	१४४६६०
१८	चिचली गादेद	२७	१३०५
१९	छोरगला	१६	२७१५
२०	छुदेसर	२	६४४
२१	धरवावती	७६	४३४३
२२	धमासिया (वनमाला)	१०	२३७९
२३	धरमपुर	७०४	११२०३१
२४	धारी	३	१४५४
२५	दोदका	३	१८८६
२६	दुधपूर	१	१२९
२७	गाधवोरीयद	१२८	११२६३
२८	गाडवी	१७०	७७६७
२९	गोटारडी	३	४३०
३०	गोथडा	४	१८५९
३१	इतवाद	९	१५६९
३२	जभुघोडा	१४३	११३८५
३३	जावहर	३०८	५८७६१
३४	जेसार	१	५१८
३५	झारी घरखाडी	८	५०९
३६	जिरल कमसोली	५	३३३५
३७	जुमखा	१	३८३

नाम रियासत		रकबा	आबादी
३८	कडाना	१३२	१७५६०
३९	कानोडा	३	१३८७
४०	कासला पागिनु मुवाड़ा	१	१३३
४१	किरली	२१	१२५८
४२	लुनावाड़ा	३८८	९५१६२
४३	मांड्वा	१६	५५९५
४४	मेवली	५	१७०२
४५	मोका पागिनु मुवाड़ा	१	२०७
४६	नाहरा	३	४५३
४७	नालिया	१	१७६
४८	नानगाम	३	६२५
४९	नासवाडी	१९	६५५६
५०	पालासनी	१२	२७५८
५१	पलास विहिर	२	२३९
५२	पान तलावडी	५	९३५
५३	पडू	६	२३४२
५४	पिपलादेवी	३	१२५
५५	भिवरी	७२	३३९३
५६	पोंचा	३	२०१८
५७	राइदा	२	५५४
५८	राजपिपला	१५१७	२०६०८६
५९	रामपुर	१	२६५
६०	रामपुरा	४	१६८२
६१	रेगन	४	५८७
६२	[illegible]	४९	१०१०७

नाम रियासत		रकबा	आबादी
६३	सजेली	३४	८०८३
६४	सत	३६४	८३५३८
६५	शानोर	११	१८४०
६६	शिवबारा	४	४६६
६७	सिहोरा	१५	४५३२
६८	सिधियापुरा	४	६६७
६९	सुरगाना	३६४	१५२३५
७०	उचाद	८	३३६२
७१	उमेटा	२४	५६२२
७२	वध्यावन	५	१४७
७३	वाजिरिया	२१	५६६८
७४	वखतापुर	१	३६०
७५	वरनोलमल	३	६८४
७६	वरनोल नानी	१	८७
७७	वरनोल मोटी	२	३४२
७८	वासन सेवाड़ा	१२	१६०४
७९	वासन विरपुर	१२	४५७१
८०	वसुरना	१३२	७३२६
८१	विरमपुरा	१	१०७
८२	वोरा	५	१४०७

राजपूताना एजेन्सी

		रकबा	आबादी
८३	अलवर	३१५८	७८६७५१
८४	बांसवाड़ा	१६०६	२२५१०६
८५	बूंदी	२२२०	२१६७२२
८६	दाता	३४७	२६१७२

नाम रियासत		रकबा	आबादी
१५२	स्वाट	१८००	२१६०००

काश्मीर एजन्सी

१५३	जम्मु और काश्मीर	८५८८५	३६४६२४३
१५४	नागीर	१२४५	१३६७२
१५५	हुंजा	६८४८	१३२४१

हैदराबाद रेसीडेन्सी

१५६	हैदराबाद	८२६९८	१४४३६१४८

ग्वालियर रेसीडेन्सी

१५७	बनारस	८७५	३९११६५
१५८	ग्वालियर	२६३८७	३५२३०७०
१५९	खनियाधाना	६८	१७६७०
१६०	रामपूर	८९२	४६४९१९

बलूचिस्तान एजन्सी

१६१	कलात	७३२७८	३४२१०१
१६२	लासबेला	७१३२	६३००८

भूटान रेसीडेन्सी

१६३	भूटान	१८०००	३०००००

सेन्ट्रल इंडिया एजन्सी

१६४	अजयगढ	८०२	८५८९५

नाम रियासत		रकबा	आबादी
१६५	अलीपुरा	७२	१५३१९
१६६	अलिराजपुर	८३६	१०१९६३
१६७	बकापथरी	५	१३१९
१६८	बावनी	१२१	१९१३२
१६९	बरौंधा	२१८	१६०७१
१७०	बड़वानी	११७८	१४१११०
१७१	बेरी	३२	४२९९
१७२	भैसौंदा	३२	४२६७
१७३	भोपाल	६९२४	७२९९५५
१७४	बिहट	१६	४५६५
१७५	बिजावर	९७३	११५८५२
१७६	बिजना	८	१५६७
१७७	छतरपुर	११३०	१६१२६७
१७८	चरखारी	८८०	१२०३५१
१७९	दतिया	९१२	२५८८३४
१८०	देवास (सीनियर)	४४९	८३३२१
१८१	देवास (जूनियर)	४१९	७०५१३
१८२	धार	१८००	२४३५२१
१८३	धुरवाई	१५	२०२०
१८४	गरौली	३९	४९९५
१८५	गौरिहार	७१	६७१३
१८६	इन्दौर	९९०२	१३२३,८९
१८७	जावरा	६०२	१००१६६
१८८	जसो	७२	७८०३
१८९	झाबुआ	१३३६	१४५५२२
१९०	जिगनी	१८	३९५२

नाम रियासत		रकबा	आबादी
१९१	जोबट	१३१	२०१५२
१९२	कामता राजुला	१३	११९४
१९३	कठियावाड़ा	७०	६०९६
१९४	खिलचीपुर	२७३	४५५८३
१९५	कोठी	१६९	२१४२४
१९६	कुरवाई	१४२	२२०७६
१९७	लुगासी	४५	६१९२
१९८	मैहर	४०७	६८९९१
१९९	मकड़ाई	१५५	१५५१९
२००	मथवार	१२९	२८९७
२०१	महमूदगढ	२९	२६५८
२०२	नागोद (उचेरा)	५०१	७४५८९
२०३	नैगवा रेवाइ	१२	२३५२
२०४	नरसिंहगढ	७३४	११३८७३
२०५	ओरछा	२०८०	३१४६६[illegible]
२०६	पाहरा (चौबेपुर)	२७	३४९६
२०७	पालदेव (नया गाँव)	५३	८[illegible]५७
२०८	पन्ना	२५९६	२१२२३०
२०९	पठारी	३०	२६४०
२१०	पिपलोदा	९२	९६२७
२११	राजगढ	९६२	१३८८९१
२१२	रतनमाल	३२	२१८३
२१३	रतलाम	६९३	१०७३२७
२१४	रीवा	१३०००	१५८७४[illegible]५
२१५	समथर	१७८	३३३०७
२१६	सरीला	३५	६०२२

नाम रियासत		रकबा	आबादी
२१७	सीतामऊ	२६२	२८४२२
२१८	सोहावल	२५७	४२१६२
२१९	तारोन (पाथरोडी)	१६	३३८७
२२०	सैलाना	२९७	३५२२३
२२१	टोरी फतहपुर	३६	५५९७

डेक्कन स्टेट एन्ड कोल्हापुर रेसिडेन्सी

२२२	अक्कलकोट	४९८	९२६०५
२२३	औंध	५०१	७६५०७
२२४	भोर	६१०	१४१५४६
२२५	जमखिंडी	५२४	११४२८२
२२६	जंजीरा	३७९	११०३८८
२२७	जत	९८०	९११०२
२२८	कोल्हापुर	३२१७	९५७१३७
२२९	कुरंदवाड (सीनियर)	१८२	४४२०४
२३०	” (जूनियर)	११६	३९५८३
२३१	मिरज (सीनियर)	३४२	९३९४७
२३२	,, (जूनियर)	१९६	४०६८६
२३३	मुधोल	३६८	६२८६०
२३४	फलटन	३९७	५८७६१
२३५	रामदुर्ग	१६९	[illegible]
२३६	सांगली	११३६	[illegible]
२३७	सावनूर	७३	[illegible]
२३८	सावंतवाड़ी	९३०	[illegible]
२३९	वाड़ी (जागीर)	१२	[illegible]

नाम रियासत		रकबा	आबादी
	ईस्टर्न स्टेट एजन्सी		
२४०	अथगढ	१६८	५०१४८
२४१	अथमल्लिक	७३०	६४२७६
२४२	बामरा	१९८८	१५१०५९
२४३	बारामबा	१५४	४६६८९
२४४	बसतर	१३०६२	५२४७२१
२४५	बौध	१२६४	१३५२४८
२४६	बोनाई	१२९६	२१६७२२
२४७	चगभाकर	९०६	२३३२२
२४८	छुनिखादन	१५५	३१६९८
२४९	कूचविहार	१३१८	५९०८६६
२५०	दसपल्ला	५६८	४२६५०
२५१	धेकनाल	१४६५	२८४३२८
२५२	गंगापूर	२४९२	३५६३८८
२५३	हिंडोल	६८४८	१३२४१
२५४	जासपूर	१९६३	१९३६९८
२५५	कालाहांडी (करौंद)	३७४५	५१३७१६
२५६	कंकेर	१४३१	१३६१०१
२५७	कवरधा	७९८	७२८२०
२५८	केउंझर	३०९६	४६०६०९
२५९	खैरागढ	९३१	१५७४००
२६०	खांडपारा	२४४	७७९३०
२६१	खरसॉवन	१५३	४३११०
२६२	कोरिया	१६३१	९०८८६
२६३	मयूरभंज	४२४३	८८९६०३

नाम	रियासत	रकबा	आबादी
२८८	मारीएव	...	३१६२
२८९	मावेंग	..	३२१८
२९०	मावसेनराम	...	२००७
२९१	मायलिम	...	२०८९५
२९२	नोबोसोह फोह	...	२५४६
२९३	नगस्पग	..	३९५३
२९४	नंगस्टग	...	११४५७
२९५	राम ब्राई	....	२६८५
२९६	नाम रव्लाव	.	१४२७३
२९७	छैरा	....	९७३८

बरमा स्टेट्स

२९८	कॉताराबाडी	...	
२९९	कैबोगई	७००	१४२८२
३००	बावेलेक	५६५	१३८०२

वेस्टर्न इण्डिया स्टेट एजन्सी

(रकबा वर्गमील मे है। और आबादी सन १९३१ की गणना के अनुसार है।)

३०१	अकादिया	२	१६३
३०२	अलामपुर (दीवानी)	३	५००
३०३	अलिदा	२५	२६५४
३०४	अवलियरा	८०	१०१७९
३०५	अमरापुर	८	१७७१
३०६	आनन्दपुर	१३	९२४
३०७	आनंदपुर	२५	२५२९

ग्राम	रियासत	रकबा	आबादी
३३४	बिलखा	१०७	२०५८६
३३५	बोडानोनेस	१	२०५
३३६	बोलुन्द्रा	६	१०७८
३३७	छलाला	५	६५०
३३८	छनचाना	६	३४०
३३९	छमरडी (बचानी)	७	१८६१
३४०	छम्पराज (जासा)	५९	६११२
३४१	चरखा	१०	११३४
३४२	चिरोडा	१	३६७
३४३	चितराव (दिवानी)	१	२७८
३४४	चौबारी	१३	४७२
३४५	चौक	४	१६३३
३४६	चोटीली	१०८	८९३४
३४७	चुडा	१०८	८९३४
३४८	चुडा सोराथ.	१४	१९१०
३४९	कच्छ	८२४९	५१४३०७
३५०	दाभा	१२	१७७४
३५१	ददालिया	२८	४०६२
३५२	दहिदा	२	९८७
३५३	दारोड	४	२९९
३५४	दसडा	१२९	९८८५
३५५	दाथा	६८	१३१४८
३५६	देदन (मजमू)	२५	४०११
३५७	देदन	२४	१७७८
३५८	देदरदा	२	७१७

नाम रियासत		रकबा	आबादी
३८४	गिगासरन	६	७०३
३८५	गोंडल	१०२४	२०५८४६
३८६	घुनडियाला	१५	१८२५
३८७	हडला	२४	५६१५
३८८	हडोल	२७	——
३८९	हलारिया	६	१००८
३९०	हापा	२	——
३९१	हरसुपुर (स्टेट)	७	४८८९७
३९२	इवेज	७	१३५०
३९३	ईडर	१६६९	२६२६६०
३९४	इजपुरा	२	--
३९५	इलोल	१९	४६६२
३९६	इटारिया	६	१०५०
३९७	जाफराबाद (जजीरा)	५३	१२०८३
३९८	जाखान	३	४९८
३९९	जलिया (दिवानी)	३६८९	३१३३
४००	,, (वाघाजी)	२	५००
४०१	,, (मानाजी)	९	२०३
४०२	जसदन	२९६	३४०३६
४०३	जेतपुर–भायावदार	११	११०३
४०४	,, सनाला	७	६४४
४०५	झामर	४	५६१
४०६	झमका (विलानी)	४	६०३
४०७	झामनाहद	४	५०६
४०८	झिझूवाडा	१६४	[illegible]

नाम रियासत	रकबा	आबादी
४०९ जूनागढ़	३,३३७	५४५१५२
४१० जूनापहार	०	२२४
४११ कठोली	८	—
४१२ कमादिया	४	७२३
४१३ कमालपुर	४	६३२
४१४ कानेर	२	२६६
४१५ कनजाल	१	३५१
४१६ कंकासियाली	७६	३३३
४१७ कनपुर (ईशवारिया)	३	१४४४
४१८ कनथारिया	१४	१७५२
४१९ करियाना	१०	३०६४
४२० कामद	३	८८४
४२१ करोल	११	१०८५
४२२ कमलपुर	१	—
४२३ कटोदिया (वनानी)	१	३८१
४२४ कथरोटा	१	२३८
४२५ कटोसन (थाना)	१०	५८०३
४२६ केसरिया	२	३३५
४२७ [illegible]	८	२५०५
४२८ [illegible]	९	१११७
४२९ [illegible]	१०	९८३
४३० [illegible]	५	५९०
४३१ [illegible]	३०	४००४
४३२ खेड़ ब्रह्मा	२०	—
४३३ [illegible]	११	१९८३

	नाम रियासत	रकबा	आबादी
४३४	खिजडिया	–	२४३४
४३५	,, (बाबरा थाना)	२	३२९
४३६	खिजडिया डोसाजी (सोंगद थाना)	१	२५४
४३७	खिजडिया नयानी (लखापादर थाना)	१	१३३
४३८	खिरासरा	४७	४६६३
४३९	कोटडा नयानी	३	१२४२
४४०	,, पिथा	२५	७०७०
४४१	,, संगानी	९०	१०४२०
४४२	कोथारिया	२७	२४०७
४४३	कुबा	३	३१४
४४४	लखापदर	५	५७०
४४५	लखतर (लखतर थाना)	२४७	२३७५४
४४६	ललियाद	४	६३०
४४७	लाथी	४१	६३००८
४४८	लिखी	९	—
४४९	लिम्बडा	७	१७६५
४५०	लिबडी	३४४	४०६८८
४५१	लोधिका (मजमू)	८	१७३२
४५२	,, (मुलवाजी)	७	२५३९
४५३	,, (विजयसिंगजी)	७	२४४९
४५४	मागोडी	२३	३२३८
४५५	मागुना	५	—
४५६	महुवानाना	७६	३५६
४५७	मलिया	१०३	१२१४२
४५८	मालपुर	९३	१३५५०

नाम रियासत		रकबा	आबादी
४५६	मचवाटर (वनटवा)	१०१	२६०८४
४६०	मनावाव	५	४८५
४६१	मानपुर	११	६६१
४६२	मनसा	२५	१६६४२
४६३	मत्राटिवा	६	४७०
४६४	मायापदर	१४	११३२
४६५	मेहमदपुरा	१	—
४६६	मेनगानी	३४	३६४२
४६७	मेवासा	२४	६४५
४६८	मोहनपुर	८६	१४२६०
४६६	मोनवेल	३१	२७५५
४७०	मोरछोरना	१	४८३
४७१	मोरवी	८२२	११३०२३
४७२	मोटाकोथमना	३	—
४७३	मुली	१३३	१७२०६
४७४	मुलीलाडेरी	१५	३०७५
४७५	मुंजपुर	३	४८६
४७६	नाटाला	१२	६१६
४७७	[illegible]	१४	१२०[illegible]
४७८	नवानगर	३७६१	४०२१६२
४७६	[illegible]	२३	३६७२
४८०	[illegible]	२	५४१
४८१	[illegible]	१	१७४
४८२	[illegible] (सिरनी)	—	३१२६
४८३	[illegible]	१	[illegible]

	नाम रियासत	रकबा	आबादी
४८४	पालज	२	—
४८५	पलाली	४	६२४
४८६	पाल	२१	३४६६
४८७	पालियद	८५	८७५८
४८८	पालिताना	३००	६२१५०
४८९	पच्छयवदा (वछानी)	१	४२०
४९०	पटड़ी	१६५	१६५७३
४९१	पेठापुर	११	५३७६
४९२	पिपलिया	३०	१२६०
४९३	पिठाडिया जोतपुर	१०२	७८१३
४९४	पोर बंदर	६४२	११५७७३
४९५	प्रेमपुर	२५	—
४९६	पुन्दरा	११	२३३०
४९७	राधनपुर	११५०	७०५३०
४९८	रायसाक्ली	६	६३६
४९९	राजकोट	२८२	७५५४०
५००	राजपारा (चौकथाना)	१	६०४
५०१	राजपुर	२२	२११८
५०२	राजपुर (हलार)	१५	२६६१
५०३	रामनका	२	४८४
५०४	रामास	६	१६१५
५०५	रामपड़दा	५	६२४
५०६	रामपुरा	१	—
५०७	रानासन	३०	४८११
५०८	राधिया	३	३३२

नाम रियासत		रकबा	आबादी
५३४	सोगढ (वछानी)	१	१५६३
५३५	सुदामडा ढढ़लपुर	१३५	७७४२
५३६	सुदासना	३२	८९२५
५३७	सुइगाम	२२०	५८४०८
५३८	लाजपुरी	७	—
५३९	ललसाना	४३	२४७२
५४०	तावी	१२	७७५
५४१	तेजपुरा	४	—
५४२	तेरवाडा	६१	५७३६
५४३	थाना देवली	११७	१६०५
५४४	थराड़	१२६०	५४३११
५४५	थारा	७८	१०९४१
५४६	टिवा	३	—
५४७	टोडावछानी	१	६३५
५४८	उमरी	१०	—
५४९	उँटडी	६	४४३
५५०	वडल भण्डारिया	१	४५८
५५१	वडाली	२	७५६
५५२	वाडिया	९०	१३७१९
५५३	वडोद (झालावाद)	११	१४१८
५५४	वडोद (दिवानी)	—	६३२
५५५	वाघावडी (वाघवोरी)	३	१०७
५५६	वखतापुर	४	—
५५७	वला	१९०	१४०६९
५५८	वलासना	२१	३९७१

परिशिष्ट (६)

लोक-परिषद्

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् के अधिवेशनों के सभापति

	नाम	सन्	स्थान
(१)	दीवान बहादुर श्री रामचन्द्र राव.	१९२७	बम्बई
(२)	श्री सी. वाई चिन्तामणि	—	—
(३)	श्री रामानन्द चटर्जी	१९३१	,,
(४)	श्री नरसिंह चिंतामण केलकर	—	—
(५)	श्री के. नटराजन	१९३४	दिल्ली
(६)	डा. पट्टाभिसीतारामैया	१९३६	कराची
(७)	पं० जवाहरलाल नेहरू	१९३९	लुधियाना
(८)	पं० जवाहरलाल नेहरू	१९४५	उदयपुर

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् का

विधान

(उदयपुर अधिवेशन में परिवर्तित तथा स्वीकृत)

धारा १—अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् का ध्येय स्वतन्त्र और समृद्ध भारत के हिस्सों के रूप में, देशी रियासतों की जनता द्वारा शान्तिपूर्ण और उचित उपायों से पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है।

(९) दक्षिण की रियासतें, (महाराष्ट्र और कर्नाटक में)
(१०) पंजाब की रियासतें,
(११) हिमालय की पहाड़ी रियासतें,
(१२) बिलोचिस्तानी रियासतें, (कलात लासवेला खरन और खेरपुर)
(१३) काठियावाड़ की रियासतें (कच्छ सहित)
(१४) राजपूताना की रियासतें

(ख) स्टेंडिंग कमिटी जब कभी उचित समझेगी, तब नये सिरे से विभाजन करके प्रदेश बना सकेगी।

धारा ५—रियास्ती प्रजा के संगठन, चाहे उनका नाम प्रजा-मंडल, लोक परिषद्, प्रजा परिषद्, स्टेट कॉंग्रेस, नेशलन कान्फ्रेन्स या ऐसा ही कुछ हो, जो किसी एक राज्य या राज्य-समूह के अन्दर काम करते हों, या विशेष परिस्थितियों में स्टेंडिंग कमेटी की मंजूरी से बाहर से काम करते हों, इस विधान के अनुसार प्रादेशिक परिषद् द्वारा या सीधे अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् से संबद्ध या स्वीकृत किये जा सकते हैं।

धारा ६—(क) कोई भी प्रादेशिक कौन्सिल उस प्रदेश के अन्दर किसी भी रियासती प्रजा संगठन को सम्बद्ध कर सकेगी, बशर्तें कि—

(१) वह इस विधान की धारा ५ को प्रस्ताव द्वारा मन्जूर कर चुकी हो.

(२) उसकी सदस्य सूची में आबादी के प्रति एक लाख या कम पर, कम से कम एक सौ (१००) प्राथमिक सदस्य हों,

(ख) स्टैंडिग कमेटी को अधिकार होगा कि वह अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद से, किसी कारणवश सम्बद्ध या स्वीकृत न हो सकनेवाले प्रजा-संगठनो को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिये पचास तक प्रतिनिधि नामजद करे।

धारा ६—(क) धारा २ मे बताये हुए प्रत्येक प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक कौंसिल होगी, जो इस प्रकार बनेगी:—

(१) उस प्रदेश के अन्दर के परिषद् के प्रतिनिधि, तथा परिषद् के प्रेसीडेन्ट और भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट जो उस प्रदेश मे रहते हो।

(२) रीजनल कौन्सिल के डेलीगेटों द्वारा अपनी संख्या के १/८ तक कोआप्ट किये हुए व्यक्ति। इन कोआप्ट किये हुए मेम्बरो को भी प्रतिनिधि के अधिकार होगे।

(ख) हर प्रादेशिक कौन्सिल को स्टैन्डिग कमेटी के सामान्य नियन्त्रण व निगरानी के अधीन अपने प्रदेश के समस्त कार्य-संचालन का अधिकार होगा।

(ग) प्रादेशिक कौन्सिले इस विधान के अनुसार रहनेवाले अपने नियम बना सकेंगी। परिषद् की स्टैन्डिंग कमेटी की मन्जूरी के बाद वे नियम काम मे आ सकेंगे।

(घ) यदि कोई प्रादेशिक कौन्सिल इस विधान के अनुसार कार्य न करेगी तो स्टैन्डिंग कमेटी उस प्रदेश मे, परिषद् का काम चलाने के लिये अस्थाई कौन्सिल बना सकेगी।

(ख) स्टेन्डिग कमेटी परिषद् की कार्यकारिणी होगी, और उसे अ भा दे रा लोक-परिषद् तथा जनरल कौन्सिल द्वारा निश्चित की हुई नीति तथा प्रोग्राम को कार्यान्वित करने का अधिकार होगा।

(ग) स्टेन्डिग कमेटी का कोरम ६ का होगा।

(घ) स्टेन्डिग कमेटी को निम्नलिखित अधिकार भी होंगे—

१ विधान का मुनासिब अमल कराने तथा विशेष परिस्थितियों को निबटाने के लिये नियम बनाना, तथा हिदायतें जारी करना।

२ गलत व्यवहार, लापरवाही या कर्तव्य के न पालने की सूरत मे किसी कमेटी या व्यक्ति के खिलाफ, जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहे, करना।

३ तमाम अगभूत कमेटियों का निरीक्षण नियन्त्रण तथा पथप्रदर्शन।

धारा १२—(क) परिषद् का प्रेसीडेन्ट अगले अधिवेशन तक काम करता रहेगा। वही जनरल कौन्सिल का भी अध्यक्ष होगा।

अखिल भारत देशी राज्य लोक-परिषद् की वर्तमान स्थायी-समिति

१	अध्यक्ष	श्री. पं. जवाहरलाल नेहरू
२	कार्यवाहक अध्यक्ष	,, डॉ. पट्टाभि सीतारामैया
३	उपाध्यक्ष	,, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला
४	कोषाध्यक्ष	,, कमलनयन बजाज
५	मन्त्री	,, जयनारायण व्यास
६	,,	,, बलवन्तराय मेहता
७	,,	,, टी. एम. वर्गिस
८	,,	,, द्वारकानाथ काचरु
९	सदस्य	,, स्वामी रामानन्द तीर्थ
१०	,,	,, एच. के. वीरण्णा
११	,,	,, आचार्य नरेन्द्रदेव
१२	,,	,, बाल गंगाधर खेर
१३	,,	,, खान अब्दुल समदखां
१४	,,	,, हीरालाल शास्त्री
१५	,,	,, ई. इखेदा वाहियर
१६	,,	,, शारंगधरदास
१७	,,	,, वी. व्ही. शिखरे
१८	,,	,, शिवशंकर रावल
१९	,,	,, वैजनाथ महोदय
२०	,,	,, वृषभानदास

स्टैंडिंग कमेटी के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव

(उदयपुर अधिवेशन में नीचे लिखे दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर हुए थे, जो लोकपरिषद् के संगठन से सम्बन्ध रखते हैं। अतः वे भी यहां दिये जा रहे हैं।)

(१) सार्वजनिक आलोचना न हो

देशी राज्य लोक परिषद् की नीति और प्रवृत्तियो से विरोधी रही हैं। कुछ आधारभूत मामलो मे यह विरोध लगातार जारी रहा है, बढ़ा है और आज भी वह इन सगठनो के प्रकाशनो मे पाया जाता है। यह साफ जाहिर है कि इस लोकपरिषद् मे कोई कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटी असरदार ढग से काम नहीं कर सकती, यदि उसके सदस्यो मे इस प्रकार सिद्धान्तो का विरोध हो। इसके अलावा भी विधान की धारा ३ के अनुसार कोई भी व्यक्ति या दल, जो अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के कार्यक्रमो का खुला विरोध करेगा वह इसकी कार्यकारिणी या चुनी हुई कमेटियो का सदस्य नहीं रह सकेगा।

चूंकि इनका सवाल कुछ व्यक्तियो से सम्बन्ध नहीं रखता, बल्कि ऐसे माने हुए दलो की नीतियो और कार्यक्रमो से सम्बन्ध रखता है, जो कि सुविदित है और विवादग्रस्त नहीं हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं समझा गया कि स्पष्टीकरण माँगा जावे, या अनुशासन सम्बन्धी कार्य के लिए कारण बताने के लिए आरोप कायम किये जावे। इसलिए यह निश्चय किया जाता है कि भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी या रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई सदस्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के सगठन मे किसी कार्यकारिणी मे न चुना जावे और न किसी चुने हुए पद या कमेटी मे रक्खा जावे। यह फैसला सम्बन्धित और स्वीकृत संस्थाओ के लिए भी लागू होगा। यदि ऐसे कोई व्यक्ति पहले से ही चुने जा चुके हो, तो उनसे पूछा जावे कि इस नियम के अनुसार वे जिस समिति के चुने हुए सदस्य हो गए है, उसकी सदस्यता से उन्हे पृथक क्यो न किया जावे।

परिशिष्ट (७)

छोटी रियासतों के प्रजामण्डलों के लिए नमूने का विधान

धारा १—**नाम**—इस संस्था का नाम ....राज्य प्रजा मण्डल है।

धारा २—**उद्देश्य**—इस प्रजा मण्डल का उद्देश्य अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् के मार्गदर्शन में.... राज्य की जनता के लिए शान्त और उचित उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन व नागरिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना है।

धारा ३—**सदस्यता**—राज्य का निवासी, कोई भी स्त्री या पुरुष, जिसकी उम्र १८ वर्ष की या ज्यादा हो, इस प्रजा मण्डल के उद्देश्य को मन्जूर करने पर और चार आना सालाना चन्दा अदा करने पर इसका सदस्य हो सकेगा।

धारा ६—**तहसील कमेटियां**—किसी भी तहसील की सब मार्फत मुकामी कमेटियो के डेलीगेटो को मिला कर तहसील कमेटी होगी, जो तहसील के अन्दर प्रजा मण्डल के कामो की देख-रेख करेगी।

धारा ७—**जनरल कमेटी**—राज्य भर की कुल मुकामी कमेटियो से चुने हुए डेलीगेटो की मिलकर जनरल कमेटी होगी, इसके अलावा हर मुकामी कमेटी के प्रेसिडेन्ट व सेक्रेटरी भी बलिहाज ओहदा डेलीगेट होगे और इस जनरल कमेटी को विधान बनाने, बदलने, नीतियाँ व कार्यक्रम तय करने का सर्वोच्च अधिकार होगा। इसका मामूली तौर पर हर साल वार्षिक अधिवेशन होगा। डेलीगेट प्रारम्भिक सदस्यो के हर १०० या १० के बाद बचे हुए जुज पर एक के हिसाब से चुने जावेगे।

धारा ८—**एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी**—एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी सात से १५ मेम्बरो तक की हो सकेगी। और उसको प्रेसिडेन्ट नामजद करेगा। व्हाइस प्रेसिडेन्ट और खजाची के अलावा एक जनरल सेक्रेटरी, व एक से ज्यादा सेक्रेटरी हो सकेंगे।

धारा ९—**एक्जीक्यूटिव्ह कमेटी के काम और अधिकार**—यह जनरल कमेटी की हिदायतो के मुताबिक कार्य सञ्चालन करेगी। और वही अनुशासन सम्बन्धी सब मामलो के निर्णय करने का अधिकार रखेगी। इस कमेटी को चुनाव सम्बन्धी झगडो को निपटाने के लिए और दूसरे कामों के लिए सब कमेटी मुकर्रर या खुद फैसला करने का अधिकार होगा। लेकिन झगडो से सम्बन्धित व्यक्ति वोट नहीं दे सकेंगे। यही कमेटी अधिवेशन की तारीख मुकर्रर करेगी और उसका मुनासिब इन्तजाम करेगी।

धारा १३—**खाली जगह की पूर्ति**—सामान्यतः खाली जगह की पूर्ति उसी तरह पर होगी, जिस तरह उनकी नियुक्ति या चुनाव होता है।

धारा १४—**कोरम**—प्रजा मण्डल की हर कमेटी का कोरम एक चौथाई का होगा।

धारा १५—**केन्द्रीय संस्थाओं की हिदायतों की पाबन्दी**—यह संस्था अपनी केन्द्रीय संस्था, अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद् या उसकी प्रादेशिक शाखा, मध्यभारत प्रादेशिक देशी राज्य लोक परिषद से आई हुई हिदायतो का ख्याल रखेगी।

आवश्यक नोट,

मध्यभारत प्रादेशिक लोक-परिषद् ने मध्यभारत की छोटी रियासतो के लिये यह नमूने का विधान बनाया है। इसमे प्रजा मण्थल का नाम, उद्देश्य, स्थानीय हालात के लिहाज से अन्य आवश्यक नियम जोड़े जा सकते है।

ऐसे प्रत्येक ग्रूप का एक प्रतिनिधि उसमे रहेगा। भारतवर्ष मे कुल ११८ पूर्वाधिकारवाली सलामी की हकदार रियासते है। इनमे से केवल १०८ ही मण्डलमे शरीक हुई। शेष, उदाहरणार्थ-हैदराबाद, मैसोर, त्रावणकोर, कोचीन, बड़ौदा और इन्दौर-नरेन्द्रमण्डल की सदस्य नही बनी। अन्य कारणो के साथ इन्होने इसकी वजह यह भी बताई कि नरेशो के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से यह अत्यंत अनुचित होगा कि वे ऐसी नीति या व्यवहारो का हामी अपने को बना ले, जो शायद उनके प्रजाजनो को पसन्द न हो। नरेशो को जो कुछ कहना हो अपने मन्त्रियो के मार्फत कहना या करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेवारी पर वे कुछ न कहे-करे, क्योकि उनकी जानकारी बहुत अधूरी होती है। अनुभव और वक्तृत्व शक्ति की भी उनमे कमी होती है। जिनके नरेशो को सलामी का अधिकार नही है, ऐसी १२७ छोटी रियासतो की तरफ से मण्डल मे १२ प्रतिनिधि है। सर पी एस शिवस्वामी ऐयर ने इसके कर्तव्य और सत्ता के विषय मे एक बार कहा था—